बनारस मंडल में १८५७ का विद्रोह

प्रस्तुतकर्त्ता

प्रकाश मोहन श्रीवास्तव

निर्देशक

श्री चन्द्र प्रकाश झा

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इतिहास में डी० फिल्० की उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

❋ १९७६ ❋

विषय सूची

प्राक्कथन

प्राक्कथन

१८५७ के विद्रोह का सर्वाधिक प्रबल नारा `आज हम प्लासी के युद्ध का प्रतिशोध ले रहे हैं` किसी दार्शनिक निर्णय की ओर इंगित नहीं करता वरन् अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उत्पन्न एक दशक पूर्व की भावना का प्रतिनिधित्व करता है ।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में बनारस मंडल का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । विश्व विश्रुत हिन्दू धर्म ज्ञान की पीठिका वाराणसी नगरी के सांस्कृतिक महत्व को भारतीय इतिहास का गौरव माना जाता है । इस बनारस मंडल में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पवित्र भागीरथी, यमदग्नि ऋषि की.पावन तपोभूमि, महाराज गाधि की राजधानी एवं दानवीर राजा भोज की राजधानी धारा नगर की ऐतिहासिकता ने इसके गौरव की वृद्धि की है । प्राचीनकाल से लेकर मुगल काल तक इस क्षेत्र का व्यापार और कलाकौशल की दृष्टि से विशिष्ट स्थान था किन्तु ब्रिटिश शासन की शोषण और उपेक्षात्मक नीति ने उसे समाप्त कर दिया । सत्ता की उपेक्षा एवं समय के झंझावातों के प्रहार से क्षतविक्षत किन्तु स्वाभिमान से गौरवान्वित इस क्षेत्र की जनता ने समय-समय पर विदेशी शासन का प्रबल प्रतिरोध करके अपने साहस का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया । चेतसिंह का विद्रोह तथा बाद की कुछ घटनाएं इस क्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है । महाकवि तुलसीदास की वाणी `पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं` से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र की जनता

विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिये सदैव प्रयत्नशील रही ।

प्रस्तुत शोध कार्य का विषय `बनारस मंडल में १८५७ का विद्रोह` है । उत्तर प्रदेश में १८५७ के विद्रोह पर अनेक शोध ग्रन्थों तथा प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना की जा चुकी है । १८५७ के विद्रोह में उत्तर प्रदेश में इतनी व्यापक कार्यकृतियां हुई कि सम्पूर्ण प्रान्त में विद्रोह की विवेचना करते समय सामान्य घटनाओं तथा क्षेत्रीय गतिविधियों पर उपयुक्त शोध ग्रन्थों तथा प्रामाणिक पुस्तकों में यथेष्ट प्रकाश नहीं डाला जा सका । इस अभाव को दूर करने के लिये क्षेत्रीय आधार पर शोध कार्य करने की अभिरुचि मुझमें उत्पन्न हुई । इस दिशा में इस शोध-प्रबन्ध की रचना मेरा एक लघु प्रयास है जिसमें मैंने क्षेत्रीय घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रस्तुत किया है और निष्पक्ष मत भी व्यक्त किया है ।

१८५७ के विद्रोह का दमन करने के लिये भारत सरकार तथा मंडल के आयुक्त विभिन्न जिलों के जिलाधीश को आदेश देते थे । मैंने शासन के आदेशों का उल्लेख क्षेत्रीय घटनाओं की प्रकृति तथा सरकारी नीति की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के लिये उपयुक्त स्थानों पर किया है । मुझे सरकार के अभिलेख, विद्रोहियों के अभिलेखों की तुलना में अधिक उपलब्ध हुये हैं । अत: मैंने लेखन कार्य के आधार पर निष्पक्षता की अवहेलना नहीं होने दी है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में मैंने बनारस मंडल की गठन, उसकी भौगोलिक स्थिति तथा १८५७ के पूर्व इस क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं का निरूपण किया है । द्वितीय अध्याय में १८५७

के विद्रोह के सामान्य कारणों तथा क्षेत्रीय दृष्टि से कुछ विशिष्ट कारणों पर प्रकाश डाला है । तृतीय अध्याय में विद्रोह की आशंका होने पर प्रशासन एवं सेना के अधिकारियों द्वारा की गयी सुरक्षात्मक कार्यवाही तथा विद्रोह की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है । चतुर्थ अध्याय में ब्रिटिश शासन द्वारा विद्रोह का दमन तथा विद्रोहियों को दिये गये दंड का विश्लेषण किया है । अन्तिम अध्याय में बनारस मंडल में विद्रोह के स्वरूप का चित्रण करते हुये मैंने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विद्रोह के निष्कर्ष का उल्लेख किया है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैंने राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली, राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश, सचिवालय अभिलेखागार लखनऊ, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय, भारती भवन पुस्तकालय इलाहाबाद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन संग्रहालय इलाहाबाद, कारमाइकल लाइब्रेरी वाराणसी में संग्रहित अपने विषय से सम्बन्धित उपयुक्त सामग्री एकत्रित किया है ।

मैं विभिन्न पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों के उन उच्च-अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विशेष कृतज्ञ हूं जिन्होंने शोध सम्बन्धी सामग्री एकत्र करने में मुझे विशेष सहयोग दिया है । मैं क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, डा० श्याम नारायण सिन्हा का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य समय देकर समय-समय पर मुझे अनेक आवश्यक एवं उपयोगी सुझाव दिये ।

डा० देवेन्द्र नाथ शुक्ल, भूतपूर्व अध्यक्ष, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं डा० चन्द्र भूषण त्रिपाठी, अध्यक्ष, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे इस शोधकार्य हेतु यथेष्ट सहायता प्रदान की है ।

श्री चन्द्र प्रकाश भा, वरिष्ठ प्रवक्ता मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं हृदय से आभारी हूं क्योंकि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उनकी प्रेरणा एवं निर्देशन का ही प्रतिफल है । इसके अतिरिक्त मैं डा० बनारसी प्रसाद सक्सेना, तथा डा० राधेश्याम, रीडर, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग का विशेषरूप से कृतज्ञ हूं जिन्होंने समय-समय पर मुझे शोधकार्य हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये हैं ।

प्रकाश मोहन श्रीवास्तव
(प्रकाश मोहन श्रीवास्तव)

२५ नवम्बर, १९७६
इलाहाबाद

प्रथम अध्याय

-0-

भूमिका

प्रथम अध्याय

-0-

भूमिका

१८५७ में बनारस मण्डल में बनारस, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर तथा जौनपुर जनपद सम्मिलित थे । बनारस के उत्तर पश्चिमी सीमा पर जौनपुर, उत्तर पूर्व तथा पूर्वी सीमा पर गाज़ीपुर और दक्षिण में मिर्ज़ापुर जनपद स्थित थे ।[१] बनारस जनपद पूर्व की ओर २५° ८` और २५° ३५ अक्षांश तथा उत्तर की ओर ७८° ५६` और ७६° ५२` के देशान्तर पर स्थित है । जौनपुर जनपद २५° २४` तथा २६° १२` उत्तरी अक्षांश और ८७° ७` तथा ८३° ५` पूर्वी देशान्तर के समानान्तरों के मध्य स्थित है । गाज़ीपुर जनपद २५°१६` और २५° ५४` उत्तरी अक्षांश.तथा ८३° ४` और ८३° ५८` पूर्वी देशान्तर के समानान्तरों के मध्य स्थित है । मिर्ज़ापुर जनपद २३° ५२` तथा २३° ३२` उत्तरी अक्षांश और ८७° ७` तथा ८३°३३` देशान्तर के समानान्तरों के मध्य स्थित है ।[२] बनारस गंगा के मैदान

१- बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १ ।

२- बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १ ।.

के महत्वपूर्ण भाग में सम्मिलित तथा उसी बाढ़युक्त जल से निर्मित है । अतएव यहां की भूमि पर उसका प्रभाव भी विदित होता है । जौनपुर की भूमि समतल धरातल तथा कुछ ऊंची-नीची भूमि के रूप में है । इनका इस प्रकार ऊंचा नीचा होना सम्भवत: नदियों की घाटियों के कारण है । गाज़ीपुर की भूमि समतल होने के साथ ही उपजाऊ भी है । धरातल की असमानता यदि कहीं दीख पड़ती है तो सोतों और नालों के कारण । मिर्ज़ापुर एक विस्तृत क्षेत्र है जहां भूमि में प्रकार होना स्वाभाविक ही है किन्तु इससे उपस्थित होने वाले मनोहारी दृश्य आंखों को अच्छे लगते हैं । विंध्य पर्वत श्रेणियों का सर्वाधिक ऊपरी भाग मिर्जापुर में ही है ।[3]

प्राकृतिक वर्णन के अनुसार बनारस को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम, ऊपरी समतल धरातल एवं द्वितीय, गंगा की निचली और छिछली भूमि जिसे तराई या नम भूमि के नाम से सम्बोधित करते हैं । जौनपुर कुछ ऊंची नीची भूमि को छोड़ कर समतल धरातल से युक्त है । गाज़ीपुर का ढाल ऊपर पश्चिम की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर है । प्रवेश स्थल की अपेक्षा ऊंची ऊंचाई पर गंगा इस जनपद को छोड़ती है । मिर्जापुर में अनेक पहाड़ियां एवं घाटियां हैं जिससे स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के धरातल

३- बनारस डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर पृष्ठ २, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर पृष्ठ २, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर पृष्ठ २, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर पृष्ठ २ ।

में बहुत से परिवर्तन अनिवार्य हैं ।[४] नदियों का योगदान देश, प्रदेश तथा मंडल को सदैव से लाभान्वित करता रहा है । नदियों की स्थिति ने भौतिक सम्पन्नता को बहुत अधिक प्रभावित किया है । बनारस मंडल में नदियों का योगदान अधिकांशत: उपयोगी तथा उपादेय सिद्ध हुआ है । मूलत: बनारस जनपद में भौतिक लक्षणों से युक्त गंगा नदी बनारस की नदियों में प्रमुख है । यह सर्वप्रथम बनारस जनपद को स्पर्श करती है । गंगा नदी अत्यधिक पश्चिमोत्तर की ओर से गंगापुर तहसील में तथा वहीं से एक लघु धारा में सम्मिलित होती है जो `सुबहा` नाले के नाम से जाना जाता है और जिसका निकास गंगापुर के एक छोटे क्षेत्र से होता है । बरना, असी, गोमती इत्यादि भी इस क्षेत्र की नदियां हैं । इनके अतिरिक्त चन्दौली तहसील में करमनासा नदी में व्याप्त हो जाने वाली अन्य सहायक नदियां भी हैं । जौनपुर जनपद की नदियों में सर्वप्रथम गोमती का स्थान है और तत्पश्चात् सई का ; इसके अतिरिक्त बरना, पिसुही भी इसी जनपद की नदियां हैं जो पश्चिम क्षेत्र को संलग्न करती हैं और अन्त में अपने जल को गंगा में प्रवाहित करती हैं । गांगी नदी के दर्शन यदा-कदा ही होते हैं । गाज़ीपुर की प्रमुख नदियों में गंगा, गोमती, गांगी, करमनासा इत्यादि कृषि के साधनों की सुलभता में सहायक हैं ।

४- बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ २, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ २, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ २, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ २ ।

मिर्ज़ापुर में गंगा एवं सोन नदियां प्रमुख हैं जिनका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर पश्चिम को काटते हुये है । इसके अतिरिक्त पांच मध्यम श्रेणी की अन्य धाराएं हैं — बेलन, कर्मनासा, रिहन्द, चन्द्रप्रभा और कन्हार । इन मध्यम श्रेणी की धाराओं के साथ कुछ अन्य लघु जल स्रोत हैं जो वर्षा ऋतु में बढ़ जाते हैं किन्तु ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं ।[५] झील तथा सरोवर भी बनारस मण्डल के सम्बद्ध जनपदों में सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं । बनारस के लगभग सम्पूर्ण भाग में झील तथा सरोवर उपलब्ध हैं । झील तथा सरोवर एक बड़ी संख्या में पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं । जल से युक्त झील तथा सरोवर के मुख्य स्थल बन्डीताल तथा कवार झील हैं । चन्दौली क्षेत्र में झील तथा सरोवर का होना एक सामान्य बात है । जौनपुर जनपद में झील तथा सरोवर की संख्या अधिक है । मुख्य रूप से पूर्व तथा पश्चिम एवं दक्षिण क्षेत्र की ओर ये अधिक उपलब्ध हैं । जौनपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग पांच प्रतिशत भाग जल में है जिसमें नदियों के जल से युक्त क्षेत्र भी सम्मिलित हैं । इसका अधिकांश भाग प्राकृतिक सरोवर से युक्त है । गाज़ीपुर में प्रायोगिक रूप से नदियां ही मैले पानी के निकास का कार्य पूर्ण करती हैं तथा कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां प्राकृतिक रूप से निकास का कार्य पूर्ण होता है । ऐसी स्थिति मुख्य रूप से पूर्व के हिस्से में है । गांगी के प्रमुख भाग में कुछ झीलें भी हैं यद्यपि ये अधिक गहरी

५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यूनाइटेड प्राविन्स आफ आगरा एण्ड अवध (बनारस) भाग २६, पृष्ठ ६, ८, ६, १०, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ २, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ ३, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १० एवं ११ ।

नहीं है। मिर्ज़ापुर जनपद में अनेक झील एवं सरोवर हैं। कोरह तहसील में सबसे बड़ा समधा ताल है।[६] मिट्टियों के सम्बन्ध में, उसकी भूमि एवं क्षेत्र विशेष की, नदियों के जल का विशेष प्रभाव होता है। मूलत: बनारस मंडल के सम्बद्ध जनपदों की मिट्टी उपजाऊ है। बनारस जनपद के अधिकांश भाग में संचित मिट्टियां उपजाऊ, अच्छी एवं चिकनी हैं जो मूल रूप से स्वच्छ तथा भूरे रंग की हैं। यदि कहीं इनके रंगों में भेद देखने को मिलता है तो नि:सन्देह यह जल के प्रभाव के कारण है। कुछ स्थलों पर प्राप्त होने वाली विशेष भूरी मिट्टियों में बालू की मात्रा अधिक है। जौनपुर जनपद में प्राप्त होने वाली मिट्टियां दो प्रकार की हैं। प्रथम, उपजाऊ मिट्टी तथा द्वितीय, साधारण मिट्टी। चिकनी उपजाऊ मिट्टी केराकत तहसील तथा जौनपुर के ऊंचे स्थानों में पायी जाती है। केराकत तथा मछली शहर की अधिकांश भूमि साधारण प्रकार की है। गाज़ीपुर जनपद की अधिकांश भूमि का निर्माण गंगा के बहाव से हुआ है अत: यहां की मिट्टी उपजाऊ है। मिर्ज़ापुर में चट्टानों की अधिकता है। अत: यहां की मिट्टी में 'रेतीलापन' होना स्वाभाविक है। यहां मिट्टियों तथा भूमि के अनेक प्रकार हैं जो केवल चट्टानों के ही कारण

६- बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १३, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १०, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ ११, इम्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया, भाग १७, पृष्ठ ३६७।

हैं । गंगा के मैदान की भूमि की यहां कुछ विशेष नहीं है ।[७] यद्यपि सम्पूर्ण मण्डल के जनपदों में वन का अभाव है किन्तु वन के सन्दर्भ में प्रत्येक जनपद की अपनी विभिन्न स्थिति है । बनारस में अनेक स्थानों पर ढाक और कटीली भाड़ियों से युक्त भूमि पायी जाती है । गाज़ीपुर जनपद ढाक और बबूल के वृक्षों से युक्त है एवं अनेक स्थानों पर ईंधनोपयोगी लकड़ियां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं । मिर्जापुर जनपद विंध्य पर्वत श्रेणियों के निकट है । अतएव यहां घने जंगल पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ जंगली क्षेत्र तराई भाग के ऊसर क्षेत्र में भी हैं । जौनपुर जनपद का थोड़ा भाग ही जंगल से युक्त है और वह कृषि के लिये अनुपयोगी है । उंगली परगने में लम्बी घास की अधिकता है तथा अनेक भाग ढाक के वृक्षों से युक्त हैं ।[८] भाड़ियों की दृष्टि से सम्पूर्ण सम्बद्ध जनपद के विषय में यह कहना उचित होगा कि विस्तार भले ही इन भाड़ियों का हो किन्तु वर्णनीय भाड़ियां केवल कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ही हैं । बनारस कृत्रिम भाड़ियों का क्षेत्र है तथा गंगापुर नामक स्थान की भाड़ियां उल्लेखनीय हैं ।

७- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ युनाइटेड प्राविन्स आफ आगरा एण्ड अवध (बनारस), भाग २६, पृष्ठ ३, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १२, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ ८ ।

८- बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १४, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १५, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १६, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १७ ।

फाड़ियों का विस्तार बनारस में लगभग १६,४०३ एकड़ में है जिसमें चन्दौली के फाड़ी युक्त क्षेत्र ३,७५४ एकड़ में है । (मिर्ज़ापुर की स्थिति सामान्य हैं तथा यह केवल गंगा की घाटियों के निकट के क्षेत्र में ही केन्द्रित है) । यहां आम के वृक्षों की अधिकता है । सम्पूर्ण फाड़ीयुक्त उपलब्ध भू-भाग २३,२०५ एकड़ है । जौनपुर की विस्तृत फाड़ियां वर्णनीय हैं और अधिकांश भाग में घिरी हैं जो लगभग ३०,६५६ एकड़ में है । गाज़ीपुर की कृत्रिम फाड़ियां प्रधान लक्षण से युक्त लगभग सर्वत्र भूमि पर दिखायी पड़ती हैं । अपवाद केवल 'करैल' क्षेत्र में ही है जो भू-भाग वृक्षों से रहित है तथा पूर्व की ओर ऊसर भूमि है ।[९] भारत का प्रमुख धार्मिक नगर बनारस जहां असंख्य मन्दिर और मस्जिदें हैं,[१०] गंगा के ढालू किनारे पर स्थित है । यह भारत में नदियों के किनारे बसे नगरों में सर्वाधिक सुन्दर है ।[११] पवित्र गंगा के तट पर स्थित प्राचीन नगर बनारस ऐतिहासिक वैभव से युक्त है ।[१२] बनारस निश्चय ही भागीरथी के शीतल स्वच्छ तथा पवित्र जल के तट

९- बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १५, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १६, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ १६, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ २२ ।

१०- ई० बुक -- 'दी रिवोल्ट इन हिन्दुस्तान', पृष्ठ ३२ ।

११- जे० डब्लू० के० -- 'हिस्ट्री आफ सिपाय वार इन इण्डिया', जिल्द २, पृष्ठ १९९ ।

१२- वी० डी० सावरकर -- 'दी इन्डियन वार आफ इंडिपेन्डेन्स', पृ० १७९ ।

पर बसे नगरों में अद्वितीय है जो पंडितों तथा पुजारियों का आश्रय स्थल है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुये ईरान के सुप्रसिद्ध फारसी कवि ने बनारस आने के उपरान्त कहा था, कि अब मैं बनारस से नहीं जाऊंगा। क्योंकि यह पवित्र नगरी सार्वजनिक पूजा स्थल है और यहां के हर ब्राह्मण का पुत्र मुझे लक्ष्मण और राम प्रतीत होता है।

मुगल शासन काल के अन्तिम क्षणों में बनारस प्रान्त एक राजा के अधीन था[13] जिसे सम्राट के शासनादेश से उपाधि मिली थी। औरंगजेब की मृत्यु के तत्काल बाद मुगल राज्य की शक्ति और वैभव का क्षय प्रारम्भ हो गया। केन्द्रीय सरकार शक्तिहीन होती गई और प्रान्तीय अधिपति व्यवहारिक रूप से स्वतन्त्र होने लगे। बनारस, जौनपुर तथा गाजीपुर जिले मुर्तजा खान नामक एक दरबारी को निरूपित किये गये थे जिसने उसे १७२२ में अवध के नवाब वजीर सादत खां को सात लाख रुपये में पट्टे में दे दिया। उपरोक्त पट्टा समाप्त करके ये जिले मीर रुस्तम अली को आठ लाख रुपये में दे दिये गये। मीर रुस्तम ने सम्पत्ति की व्यवस्था एक भूमिहार ब्राह्मण मनसाराम को सौंप दिया, जो वर्तमान बनारस के सत्तारूढ़ परिवार का

१३- अज बनारस न रवम मौबिदे आमद इजा
हर पिसरे बरहमन लछमनो रामस्तीजा।

अली हजी—'जमाने उमरी अली हजी'- पृष्ठ १५,

लालस हेवर, 'ए हैन्ड बुक टू दी इंग्लिश प्री म्यूटनी रिकार्ड्स', पृष्ठ २५८।

संस्थापक था ।[१४] मनसाराम एक योग्य व्यक्ति था और वह शीघ्र ही इन जिलों का वास्तविक शासक बन गया । नवाब के मीर रुस्तम अली से असन्तुष्ट होने पर वह उनका कानूनी पट्टेदार हो गया । इसके तुरन्त बाद १७३८ में मनसाराम की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र बलवन्त सिंह ने दिल्ली के सम्राट मुहम्मद शाह के शासनादेश से राजा की उपाधि प्राप्त की तथा बनारस, जौनपुर और चुनार का क्षेत्र सरकार के पुराने पट्टे पर १३ लाख वार्षिक राजस्व देकर प्राप्त किया । बलवन्त सिंह महत्वाकांक्षी तथा योग्य शासक था और स्वतन्त्रता का उद्देश्य रखता था । दस वर्षों तक उसने नये नवाब सफदरजंग को नियमित रूप से राजस्व दिया किन्तु जब १७४८ में अफगानों के उदय से उसकी शक्ति क्षीण हो गई तो उसने राजस्व देना बन्द कर दिया और नवाब के प्रतिनिधि को भगा दिया । अफगान अहमद शाह बंगश की विकसित शक्ति ने बलवन्त सिंह को उससे सन्धि करने के लिये विवश किया जिसमें उसे गंगा के उत्तरी क्षेत्र का त्याग करना पड़ा । किसी तरह मराठों से सहायता प्राप्त करके सफदरजंग ने अहमद शाह बंगश को पराजित किया और इससे उत्साहित होकर बलवन्त सिंह ने बिना गोली चलाये अफगानों द्वारा छीना गया अपना क्षेत्र प्राप्त कर लिया ।[१५] अब उसे नवाब वजीर का सामना करना था जो उसे दण्ड देने के लिये बनारस आया । बलवन्त सिंह को उसके मिर्जापुर पहाड़ियों में स्थित किले में

१४- प्रो० ए० एस० अल्टेकर - 'हिस्ट्री आफ बनारस', पृष्ठ ५६ ।

१५- वही, पृष्ठ ६० ।

जाने के लिये विवश किया गया । नवाब उसे पकड़ने या पराजित करने में असमर्थ था । वह उसे पहाड़ियों में भेजने के लिये विवश नहीं कर सका क्योंकि इसी बीच दिल्ली के सम्राट ने उसे अहमद शाह अब्दाली के प्रकरण का निराकरण करने के लिये आमंत्रित किया । दिल्ली प्रस्थान करने के पूर्व उसे मार्च १७५२ में बलवन्त सिंह के साथ सन्धि करनी पड़ी । सफदरजंग के साथ सन्धि करने के पश्चात् बलवन्त सिंह को विश्राम का समय मिला जिसका उपयोग उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये किया । वजीर के साथ हाल के युद्धों ने उसे किलों के महत्व से अवगत कराया और वह १७५२ में रामनगर में एक किले के निर्माण के लिये प्रवृत्त हुआ । १७५४ में जब सफदरजंग की मृत्यु हुई तो बलवन्त सिंह ने एक बार फिर स्वतन्त्रता की घोषणा की किन्तु वह फिर असफल रहा । १७६५ में इलाहाबाद में अंग्रेजों और शाह आलम के मध्य हुई सन्धि के अन्तर्गत बनारस अवध के नवाब को इस शर्त पर दे दिया गया कि बलवन्त सिंह को पूर्ववत् वास्तविक शासक बना रहने दिया जाय ।[१६] इस सन्धि से किसी भी प्रकार नवाब और बलवन्त सिंह के सम्बन्धों में सुधार नहीं हुआ । उसने दो बार नवाब को हटाने का असफल प्रयत्न किया । एक प्रयास अंग्रेजों के लिये भी किया गया । बाद में नवाब ने बलवन्त सिंह को देय धन में १० लाख की वृद्धि करने के लिये विवश किया । १७७० में बलवन्त सिंह की मृत्यु हो गई ।

१६- प्रो० ए० एस० अल्टेकर - 'हिस्ट्री आफ बनारस', पृ० ६२ ।

उसके बाद उत्तराधिकार के लिये उसकी पुत्री के पुत्र महीपनारायण सिंह तथा उसके अवैध पुत्र चेत सिंह के मध्य विवाद हुआ। उत्तराधिकारी बालक था और चेतसिंह ने स्वयं उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिये नवाब को २२ लाख रुपये घूस देने की व्यवस्था की। १७७२ में बनारस में वारेन हेस्टिंग्स तथा नवाब वजीर शुजाउद्दौल्ला ने आपसी बातचीत में चेतसिंह को राज्य का उत्तराधिकार २२ $\frac{1}{2}$ लाख वार्षिक राजस्व लेकर देना निश्चित किया। १७७५ में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी आसफउद्दौला ने बनारस प्रान्त अंग्रेजों को दे दिया। किसी तरह चेतसिंह को अंग्रेज रेजीडेन्ट के अधीन बनारस का अधिपति बने रहने की स्वीकृति मिल गई।[१७] इसके तुरन्त बाद वारेन हेस्टिंग्स तथा उसकी परिषद् के सदस्यों में विवाद उत्पन्न हो गया और चेतसिंह ने आन्तरिक झगड़ों को दूर करके अपनी स्थिति को दृढ़ करना चाहा। बनारस का प्रथम रेजीडेन्ट फ्रांसिस का मित्र था और चेतसिंह ने गवर्नर जनरल के विरुद्ध उसका साथ दिया। कर्नल मौनसन की मृत्यु के बाद हेस्टिंग्स का पक्ष सबल हो गया और अब उसने फ्रांसिस का साथ देने के कारण चेतसिंह को दण्डित करने का निश्चय किया। उसने ग्राहम को बनारस का नया रेजीडेन्ट नियुक्त किया जिसने विभिन्न तरीकों से चेतसिंह को परेशान करना प्रारम्भ किया। चेतसिंह अपने पिता की भांति सामंजस्य करने वाला नहीं था। इसलिये वह

१७- प्रो० ए० एस० अल्टेकर- 'हिस्ट्री आफ बनारस', पृ० ६३।

परिवर्तित स्थिति का सामना नहीं कर सका ।[१८] यहां तक कि ग्राहम के सहायकों ने भी चेतसिंह को मूर्ख बनाया और धमकाया । ग्राहम के एक समर्थक अलाउद्दीन ने एक बार चेतसिंह से कहा कि रेजीडेन्ट कुटिल है । हकीम ने उसके लिये लाल चींटों के सिर से बनाये गये तेल की औषधि निर्धारित की है और चार मन लाल चींटों की तत्काल आवश्यकता है । लाल चींटे दुर्लभ होने के कारण बाजार में उपलब्ध नहीं थे । अत: चेतसिंह ने सारे जिले से उन्हें एकत्रित करने का आदेश जारी किया लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में एकत्र करने में सफल न हो सका और रेजीडेन्ट के क्रोध से आतंकित हो गया । चतुर एवं धूर्त मुन्शी को औषधि ग्रहण करने का तरीका बदलना था । यह उसने बिना किसी कठिनाई के कर दिया । जब कि वास्तविकता यह थी कि हकीम ने ऐसे किसी भी तेल अथवा औषधि के विषय में अपनी स्वीकृति नहीं दी थी ।[१६] यह घटना चेतसिंह की योग्यता और सामान्य बुद्धि की रूपरेखा प्रकट करने के लिये पर्याप्त है जिसे चेतसिंह ने अपनाया था । चेतसिंह की वास्तविक कठिनाई १७७८ में इंग्लैण्ड और फ्रांस के मध्य युद्ध प्रारम्भ होने पर हुई ।[२०] पांच लाख की एक असाधारण देय राशि की मांग हेस्टिंग्स द्वारा की गई जिसे चेतसिंह ने बहुत अनिच्छापूर्वक पूरा किया।

१८- प्रो० ए० एस० अल्टेकर- `हिस्ट्री आफ बनारस`, पृष्ठ ६३ ।

१६- वही पृष्ठ ६४ ।

२०- म्युनिस्ट — `स्माइलिंग बनारस`, पृष्ठ ५२ ।

१७७६ और १७८० में मांग पुन: दोहरायी गयी और हेस्टिंग्स इसे एक रेजीडेन्ट भेज कर मांग सका । हेस्टिंग्स ने किसी भी प्रकार चेतसिंह को लूटने का निश्चय कर लिया था और इस उद्देश्य से उसने उस पर एक झगड़ा आरोपित किया । १७८० के लगभग उसने चेतसिंह से २००० की घुड़सवार सेना की पूर्ति करने को कहा । चेतसिंह ने स्वाभाविक रूप से असीमित मांगों के विरुद्ध प्रतिवाद किया । यही हेस्टिंग्स चाहता था । मैकाले के शब्दों में उसकी योजना यह थी कि, 'अधिक से अधिक तब तक मांगा जाय जब तक कि (राजा) उसका विरोध न करे । फिर उसके प्रतिवाद को अपराध मानकर उसकी सारी सम्पत्ति को लेकर उसे दंडित किया जाय ।' अत: अब अवसर आ चुका था । इसलिये उसने योजना को पूर्ण करने के लिए बनारस आने का निर्णय लिया । इससे चेतसिंह स्वयं को शक्तिहीन समझने लगा और वह गवर्नर जनरल के स्वागत के लिये ५० मील दूर गया और व्यक्तिगत घूस के रूप में २ $\frac{1}{2}$ लाख तथा कम्पनी को अर्थ दण्ड के रूप में २२ लाख रुपये देने के लिये कहा किन्तु कुछ हल न निकल सका । हेस्टिंग्स दयाहीन था ।[२१] उसने ५० लाख की मांग किया । हेस्टिंग्स जुलाई १७८१ में बनारस आया और उसने कबीर-चौरा स्थित माधो बाग को अपना मुख्यालय बनाया तथा चेतसिंह से उसके आचरण के लिये स्पष्टीकरण मांगा । चेतसिंह ने स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से बचने की चेष्टा किया ।

२१- म्यूफिएट — 'स्माइलिंग बनारस', पृष्ठ ५२ ।

हेस्टिंग्स ने चेतसिंह के उत्तरों को आधाररहित बताया और चेतसिंह को बन्दी बनाने का आदेश दिया। चेतसिंह शिवाला किले में रहता था और दो कम्पनियां उसे बन्दी बनाने के लिये गई थीं। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अपना उद्देश्य पूरा किया। किन्तु जब चेत सिंह की गिरफ्तारी की सूचना रामनगर में उसकी सेनाओं को मिली तो उन्होंने नदी पार करके अंग्रेज टुकड़ियों को घेर लिया। अंग्रेजों को अपने हथियारों की प्रतिष्ठा में इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने सैनिकों को रसद देने की प्रारम्भिक सावधानी नहीं बरती।[22] मेजर पोपहम के रसद सहित पहुंचने के पहले ही रामनगर की सेना ने उसे जीत लिया और सभी अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। प्रारम्भिक सफलता से उत्साहित चेतसिंह के सैनिकों ने पोपहम को भी पीछे खदेड़ दिया। किले के बाहर चल रहे संघर्ष की गड़बड़ी में चेतसिंह रक्षकों से नजर बचा कर किले की नदी के ओर की खिड़की से पगड़ियों की सहायता से नदी में कूद गये और नाव की सहायता से रामनगर की ओर प्रस्थान कर दिया।[23] वहां से वह अपने परिवार और खजाने सहित अपने किले लतीफपुर भाग गया। यह पता चलने पर कि चेतसिंह रामनगर से भाग गया है वारेन हेस्टिंग्स ने उस किले पर अधिकार करने की चेष्टा किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो अधिकारी सेना सहित भेजे गये। चेतसिंह की सेना के लिये यही श्रेयस्कर था कि वह अंग्रेजों की सेना को पीछे खदेड़ दे, जो उसने

२२- प्रो० ए० एस० अल्टेकर — `हिस्ट्री आफ बनारस`, पृष्ठ ६४।

२३- वही, पृष्ठ ६४।

किया । उसका प्रधान स्वयं कायरता से भाग गया था तथा उसकी सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा । इस परिस्थिति ने बनारस में हेस्टिंग्स की स्थिति को काफी दुर्बल कर दिया । चेतसिंह की सेनाओं के शक्तिशाली पड़ने से खतरा सन्निकट था । इसलिये उसने अपने विरोधी शहर का त्याग करना उचित समझा और वर्षापूर्ण रात्रि के अंधेरे में भाग गया ।[२४] वह और उसके सहयोगी रातभर तीव्र गति से चलने के कारण सुबह चुनार पहुंच गये । जब अगले दिन उसके जाने का समाचार फैला तो चेतसिंह की सेनाओं ने वारेन हेस्टिंग्स का मुख्यालय लूटा और उसके सहयोगी और सहायकों को बन्दी बना लिया । किन्तु चेतसिंह की सेनाओं की विजय से कोई उद्देश्य हल नहीं हुआ । अंग्रेज़ों का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, यह समझ कर उसने अन्तत: अंग्रेज़ों के विरुद्ध शरण प्राप्त करने के लिए महादजी सिंधिया के पास जाना निश्चित किया । शीघ्र ही सैनिक रसद मिल जाने से अंग्रेज़ों ने बिना किसी कठिनाई के रामनगर और लतीफपुर के किलों पर अधिकार कर लिया जब कि चेतसिंह जा चुका था । हेस्टिंग्स के बनारस निवास काल में महीप नारायण सिंह ने हेस्टिंग्स से गुप्त याचना की थी और हेस्टिंग्स ने ४० लाख वार्षिक राजस्व लेकर उसे चेतसिंह का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया । इस प्रकार मांगा गया राजस्व १७८२ में ४० लाख हो गया ।[२५]

२४- प्रो० ए० एस० अल्टेकर- 'हिस्ट्री आफ बनारस', पृ० ६५ ।

२५- वही, पृष्ठ ६५ ।

गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का व्यवहार राजा चेतसिंह के साथ वास्तव में निर्दयतापूर्ण एवं उत्पीड़क था। इस ऐतिहासिक फलक की पृष्ठभूमि से परिचित होने के साथ ही इस सूक्ष्मता से अवगत हर व्यक्ति को यह समझने में ज़रा भी देर न लगेगी कि वास्तव में इस सन्देहास्पद बात की वास्तविकता क्या है।[२६] इन्हीं तथ्यों को देखते हुये ग्रे का कथन था कि, "हेस्टिंग्स द्वारा किसी क्षण प्रकट की गई राय उस क्षण विशेष के बाद ही महत्वहीन हो जाया करती थी।"[२७] यह प्रश्न अत्यन्त विचारणीय है तथा इस बात का प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिये तीन मुख्य बातों का मनन आवश्यक है कि (अ) राजा चेतसिंह एक ज़मींदार की स्थिति रखता था अथवा राजा की, (ब) क्या वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोही था, (स) हेस्टिंग्स द्वारा अत्यधिक कर लगाना क्या न्यायसंगत था।[२८]

यद्यपि चेतसिंह एक ज़मींदार की हैसियत रखता था किन्तु उसे राजा से कम सम्मान प्राप्त नहीं था। यह भी सत्य है कि कम्पनी से उसकी मित्रता थी, साथ ही साथ उसे कम्पनी का संरक्षण भी प्राप्त था।[२९] जहां तक राजा और ज़मींदार शब्द के

२६- ट्राटर जे० एल०—'वारेन हेस्टिंग्स, ए बायोग्राफी', पृष्ठ ६।

२७- 'हिस्ट्री आफ ट्रायल आफ वारेन हेस्टिंग्स' भाग १, पृष्ठ ३२०, ३२१।

२८- 'करसपान्डेन्स आफ दी एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल ऐट बनारस' अप्रैल १३, १८१४, १२, पृष्ठ १५७, १५८।

२९- 'हिस्ट्री आफ ट्रायल' भाग १, पृष्ठ १८।

सम्बोधन और उसके पद तथा प्रतिष्ठा की बात है यह बात हेस्टिंग्स की स्वयं की बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि वारेन हेस्टिंग्स चेतसिंह को राजा के रूप में ही स्वीकार करता था । एक स्थल पर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि, "बनारस प्रान्त अवध और बिहार का सीमान्त प्रान्त है, इसलिये बनारस के राजा और कम्पनी के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार अथवा मित्रवत् सम्बन्ध का विशेष महत्व है । ऐसी परिस्थिति में बनारस के राजा और कम्पनी को स्थिर सम्बन्ध रखना चाहिये ।"[30] (ऐली) अंग्रेजी शब्द जो बनारस के राजा और कम्पनी के सम्बन्ध की गहरायी पर प्रकाश डालता है तथा जो इस सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है -- यह शब्द विशेष किसी राष्ट्र या किसी साधारण जागीरदार जमींदार या साधारण लोगों के लिये नहीं प्रयुक्त होता है । १७७५ के कौंसिल के वक्तव्य में हेस्टिंग्स ने संकेत किया था कि चेतसिंह को स्वतन्त्र रखने की मेरी इच्छा है क्योंकि भारत में पराधीनता के साथ हजारों बुराइयां जुड़ी हुई हैं ।[31] वारेन हेस्टिंग्स ने यह भी कहा था कि यदि राजा अपने देश के प्रति स्वामिभक्त सिद्ध होगा, अपनी सरकार के प्रति आज्ञापालक सिद्ध होगा तो उससे अतिरिक्त मांग नहीं की जायेगी । उसके साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से उसके अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ।[32] हेस्टिंग्स ने इस बात पर भी

३०- 'होम पब्लिक कन्सलटेशन' लेटर फ्राम कोर्ट, २८ अगस्त, १७८२, पेरा ४७, पृष्ठ १४६ ।

३१- स्पीचेज़ आफ एडमण्ड बर्क आन वारेन हेस्टिंग्स, जिल्द २, भाग २, पृष्ठ २२२ ।

३२- होम पब्लिक लेटर्स फ्राम कोर्ट, अगस्त २८, १७८२, पेरा ४७, पृष्ठ १४६ ।

जोर दिया था कि चैतसिंह कम्पनी को किराया देता था, प्रतिज्ञाबद्ध धनराशि नहीं, अत: उसकी स्थिति एक जमींदार की है किन्तु भूतकाल में उसने स्वयं राजा की विशेष स्थिति को स्वीकार किया है। दृष्टान्त के रूप में १७७५ में हेस्टिंग्स ने यह प्रस्ताव रखा कि चैतसिंह अपना राजस्व कलकत्ता में देगा, बनारस में नहीं क्योंकि यह प्रस्ताव राजा की स्वतन्त्र स्थिति पर प्रभावहीन होगा।[३३]

इससे यह स्पष्ट होता है कि चैतसिंह को एक राजा के रूप में माना जाता था और जमींदार के पद का प्रयोग केवल वैधानिक था।

चैतसिंह वास्तव में अंग्रेज शासकों के विरुद्ध क्रांतिकारी था- यह प्रश्न भी चैतसिंह और वारेन हेस्टिंग्स के बीच उपजे हुए सम्बन्धों की दोषयुक्त व्याख्या करता है। यद्यपि हेस्टिंग्स ने अपने कलापों के निमित्त राजा को दोषी एवं क्रान्तिकारी लक्ष्यों से युक्त माना है, उसका स्पष्ट कथन यह भी है कि राजा ने अमुक धृष्टता इच्छा से की है। उसने क्रान्ति को पूर्व नियोजित भी माना है।[३४] समय की गति को प्रतिकूलता प्रदान करने का कार्य कुछ सूचनाओं एवं अफवाहों ने किया। जब हेस्टिंग्स तक भ्रमयुक्त यह सूचना पहुंची कि राजा चैतसिंह मराठों से गुप्त वार्ताएं कर रहा है तो उसके विश्वास

३३- कामन्स कमेटी रिपोर्ट आफ ईस्ट इन्डिया कम्पनी, जिल्द ५, पृष्ठ ६१८, ६१६।

३४- बर्क- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २५८, २५६।

को और भी दृढ़ता प्राप्त हुई ।[३५] कोलब्रुक कामिंस ने राजा की निन्दा इस आधार पर की कि उसने शर्त का उल्लंघन किया है । उसने यह भी स्पष्ट किया कि राजा अपनी सीमा के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी था, साथ ही साथ उससे वचनबद्ध धनराशि की आशा की जाती थी किन्तु राजाब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया । यह भी कहा गया है कि बनारस में होने वाले प्रतिदिन के कत्ल, डकैती तथा खुले अपराधों का एकमात्र कारण राजा ही है । उसके ही कारण अंग्रेजी सरकार पर तरह-तरह के आक्षेप किये जा रहे हैं । व्यक्तिगत रूप से राजा के ऊपर यह भी आक्षेप किया गया कि उसने मैत्री एवं स्वामिभक्ति के विरुद्ध व्यवहार किया है ।[३६] जब राजा के कैद की खबर उसके महल रामनगर में उसकी सेना को मिली तो सेना क्रुद्ध हो गई और एक बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने हथियारों से लैस होकर नदी को पार किया और अचानक ब्रिटिश फौज की टुकड़ियों पर हमला कर दिया । चूंकि कम्पनी के सिपाही हथियारों से लैस नहीं थे इसलिये कोई प्रतिरोध न कर सके ।[३७]

जहां एक तरफ इस प्रकार की घटनाएं हुई, वहीं दूसरी तरफ चेतसिंह ने हेस्टिंग्स के सम्मान को रखने के लिये १२ अगस्त

३५- वारेन हेस्टिंग्स - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६ ।

३६- सीक्रेट सेलेक्टेड कमीटी रिपोर्ट, सितम्बर ४,१७८१,जिल्द ३, पृष्ठ ७८३ ।

३७- महादजी सिन्धे हैंकी केउन्ड पेट्रेन, नं० १३७२ पैरा २, नं०११५ । (डा॰ के॰ पी॰ श्रीवास्तव के शोध ग्रन्थ पृष्ठ १८६ में उद्धृत)

को उसके बक्सर सीमा क्षेत्र में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया और उसकी गोद में अपनी पगड़ी तक उतार कर इस आशा से रख दी कि उसका आक्रोश कम हो किन्तु राजा का सरल स्वभाव भी हेस्टिंग्स को सन्तुष्ट न कर सका ।[३८]

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में वारेन हेस्टिंग्स के प्रति चेतसिंह बहुत ही वफादार और सहृदय था लेकिन हेस्टिंग्स के कपट और द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण अपने सम्मान की रक्षा के लिये उसे विद्रोही बनना पड़ा । वह स्वदेशी शासकों से समर्थन न प्राप्त कर सका था । अत: वह अपने प्रयास में असफल रहा ।

हेस्टिंग्स द्वारा राजा पर असीमित कर लगाना न्यायसंगत था अथवा नहीं- इस प्रश्न पर ग्रे ने अपने विचार व्यक्त करते हुये दो बातों को स्पष्ट किया है । प्रथम, हेस्टिंग्स द्वारा चेतसिंह से की गई मांग उस मौलिक सन्धि के प्रतिकूल थी जो राजा एवं कम्पनी के बीच हुई थी, द्वितीय, यह द्वेष एवं भ्रष्टाचार का प्रभाव था ।[३९] इन बातों की पुष्टि मैकाले के भी विचारों से होती है । उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इस प्रकार का निर्णय मात्र अपमानित करने के उद्देश्य से ही हेस्टिंग्स ने लिया था, "चेतसिंह को

३८- ट्राटर-पूर्व उद्धृत, पृष्ठ, २५६ ।

३९- बर्क-पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २५६ ।

लूटने एवं उसे युद्ध में बांधने के लिये वह दृढ़ प्रतिज्ञ था ।[४०] चेतसिंह और वारेन हेस्टिंग्स के बीच किसी भी प्रकार का गठबन्धन क्यों था तथा राजा चेतसिंह पर वारेन हेस्टिंग्स ने एक सीमित कृपा क्यों की थी- इसको वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं ही व्यक्त करते हुये कहा है कि उसका देश हमारी कम्पनी के लिये एक प्रबल आड़ है तथा उसके लिये हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, साथ ही साथ मुझे यह विश्वास रहता है कि जब कभी आवश्यकता पड़ी मुझे सहायता प्राप्त होगी । हेस्टिंग्स एक ऐसे संरक्षण एवं मध्यस्थता का आकांक्षी था जो उसे चेतसिंह के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता था क्योंकि अवध के नवाब और राजा में पैतृक बैर के बीज सदैव से पनपे हुये थे । वारेन हेस्टिंग्स यह अच्छी तरह जानता था कि चेतसिंह नवाब के लिये अदम्य है ।[४१]

हेस्टिंग्स द्वारा लगाया गया असीमित कर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता ।

राजस्व एकत्रित करने का कार्य महीपनारायण सिंह को सौंप देने पर भी अंग्रेजों ने बनारस में न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार अपने पास रखा । महीपनारायण सिंह अल्प-वयस्क था । यह तर्क देकर कि राजस्व संग्रह का कार्य संतोषप्रद

४०- फारेस्ट--`सेलेक्शन फ्राम लेटर्स डिस्पैचेज़ ऐन्ड अदर स्टेट पेपर्स इन दी फारेन डिपार्टमेन्ट आफ गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ।` जिल्द १, पृष्ठ २२० ।

४१- सम्पूर्णानन्द-- `चेतसिंह और काशी का विद्रोह`, पृष्ठ २३ ।

नहीं हो रहा है, लार्ड कार्नवालिस की सरकार ने उसे यह कार्य अंग्रेजों को सौंप देने के लिये अत्यधिक विवश किया ।[४२] महीप नारायण ने इस प्रस्ताव का विरोध करने का प्रयास किया किन्तु अन्तत: उसे स्वीकार करना पड़ा । १७९४ में उसने राजस्व और न्याय प्रशासन अंग्रेजों को समर्पित कर दिया और इस प्रकार राजकुमार का दर्जा खो दिया । जुलाई १७९४ में डंकन ने सूचना दी कि राजा बनारस में अंग्रेजी प्रशासनिक ढंग लागू करने के लिये सहमत है किन्तु शर्त यह है कि उसके पारिवारिक जिले और सम्पत्ति पूर्ववत् व्यवस्था में रहें । अक्तूबर माह में स्वीकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गये और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के ढंग का नया प्रशासन प्रारम्भ हुआ ।[४३] इस प्रकार १७९५ में बनारस राज्य का प्रशासन बंगाल की तरह हो गया । एक न्यायाधीश और परीक्षक बनारस, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर तथा जौनपुर में नियुक्त किये गये और एक जिलाधीश पूरे प्रान्त के लिये नियुक्त किया गया । प्रथम जिलाधीश श्री एलेक्जेंडर डंकन थे जिन्होंने डंकन रेजीडेन्ट के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया । १७९६ तक यही व्यवस्था बनी रही और कार्य होता रहा। सैमुअल डेविस बनारस का प्रथम जज और मजिस्ट्रेट, कोलबुक मिर्ज़ापुर के, जान रैली जौनपुर और जैकब राबटर गाज़ीपुर के थे । रैली एक कनिष्ठ अधिकारी थे, इसलिये उन्होंने अल्पकाल तक ही कार्य किया । उनका स्थान ए० बेलेन्ड ने लिया । १८०० में गाज़ीपुर में जज का पद समाप्त कर दिया गया और यह क्षेत्र जौनपुर एवं मिर्ज़ापुर के जजों

४२- प्रो० ए० एस० अल्टेकर-- `हिस्ट्री आफ बनारस`, पृष्ठ ६६ ।

४३- डगलस डेवर -- `ए हैन्डबुक आफ दी इंग्लिश प्री म्युटनी रेकार्ड्स`, पृष्ठ २६० ।

में विभक्त कर दिया गया ।[४४] इस प्रकार क्रमश: ब्रिटिश शासन द्वारा बनारस मण्डल के निकट के जनपदों को भी समेट लेने का प्रयास चलने लगा । उनके प्रभाव में सर्वप्रथम जौनपुर, तत्पश्चात् गाज़ीपुर और फिर मिर्ज़ापुर भी आ गया । १७२२ तक जौनपुर जनपद अवध के नवाब के पास था किन्तु शीघ्र ही इस प्रकार जौनपुर के किले को छोड़ कर सम्पूर्ण भाग मनसाराम के परिवार की ही संरक्षण में था। यद्यपि १७५० में बंगश नवाब (फर्रुखाबाद) ने अवध के नवाब को पराजित कर इस पर अपना अधिकार कर लिया था । उसके पश्चात् १७७५ में अंग्रेज़ों ने इसे बनारस प्रान्त की सीमा में सम्मिलित कर लिया । १८२२ में गउवा टप्पा जौनपुर को दे दिया गया । इसका अनुसरण १८३३ में दाउनका और सिंगरामऊ के द्वारा हुआ । १८३४ में दो और भी गांव जौनपुर में सम्मिलित किये गये । सीमा में पुन: परिवर्तन हुआ और परगना पंडरहा के पांच गांव जौनपुर में सम्मिलित कर लिये गये । १८७७ के इस परिवर्तन के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।[४५] १८१८ में गाज़ीपुर जनपद अस्तित्व में आया । यद्यपि इसके पूर्व ही २१ मई १७७५ में गाज़ीपुर जनपद को सन्धि के द्वारा कम्पनी ने बनारस प्रान्त में स्वीकार कर लिया था । किन्तु पूर्ण-रूपेण प्रशासन की दृष्टि से वह १८१८ में ही अस्तित्व में आया ।

४४- डगलस डेवर --`ए हैन्डबुक आफ दी इंग्लिश प्री म्यूटनी रेकार्ड्स`, पृष्ठ २६१ ।

४५- `डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर`, पृष्ठ ३०३, एवं `इम्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया`, जिल्द १४, पृष्ठ ७५, ७६ ।

१७६५ से १८१८ तक इस क्षेत्र का प्रशासन बनारस के कलेक्टर द्वारा होता था जबकि गंगा के उत्तरी क्षेत्र के अपराधी व्यक्तियों को दण्डित करने का अधिकार जौनपुर के जज एवं मजिस्ट्रेट को था तथा दक्षिण के परगनों का अधिकार मिर्ज़ापुर के जज और मजिस्ट्रेट को सौंपा गया था । मूलरूप से यह जिला बहुत बड़ा था । आधुनिक बलिया के अतिरिक्त नारवन बनारस में, चौसा शाहाबाद में, सगड़ी, घोसी, मऊ और मोहम्मदाबाद के परगने आज़मगढ़ में सम्मिलित थे । १८८४ में सरयु नदी के किनारे के बारह गांव डेम्मा परगने सहित इस जिले को वापस दे दिये गये । १ फरवरी, १७८८ में बनारस के रेजीडेन्ट जोनीथन डंकन ने मौलवी उमर अली को गाज़ीपुर के जज एवं मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया था जिन्हें पुलिस प्रशासन का कार्य भी सौंपा गया था । इसके बाद के वर्षों में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये थे किन्तु सीमा सम्बन्धी यह परिवर्तन १८५७ के पश्चात् ही हुये थे ।[४६] जहां तक मिर्ज़ापुर के जज और मजिस्ट्रेट का सम्बन्ध है इसके विषय में यह स्पष्ट है कि ३० सितम्बर, १७६५ में मिर्ज़ापुर में जज और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई थी । यह कार्य तब सम्भव हो सका जब बनारस में कलेक्टर के पद का उद्भव हुआ । मिर्ज़ापुर में व्यापारिक चुंगी एकत्रित करने के लिये एक कलेक्टर की नियुक्ति अवश्य हुई थी किन्तु पूर्णरूप से राजस्व एकत्र करने के लिये कलेक्टर की व्यवस्था नहीं थी । मिर्ज़ापुर का नया कलेक्टर वास्तव में

४६- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर गाज़ीपुर, पृष्ठ ३१८ ।

१ नवम्बर, १८३० से प्रभाव में आया ।[४७] १८१२ में एक रेजीडेन्ट संयुक्त मजिस्ट्रेट गाज़ीपुर में नियुक्त हुआ । पहले वृत्तिभागी अधिकारी डब्लू ओव थे । १८१७ में एक अलग से जिलाधीश गाज़ीपुर के लिये नियुक्त किया गया । श्री आर० बारबर ने इस पद पर १० वर्षों तक कार्य किया । १८२० में गाज़ीपुर के संयुक्त मजिस्ट्रेट जज और मजिस्ट्रेट हो गये । १८१८ में जौनपुर में तथा १८३० में मिर्जापुर में जिलाधीश की नियुक्ति की गई ।[४८] १८२९ में राजस्व और भ्रमण के आयुक्त नियुक्त किये गये थे । आठवें मण्डल के आयुक्त का मुख्यालय बनारस था । उसके मण्डल में बनारस, मिर्ज़ापुर तथा जौनपुर जिले थे। गाज़ीपुर, गोरखपुर और आज़मगढ़ जिलों से नौवां गोरखपुर मण्डल बना। जून १८३५ में एक सामान्य पुनर्व्यवस्था के अन्तर्गत सेशन जजों की नियुक्ति की व्यवस्था ने आयुक्त के पदों को आवश्यक मात्रा में भंग कर दिया और उन्हें भ्रमण कार्य से मुक्त कर दिया गया । एक अन्य परिवर्तन के अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल भंग कर दिया गया और उसके तीन जिलों गोरखपुर, आज़मगढ़ और गाज़ीपुर को बनारस मंडल में स्थानान्तरित कर दिया गया । १८५२ में पुन: गोरखपुर मंडल की स्थापना हुई । अब बनारस मंडल में बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर जनपद ही शेष रहे । यही व्यवस्था १८५७ तक बनी रही । इस प्रकार १८५७ में मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर और जौनपुर जनपद ही बनारस मंडल में थे ।[४९]

- ० -

४७- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्ज़ापुर, पृष्ठ १५४, १५५, १५६ ।

४८- डगलस डेवर —'ए हैन्ड बुक टू दी इंग्लिश प्रीम्युटनी रैकार्ड्स', पृष्ठ २६० ।

४९- वही, पृष्ठ २६१ ।

द्वितीय अध्याय

-0-

१८५७ के विद्रोह के कारण

द्वितीय अध्याय

-o-

१८५७ के विद्रोह के कारण

सामान्य कारण

१८ ५७ का विद्रोह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है । एक दृष्टि से इस सन्दर्भ में इसे युग-प्रवर्तक घटना माना जा सकता है क्योंकि यह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवादी युग को उसके सुदृढ़ीकरण के युग से पृथक करता है । साथ ही यह विद्रोह विदेशी सत्ता के विरुद्ध विश्रृंखलित एवं असंगठित प्रयासों के दौर की समाप्ति एवं एक सुदृढ़ तथा संगठित राष्ट्रीय चेतना के युग के प्रारम्भ का भी द्योतक है ।

इस विद्रोह के पश्चात् अनेकों वर्षों तक प्रशासकों, राजनेताओं, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, पत्रकारों तथा सामान्यजनों ने, ब्रिटेन एवं भारत में, इसके कारणों तथा चरित्र के विषय में व्यापक विवाद किया ।[१] पुस्तकों, समाचारपत्रों,भाषणों

१- "१८५७ की घटनाएं दीर्घकाल से कटु विवाद का विषय रही हैं तथा उन्होंने भारतीय इतिहास की किसी अन्य घटना से अधिक भावना प्रधान साहित्य को जन्म दिया है । विद्रोह से प्रभावित तथा उसी सुस्पष्ट व्याख्या के लिये प्रयत्नशील तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने परस्पर विरोधी विचारों की जटिल श्रृंखला प्रस्तुत

एवं अन्य मौखिक एवं मुद्रित माध्यमों से इस पर विभिन्न विचार व्यक्त किये गये । आज भी इतिहासवेत्ता इस घटनाक्रम के पुनरावलोकन में कोई समान निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये हैं ।[२]

की । पूर्व में हुये इस महान् संकट के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की इंग्लैन्डवासियों की व्यापक पिपासा के शमन के लिये इंग्लैन्ड में इस घटना-चक्र से बचकर लौटने वालों, सैनिकों, पैम्फलेट लेखकों एवं राजनीतिज्ञों प्रत्येक ने अपनी-अपनी व्याख्या प्रस्तुत की । समय बीतने के साथ अधिक मात्रा में वैचारिक सम्मति प्रस्तुत न हो पाई । अवकाश प्राप्त (ब्रिटिश) अधिकारी, जिसकी दृष्टि में विद्रोह ब्रिटिश राज्य के शान्त जल सतह पर एक क्षणिक लहर मात्र थी तथा युवा भारतीय राष्ट्रवादी, जिसने इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में देखा, के मध्य बहुत कम समानता थी । आज भी यह जीवन्त विवाद बना हुआ है तथा १९५७ में हुये शताब्दि समारोहों के दौरान मत मतान्तरों की नयी बाढ़ सी प्रस्तुत हुई ।'

— टी० आर० मैटकाफ, 'आफ्टर मार्थ आफ रिवोल्ट इंडिया (१८५७-१८७०)', पृष्ठ ४६ ।

२- 'अब जब कि (ब्रिटिश) साम्राज्य पूर्णरूप से विलुप्त हो गया है, एवं उसके समर्थन के लिये इतिहासकार की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही है, चिन्तना के स्तर पर विद्रोह के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण लगभग एकरूप हो गये हैं । इस विचार पर व्यापक सम्मति है कि यह मात्र सिपाही विप्लव से कुछ अधिक तथा राष्ट्रीय विद्रोह से कुछ कम था ।'

-- मैटकाफ, वही, पृष्ठ ६० ।

१८५७ के विद्रोह पर हुये इस व्यापक वाद-विवाद के दौरान इस घटना के स्वरूप पर व्यक्त अभिमतों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य दृष्टिगत होता है। इतिहास का कोई भी गम्भीर विद्यार्थी अब इस विद्रोह को आकस्मिक एवं तात्कालिक कारणों एवं घटनाओं की निष्पत्ति नहीं मानता है। ब्रिटेन एवं भारत, दोनों देशों के बुद्धिजीवी इसे न तो ब्रिटिश सत्ताधारियों द्वारा आरोपित मात्र सैनिक विद्रोह और न ही भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम मानते हैं, वरन् इसे इन दोनों निर्णयों के मध्य व्यापक जन विद्रोह के रूप में देखते हैं।[3]

इस विद्रोह के विषय में जो अभिधारणा अब स्वीकृति प्राप्त कर रही है वह यह है कि यह कतिपय गूढ़ एवं सुदूरवर्ती कारणों का परिणाम था। इसको जन्म देने वाले तत्व प्लासी के युद्ध के पश्चात् से ही प्रभावी रूप में क्रियाशील हो गये थे तथा जैसे - जैसे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार होता गया, यह तत्व भी और तीव्रता से विकसित हुये। जिन क्षेत्रों में यह विद्रोह व्याप्त हुआ, वहां यह तत्व चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुके थे और उनकी निष्पत्ति ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध व्यापक जन-विद्रोह के रूप में विस्फुटित हुई।[4] यह विद्रोह न केवल ब्रिटिश सत्ता की नीतियों में मूलभूत परिवर्तन लाने में प्रभावशाली

३- ताराचंद - 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास', भाग २, पृष्ठ ४६।

४- सुधीर चन्द्र - 'डिपेन्डेन्स एण्ड डिसइल्यूजन्मेन्ट', पृष्ठ १-२०।

सिद्ध हुआ, वरन् इसने भारतीय जन मानस को भी एक नवीन दिशा एवं नवीन स्वरूप प्रदान किया ।[५]

विद्रोह के सर्वव्यापी कारण

१८५७ का विद्रोह मूलभूत रूप से भारत में ब्रिटिश सत्ता, जो कि उस समय औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कम्पनी में निहित थी, की नीतियों एवं कार्यों के प्रति अधिकांशत: उन क्षेत्रों की, जो कि अर्वाचीन उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश राज्यों में सम्मिलित हैं, जनता के महत्वपूर्ण वर्गों की तीव्र प्रतिक्रिया थी ।[६] ब्रिटिश नीतियों ने जो अन्तिम रूप प्राप्त किया (जिसे लार्ड डलहौजी का शासन सर्वाधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है), यह प्रतिक्रिया न केवल उसके विरुद्ध थी वरन् इन नीतियों के ऐतिहासिक विकास से सम्बद्ध घटनाओं से भी प्रेरित थी ।[७]

विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह का सूत्रपात ईस्ट इंडिया कम्पनी की 'भारतीय' सेना की टुकड़ियों ने किया था । इस सैनिक विद्रोह के अपने कुछ कारण थे, परन्तु इन कारणों को सामान्य ब्रिटिश नीति से पृथक नहीं देखा जा सकता है । सैनिक विद्रोह ने जन-विद्रोह के तात्कालिक कारण का रूप दो दृष्टियों से ग्रहण किया,

---

५- ताराचंद—'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास', भाग २, पृष्ठ ४६ ।

६- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय—'दी सिपाय म्युटनी १८५७', पृष्ठ १-२० ।

७- सुरेन्द्रनाथ सेन —'एट्टीन फिफ्टी सेविन', पृष्ठ X-XIII

प्रथमत:, जनता के विभिन्न वर्ग जो ब्रिटिश नीतियों से संत्रस्त एवं उनके प्रति सशंकित थे, इस सैनिक विद्रोह से ब्रिटिश सत्ता के सशस्त्र विरोध की ओर प्रेरित एवं प्रोत्साहित हुये एवं द्वितीय, भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सत्ता का आधार यह भारतीय सेना ही थी और इसमें विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को कुछ समय तक नि:शस्त्र एवं निष्प्रभावी बना दिया, जिसमें असन्तुष्ट जनता को न केवल सुविधापूर्वक विद्रोह करने का अवसर मिला वरन् विद्रोह का प्रसार भी बिना रोक-टोक शीघ्रता से हो गया।[८]

इस तथ्य के सन्दर्भ में ही विद्रोह के सामान्य कारणों के विश्लेषण का प्रयास किया जाएगा। इस विश्लेषण में भारत में ब्रिटिश सत्ता के साम्राज्यीय स्वरूप तथा उसकी आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक नीतियों को विद्रोह के मूलभूत एवं सैनिक विद्रोह को उसके तात्कालिक कारण के रूप में पुनरावलोकित किया जायेगा। विश्लेषण का यह प्रारूप न केवल विद्रोह के गूढ़ एवं जटिल कारणों की व्याख्या प्रस्तुत करेगा वरन् उसके अल्पकालिक अस्तित्व के कारणों एवं उसके चरित्र को भी प्रकाशमान करेगा।

(अ) ब्रिटिश सत्ता की साम्राज्यीय नीति

विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन का अनुसन्धान करने वाले व्याख्याकारों ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि साम्राज्य निर्माण के तरीके काफी हद तक उन तत्वों

८- एस० बी० चौधरी -'सिविल रिबेलियन इन दी इन्डियन म्यूटनीज़', पृष्ठ २५८-२५९।

को जन्म देते हैं जो कि साम्राज्य के अस्तित्व को अन्ततोगत्वा चुनौती देते हैं। किसी भी क्षेत्र में स्थापित साम्राज्यीय सत्ता उस क्षेत्र में क्रियाशील साम्राज्य-विरोधी शक्तियों का दमन करने में दो ही परिस्थितियों में सफल हो सकती है या तो वह इतनी सुदृढ़ हो कि उस क्षेत्र में साम्राज्यीय सत्ता की स्थापना से पूर्व शक्तिशाली तत्वों का पूर्णरूप से दमन कर सके अथवा वह अपनी नीतियों को ऐसा लोकप्रिय स्वरूप प्रदान कर सके कि जनसाधारण उसके प्रति सहानुभूति एवं समर्थन की प्रवृत्ति अपना ले, ताकि वह साम्राज्यीय सत्ता विरोधी तत्वों के दमन में जनसाधारण के व्यापक वर्गों की सहायता प्राप्त कर सके।[९] १८५७ का विद्रोह इस धारणा की पुष्टि करता है।

१८५७ के विद्रोह में निहित ब्रिटिश सत्ता के प्रति प्रथम समवेत प्रतिक्रिया प्लासी के युगान्तरकारी युद्ध (१७५७), जिसने प्रथम बार प्रभावशाली रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की राजनीतिक सत्ता का सूत्रपात किया था, के ठीक सौ वर्ष पश्चात् हुई थी। सौ वर्षों के इस अन्तराल का १६ वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकारों ने यह अर्थ लगाया था कि भारतीय जनमानस निष्क्रिय है। परन्तु वास्तव में यह अन्तराल ब्रिटिश सत्ता में शनैः शनैः विस्तार का द्योतक है।[१०] भारतीय रंगमंच पर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एक व्यापारिक

९- स्काटनियरिंग —'दी ट्रेजडी आफ इम्पायर', पृष्ठ ३३-३५।

१०- सुरेन्द्रनाथ सेन — पूर्व उद्धृत, पृष्ठ x-xii

प्रतिष्ठान के रूप में पदार्पण किया था तथा उसने मुगल सत्ता अथवा स्थानीय शासकों से प्राप्त सनदों, फरमानो एवं अधिकारपत्रों के माध्यम से विधि-सम्मत व्यापार एवं वाणिज्य स्थापित किया। मुगल सत्ता के क्रमबद्ध विघटन से उत्पन्न राजनीतिक अराजकता से लाभ उठाकर कम्पनी ने भारतीय राजनीति में अधिकाधिक हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया तथा इस प्रकार पहले दक्षिणी भारत में तथा तत्पश्चात् बंगाल में सुदृढ़ राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया।[११] इस प्रक्रिया के साथ-साथ ब्रिटिश कम्पनी भारत में अन्य योरोपीय व्यापारिक प्रतिष्ठानो के वाणिज्य एवं राजनीतिक प्रभाव को निरस्त करती गई। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों में उसे बंगाल में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सुविधा हुई तथा उसने मीर कासिम की पराजय के पश्चात् पतनोन्मुख मुगल सत्ता से, जिसमें कि उस समय वैधानिक रूप से सत्ताधिकार निहित था, बंगाल प्रान्त की दीवानी प्राप्त कर ली। इसके बाद निजामत के अधिकार का नवाब द्वारा हस्तान्तरण, द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना एवं १७७२ में वास्तविक सत्ता के रूप में अधिकार का ग्रहण बंगाल में कम्पनी की सुदृढ़ सैनिक प्रधानता की तार्किक निष्पत्ति ही थी।[१२] इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कम्पनी का बंगाल में सत्ता ग्रहण का प्रारम्भिक ध्येय व्यापारिक सुविधा की स्थापना थी, परन्तु शीघ्र ही राजनीतिक प्रशासन ने व्यापारिक विस्तार में समकक्ष महत्व प्राप्त

११- ताराचंद — 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास', भाग १, पृष्ठ २१२ (१९६५ दिल्ली)।

१२- वही, पृष्ठ २६० ।

कर लिया ।[१३] बंगाल में अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये न केवल कम्पनी ने प्रशासकीय एवं राजस्व संस्थाओं की स्थापना की[१४] वरन् आस पास के क्षेत्रों के शासकों को अपने राजनीतिक प्रभाव में लाने के प्रयत्नों का भी सूत्रपात किया । इसका परिणाम था सहायक सन्धि व्यवस्था का विकास और एक-एक करके प्रभावशाली स्थानीय शासकों का कम्पनी के राजनीतिक जाल में बंधते जाना ।[१५] कम्पनी ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत् भारतीय शासकों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रित किया और क्षेत्र अपने नियन्त्रण में समाविष्ट किये । कुछ परिस्थितियों में कम्पनी को युद्ध भी करने पड़े परन्तु अपने सैनिक संगठन की श्रेष्ठता के फलस्वरूप उसे सदैव सफलता मिली ।

मराठा मण्डल की पराजय के पश्चात् विस्तार की प्रक्रिया और तीव्र हो गई एवं सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्नता (Paramountcy)[१६] के सिद्धान्तों के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्रों पर कम्पनी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियन्त्रण स्थापित हो गया । सर्वोच्च सत्ता के सिद्धान्त के प्रतिपादन के पश्चात् भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को एक वैधानिक एवं विधि-सम्मत स्वरूप प्राप्त हुआ । परन्तु युद्ध को क्षेत्र एवं सत्ता के विस्तार के साधन के

१३- बी० बी० मिश्रा —'दी सेन्ट्रल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दी ईस्ट इंडिया कम्पनी'(१७७३-१८३४) पृष्ठ ४-५ ।

१४- वही, पृष्ठ २३-४०, १०८-१२०, २२६-२६१, ३०७-३२० ।

१५- डब्लू० एच० हटन —'दी मारक्विस वैलेज्ली', पृष्ठ ६७, १०४,१३४।

१६- एस० एन० प्रसाद—'पैरामाउन्टसी अन्डर डलहौजी', पृष्ठ १५५ ।

रूप में त्यागा नहीं गया-सिंध,पंजाब एवं बर्मा के विजय इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं ।[१७]

ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के उपरोक्त सिंहावलोकन का उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करना है कि यह प्रक्रिया अचानक न होकर इस प्रकार हुई कि भारतीय जनमानस इस साम्राज्यीय विकास के प्रति सचेत नहीं हो पाया । परन्तु डलहौजी के कार्यकाल में प्रस्तुत विलय नीति (Doctrine of Lapse) एवं उसके अन्तर्गत अनेकों भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता का आरोपण तथा डलहौजी की अन्य साम्राज्यवादी गतिविधियों ने भारतीय जनता के सम्मुख ब्रिटिश सत्ता की असीम शक्ति उसकी असमन्यता तथा उसकी स्वेच्छाचारिता को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया ।[१८] पहली बार भारतीय मानस को ब्रिटिश सत्ता के साम्राज्यवादी रूप का स्पष्ट अनुभव हुआ और उसकी साम्राज्यीय नीति के हिंसात्मक रूप का आभास हुआ जिसके क्रमबद्ध अनावरण ने उसके हिंसात्मक पहलू को स्पष्टत: प्रकाशमान नहीं किया था । इसके कारण भारतीय जनमानस का एक वृहत् भाग साम्राज्यीय विस्तार के प्रति हिंसात्मक प्रतिक्रिया की ओर प्रेरित हुआ, क्योंकि यह एक सर्वविदित ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हिंसा का आभास हिंसा को प्रेरित करता है । १८५७ के

१७- के० एण्ड मैलसन - `हिस्ट्री आफ दी इंडियन म्युटनी`
भाग १, पृष्ठ ७४ ।

१८- सुरेन्द्र नाथ सेन -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३७-३८, एवं मेजर ई०बेल--
`दी इम्पायर इन इंडिया`, पृष्ठ १२७-१३४ ।

सैनिक विद्रोह ने हिंसात्मक प्रतिकार की भावना को जन विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होने का अवसर प्रदान किया ।[१६]

इस विवेचन से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि १८५७ के पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कम्पनी की सत्ता एवं उसकी नीतियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं किया गया । वास्तव में कम्पनी की सत्ता के प्रारम्भ काल से ही अनेक अवसरों पर विभिन्न क्षेत्रों में जनता के कुछ वर्गों ने ब्रिटिश साम्राज्यीय विस्तार का विरोध किया था ।[२०] एक दृष्टि से ईस्ट इंडिया कम्पनी की निर्विवाद सैनिक प्रधानता के बावजूद भारतीय शासकों द्वारा उसका सशस्त्र विरोध, जिसमें असफलता पूर्व निश्चित ही थी, इस भावना का द्योतक है । उपरोक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि १८५७ के विद्रोह के एक दशक पूर्व से यह भावना भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से प्रसारित होती जा रही थी कि ब्रिटिश सत्ता के मनमाने क्रियाकलापों का यदि प्रभावकारी विरोध न किया गया तो उसकी स्वेच्छाचारिता निस्सीम हो जायेगी और तत्पश्चात् १८५७ के सैनिक विद्रोह ने इस भावना को क्रियात्मक स्वरूप प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया ।[२१]

१६- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १५६-१८५, एवं
टी० आर० मेटकाफ - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५६-६४ ।

२०- जे० मे० मैल्कम -- 'स्केच आफ दी पोलीटिकल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृष्ठ ३३ ।

२१- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २० ।

ब्रिटिश सत्ता के सतत् विस्तार से उत्पन्न यह असन्तोष मुख्य रूप से उस वर्ग में व्याप्त था जिसमें कि कम्पनी के साम्राज्य की स्थापना से पूर्व विभिन्न राज्यों का शासनाधिकार न्यस्त था, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने इस वर्ग को शासन से च्युत कर इसके अधिकारों एवं सुविधाओं को समाप्त कर दिया था । इस वर्ग में विभिन्न राज्यों के शासक ही सम्मिलित नहीं थे, वरन् उनकी शासन व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न प्रशासकीय विभागों एवं संस्थाओं के पदाधिकारी भी थे । यह वर्ग जनता को `प्राकृतिक नेतृत्व` प्रदान करता था, अत: जनता इन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखती थी तथा इनमें आस्था रखती थी । शासनाधिकार से इनके अलगाव ने जनता को भी उद्वेलित किया ।[२२] परन्तु जनता का ब्रिटिश सत्ता के प्रति असन्तोष कुछ अन्य कारणों से था । इस असन्तोष के आर्थिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों का विवेचन अध्याय के आगामी खंडों में किया जायेगा । इस खंड में साम्राज्यीय व्यवस्था के उन अन्य पहलुओं पर प्रकाश डाला जायेगा जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति असन्तोष उत्पन्न करने में सहायक हुये ।

ब्रिटिश साम्राज्यीय व्यवस्था भारत के पूर्ववर्ती साम्राज्यों से सर्वथा भिन्न थी । इस भिन्नता का एक कारण यह था कि पूर्ववर्ती साम्राज्यनिर्माता एवं पोषक या तो भारतीय थे, या

२२- सुरेन्द्र नाथ सेन -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३६-३९,

हरप्रसाद चट्टोपाध्याय-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४१-४२ ।

विदेशों से आने के पश्चात् भारतीय हो गये थे, जबकि ब्रिटिश सत्ता प्रारम्भ से अन्त तक स्वयं को भारतीय उपमहाद्वीप में आत्मसात् करने के स्थान पर विदेशी स्वरूप ही ग्रहण किये रही ।[२३] ब्रिटिश सत्ता की प्रशासनिक एवं न्याय प्रशासनिक व्यवस्था भी भिन्नता का एक मुख्य कारण था । पूर्ववर्ती साम्राज्यों के प्रशासनतन्त्र लचीले थे । सर्वसाधारण के दैनिक जीवन एवं क्रियाकलापों में प्रशासक पूर्णरूप से हस्तक्षेप कदापि नहीं करते थे ।[२४] अनेक मामलों में यह प्रशासनिक व्यवस्थाएं जनता की परम्परागत जीवन प्रणाली का समादर करती थीं । शासन तन्त्र की संरचना सरल थी तथा वह जिन सिद्धान्तों पर आधारित था वह जनता के लिए सुगम था ।[२५] प्रशासकों का जनता से सीधा सम्पर्क था तथा जनता के प्रति उनका व्यवहार औपचारिकता के कठोर बन्धनों से मुक्त था । समयानुसार वे स्वेच्छाचारिता एवं अत्याचार का भी आश्रय लेते थे, किन्तु "जनमत, कार्यसाधकता एवं कुछ वैयक्तिक विचार उनके प्रजापीड़न को सदैव

२३- एस० आर० शर्मा --`दी क्रीसेन्ट इन इण्डिया` (हिन्दी रूपान्तर) पृष्ठ ६८८-६९० ।

२४- इश्तियाक हुसैन कुरैशी -- `दी एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी सल्तनत आफ दिल्ली `, पृष्ठ २०४-२१४, यू०एन० डे-- `एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ दिल्ली सल्तनत`(१२०६-१४१३), पृष्ठ ३२-८५, इब्न हसन --`दी सेन्ट्रल स्ट्रक्चर आफ दी मुगल इम्पायर`, पृष्ठ ३५५-३५६ ।

२५- वही --

सीमित रखते थे ।[२६] शासक तथा उनके कर्मचारियों की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता यदि पराकाष्ठा पर पहुंचती थी तो विधि एवं विद्रोह के भय का उन पर अंकुश लगा दिया जाता था ।[२७]

ईस्ट इंडिया कम्पनी का जो प्रशासन तंत्र उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में विकसित हुआ उसका स्वरूप परम्परागत प्रशासनिक परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल था । ब्रिटिश अधिकारी जातीय ज्येष्ठता की धारणा एवं जनसंख्या के अनुपात में अपनी अति न्यून संख्या के कारण जनता से आत्मीय सम्पर्क स्थापित नहीं करते थे । परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन न तो जनता की आकांक्षाओं को समझ पाता था और न ही जनता के हृदय में विश्वास उत्पन्न कर पाता था ।[२८] प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप अत्यन्त जटिल था

२६- जे० ए० हाब्सन -- 'इम्पीरियलिज्म ए स्टडी', पृष्ठ २६७ ।

२७- 'मध्ययुगीन शासकों में सामान्य जनता के दिन प्रतिदिन के जीवन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति नहीं थी ।'

विस्तृत विवरण के लिये देखिये --इश्तियाक हुसैन कुरैशी --'दी एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी सल्तनत आफ दिल्ली' (लाहौर १९४२), यू० एन० डे --'एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ दिल्ली सल्तनत'(१२०६-१४१३)(इलाहाबाद १९५९) इब्न हसन --'दी सेन्ट्रल स्ट्रक्चर आफ दी मुग़ल इम्पायर' (दिल्ली १९७०) ।

२८- सर सैयद अहमद खान --'असबाबे सरकशी हिन्दुस्तान' (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ ३, ११, १२, २५, ३५, ४२ ।

तथा वह जिन सिद्धान्तों पर आधारित था वह जनता के लिये दुरूह थे ।[२९] ऐसी स्थिति मुख्यत: न्याय प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था में दृष्टिगत होती है । दीवानी तथा फौजदारी वादों (Cases) का निर्णय जिन कार्यविधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों पर आधारित किये गए, वे यद्यपि हिन्दू तथा इस्लामी न्याय परम्पराओं की विशेषताओं को समाविष्ट करते थे, तथापि उनमें ब्रिटिश न्याय विधि के तत्वों की प्रविष्टि कुछ इस प्रकार से थी कि जनसाधारण को वे सर्वथा नवीन अनुभूत हुए ।[३०] न्यायालयों की श्रेणीबद्ध-व्यवस्था (hierarchy) यद्यपि न्याय एवं कार्यकुशलता की दृष्टि से उपयुक्त थी, तथापि वह खर्चीली एवं दीर्घसूत्री थी । प्राय: वादाकारी (Litigants) उसके वास्तविक स्वरूप से पूर्णरूपेण परिचित न होने के कारण संकट एवं असुविधा का सामना करते थे ।[३१] इन सभी कठिनाइयों को अधिकारियों तक पहुंचाना और उनसे मुक्ति पाना सरल न था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी जनता से निकट सम्पर्क स्थापित नहीं करते थे तथा भारतीय प्रशासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व एवं शक्ति के पदों से वंचित थे ।[३२] ब्रिटिश शासन प्रणाली का सबसे

२९- आर० सी० मजुमदार, सम्पादक -- 'दी हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी पीपुल' भाग ६, पृष्ठ ४०८-४१२ ।

३०- सुरेन्द्र नाथ सेन - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३१-३२ ।

३१- टी० आर० मैटकाफ -- पूर्व उद्धत, पृष्ठ ६२, मजुमदार--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३४३-३५२ ।

३२- सुरेन्द्रनाथ सेन- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३१ ।

बड़ा दोष यह था कि वह पूर्ववर्ती शासन प्रणाली की तुलना में जनता के सामान्य जीवन में आर्थिक हस्तक्षेप करती थी ।[33] पूर्ववर्ती शासन तन्त्र कर-संकलन तथा न्याय एवं व्यवस्था आश्वस्त करने के न्यूनतम साधनों के प्रबन्ध तक सीमित था ।[34] परन्तु ब्रिटिश अधिकारी प्रशासन को इतनी संकुचित सीमाओं में बांधने के पक्षपाती नहीं थे और वे सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि जन-साधारण के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की गहराई तक प्रशासन व्यवस्था का प्रभाव पहुंच सके । इसका परिणाम यह हुआ कि जनसाधारण के मस्तिष्क में ब्रिटिश शासन व्यवस्था अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने वाली तथा जनता के लिये कठिनाई उत्पन्न करने वाली प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित हुई ।[35]

इस भावना ने ब्रिटिश सत्ता के वैदेशिक स्वरूप को स्पष्ट किया । यद्यपि ब्रिटिश शासन तंत्र ने अपने आप को

३३- आर० सी० मजुमदार -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४१२-४१७ ।

३४- डब्लू० एच० मोरलैण्ड -- 'दी ऐग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इण्डिया' (इलाहाबाद १६२६), इरफान हबीब -- 'दी ऐग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया' (१५५६-१७०७) (दिल्ली १६६३), इब्न हसन -- 'दी सेन्ट्रल स्ट्रक्चर आफ दी मुगल इम्पायर' (दिल्ली १६७०) ।

३५- पी० गृफिथ्स -- 'दी ब्रिटिश इम्पैक्ट आन इण्डिया', पृष्ठ २२६-२३० ।

नियन्त्रित करने के अनेक अन्तर्निहित उपादानों का सृजन किया तथापि जनसाधारण को वह एक `अमानवीय, अप्रतिरोध्य एवं अप्रशम्य यन्त्र` के रूप में प्रतीत हुआ ।[३६] भू-राजस्व के संकलन तथा महाजनों के कानूनी दावों को प्रवर्तित करने का कठोर न्याय समदृष्टि के सिद्धान्तों के दुष्प्रयोग का प्रभावशाली दृष्टांत माना जा सकता है ।[३७] इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन में वैयक्तिक लिहाज तथा सहानुभूति के भावों का कोई स्थान नहीं था ।

ब्रिटिश प्रशासन के इस पहलू के विरुद्ध जन-असन्तोष होना स्वाभाविक ही था । वास्तव में १८५७ से पूर्व ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जितने विद्रोह हुये, उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि में प्रशासनिक कठोरता- जनित असन्तोष एक प्रमुख कारण था ।[३८] समसामयिक समीक्षकों ने ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने तथा इस परिस्थिति के सम्भावित भयावह परिणामों के प्रति उन्हें आगाह करने का यथाशक्ति प्रयास किया था, किन्तु उनके प्रयत्न असफल रहे ।[३९] १८५७ के विद्रोह की

३६- जे० ए० हाब्सन -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २१८ ।

३७- वही, पृष्ठ २१७ ।

३८- एस० बी० चौधरी--`सिविल डिस्टर्बेन्सेज ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल इन इण्डिया`, पृष्ठ २१३-२१५ ।

३९- डब्लू० एच० रसिल--`माई इण्डियन म्यूटनी डायरी`,सम्पादक माइकिल एडवर्ड पृष्ठ XXii -XXiii

घटनाओं में यह व्यापक जन असन्तोष स्पष्टत: दृष्टिगोचर होता है ।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि १८५७ के विद्रोह की पृष्ठभूमि में भारत में शनै: शनै: किन्तु प्रभावकारी रूप से विकसित ब्रिटिश साम्राज्यीय व्यवस्था के दोषों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ।

(आ) ब्रिटिश सत्ता की आर्थिक नीति

भारत में स्थापित ब्रिटिश सत्ता ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र के समान आर्थिक जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव डाला । १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में यह प्रभाव हानिकर एवं प्रतिकूल था तथा इसने जनमानस को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण योग दिया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों ने कृषि तथा वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन किये जो जनता के लिए कठिनाई के कारण बने ।[४०]

कृषि के क्षेत्र में कम्पनी की भू-राजस्व नीति का काफी प्रभाव पड़ा । १७६५ में बंगाल प्रान्त की दीवानी प्राप्त होने के समय से ही कम्पनी के पास भू-राजस्व संकलन के अधिकार आ गये थे । द्वैध व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भ में ब्रिटिश अधिकारियों ने भू-राजस्व संचय की परम्परागत व्यवस्था को बनाये रखा परन्तु

४०- आर० पी० दत्त -- `इण्डिया टुडे`, पृष्ठ ८०-९० ।

वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल से भू-राजस्व व्यवस्था में कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश किया ।[४१] १७९३ में घोषित स्थाई बन्दोबस्त के स्वीकृत होने तक भू-राजस्व के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गये किन्तु कम्पनी के अधिकारियों का यही प्रयास रहा कि स्थाई-बन्दोबस्त अथवा इसके समकक्ष कोई व्यवस्था कम्पनी के सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र में लागू की जाय ।[४२] कालान्तर में उत्तर भारत में अन्य प्रकार की भू-व्यवस्थाएं स्थापित की गईं, परन्तु इनमें (विशेष रूप से तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रान्तों में स्थापित तथाकथित महालवारी-बन्दोबस्त में) स्थाई बन्दोबस्त के अनेक पक्ष सम्मिलित किये गये ।[४३] यद्यपि इन व्यवस्थाओं में भू-स्वामियों की स्थिति और सुदृढ़ की गई तथा साधारण कृषक (अर्थात् रैयत) के अधिकारों को भी सुरक्षित रखने का वैधानिक प्रबन्ध किया गया, तथापि व्यवहारिक रूप से इन सभी व्यवस्थाओं ने भू-स्वामियों तथा

४१- आर० एम० मार्टिन -- `दी हिस्ट्री आफ दी इण्डियन इम्पायर`, भाग २, पृष्ठ २, बी० बी० मिश्रा -- `दी सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी` (१७७३-१८३४) पृष्ठ १०८-११५ ।

४२- बी० आर० मिश्रा -- `लैण्ड रेवेन्यू पालिसी इन दी युनाइटेड प्राविन्स अन्डर दी ब्रिटिश रूल`, पृष्ठ १५-३० ।

४३- वही -- पृष्ठ ५६-७१, बी० बी० मिश्रा -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २१३-२१६ ।

रैयत- दोनों वर्गों के हितों को क्षति पहुंचायी ।[४४]

इन भू-व्यवस्थाओं का प्रमुख दोष यह था कि भू-राजस्व की राशि निश्चित् एवं अधिक थी । परम्परागत भू-व्यवस्था में तत्कालीन प्रशासन भू-राजस्व के संकलन में अधिक कठोरता का प्रयोग नहीं करते थे तथा अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं अकाल जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं के पश्चात् राजस्व की राशि कम कर दिया करते थे । साथ ही किसी भी क्षेत्र से प्राप्य राजस्व के निर्धारण में स्थानीय भू-स्वामियों से परामर्श भी किया जाता था ।[४५] किन्तु ब्रिटिश सत्ता न केवल निर्धारित भू-राजस्व के पूर्ण संकलन पर बल देती थी, वरन् इस संकलन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देती थी ।

समय पर भू-राजस्व की अदायगी न किए जाने पर भू-स्वामियों की भूमि के एक निर्धारित भाग का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता था ताकि शेष धनराशि वसूल की जा सके । इसके परिणामस्वरूप अनेक प्रतिष्ठित भू-स्वामियों के परिवार उजड़ गये थे ।[४६] उनके स्थान पर नीलामी में भूमि क्रय करके

४४- टी० आर० मैटकाफ -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३२-६४ ।

४५- विस्तृत विवरण के लिए देखिये -- डब्लू० एच० मोरलैण्ड-- `एग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इण्डिया` (इलाहाबाद १६२६), इरफान हबीब -- `एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया` (दिल्ली १६२६) ।

४६- पी० गृफिथ्स -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १७२, सुरेन्द्रनाथ सेन-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३२-३४ ।

अनेक नवीन भू-स्वामी प्रतिष्ठित हो गए थे । "देश के सामाजिक इतिहास में यह (नव-भू-स्वामियों का) वर्ग एक नवीन तत्व प्रस्तुत करता था । इनमें न तो पुराने अभिजात्य वर्ग की कुलीनता थी और न ही नवजात पूंजीवाद की वह प्रगतिशील विचारधारा जो योरप के औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों से उत्पन्न हुई तथा सामन्तवादी सम्बन्धों की बेड़ियां तोड़ कर जिसने उदारवाद को जीवन के निर्धारक सिद्धान्त के रूप में स्थापित किया । वास्तव में यह वाणिज्यीय सामन्तवादियों का वर्ग था जिसका न तो वाणिज्य में स्वतन्त्र स्थान था और न ही भूमि में स्वाभाविक रुचि ।"[४७] इस घटनाक्रम से पुराने भू-स्वामियों में व्यापक असन्तोष तो उत्पन्न हुआ ही, साथ ही रैयत की स्थिति विकट होती गई क्योंकि इस नव-वर्ग के हृदय में रैयत के प्रति उस सहानुभूति का अभाव था जो पुराना भू-स्वामी वर्ग प्रदर्शित करता था । इस कारण रैयत के हृदय में तीव्र असन्तोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था ।

इसके अतिरिक्त रैयत की स्थिति भू-व्यवस्था के अन्य पहलुओं के कारण भी कठिन हो गई थी । अत्यधिक भू-राजस्व के कारण रैयत को उत्पादित फसल का एक अल्प भाग ही मिल पाता था जो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त न था ।[४८] परिणामस्वरूप वह बारम्बार समय पर राजस्व की

४७- बी० बी० मिश्रा-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १६६ ।

४८- डी० आर० गाडगिल-- 'दी इन्डस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ इण्डिया', पृष्ठ ३ ।

अदायगी कर सकने में अधिकतर असमर्थ थे। अतः या तो वह अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था अथवा उसे महाजनों के ऋणों का सहारा लेना पड़ता था।[४६]

भू-राजस्व की अदायगी, बेदखली तथा महाजनों के ऋणों की आपूर्ति के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों में ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था से राहत मिलना तो दूर, उसे प्रायः और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 'न्यायालयों द्वारा समर्थित एवं निष्पादित भू-सम्पत्ति के हस्तान्तरण की शीघ्रता का प्रबन्ध, उसके धारण-अधिकार की निश्चितता, बन्धक रखने की सुविधाएं, सभी निर्विवाद रूप से कृषक ऋण बद्धता के द्रुत विस्तार एवं ऋणदायक वर्गों को सम्पत्ति अधिकार के हस्तान्तरण में प्रभावकारी रूप से सहायक हुये।[५०] इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता द्वारा प्रतिष्ठापित भू-व्यवस्था रैयत के लिये कठिनाईजनक और प्रतिकूल सिद्ध हुई।

भू-स्वामियों एवं रैयत, दोनों के असन्तोष का १८५७ के विद्रोह को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान है। जनहित के विपरीत भू-राजस्व नीति ने कृषि-सम्बन्धों में अनिश्चितता एवं अशान्ति की स्थिति को जन्म दिया।[५१] जब तक ब्रिटिश सत्ता की

४६- आर० पी० दत्त-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २३५, सुरेन्द्र नाथ सेन--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३४।

५०- एरिक स्टोक्स--'दी इंग्लिश युटिलिटेरियन्स एण्ड इण्डिया', पृष्ठ २६७।

५१- हर प्रसाद चट्टोपाध्याय-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २०१, सुरेन्द्रनाथ सेन--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३५,३६, टी०आर० मेटकाफ--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६२।

शक्ति एवं प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान थे, यह उपेक्षा अपनी सीमाओं में बंधी रही किन्तु जैसे ही सिपाही विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को निश्चेष्ट कर दिया, ग्रामीण वर्गों को अपने असन्तोष को विद्रोह के माध्यम से मूर्तरूप प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो गया ।

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने इसी प्रकार की परिस्थिति उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भी उत्पन्न की । १८ वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व भारतीय औद्योगिक व्यवस्था एवं व्यापार अत्यन्त विकसित थे । ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी सत्ता प्राप्ति से पूर्व भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की इच्छुक थी ।[५२] इसका स्वर्णिम अवसर उसे बंगाल में सत्ता ग्रहण के पश्चात् प्राप्त हुआ । १९वीं शताब्दी के मध्य तक अपनी सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति से लाभ उठा कर ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय व्यापार के स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर दिया ।[५३] इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय उद्योगों के प्रति उसकी नीति पर्याप्त रूप में सहायक हुई ।

५२- आर० पी० दत्त -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ९५, पी० ग्रिफिथ्स--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ९०-९९ ।

५३- डी० आर० गाडगिल -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १४-१५, के० एन० चौधरी-- एकोनामिक डेवलपमेन्ट आफ इण्डिया अन्डर दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी`, पृष्ठ १, आर० पी० दत्त-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ११२-११५, विपिन चन्द्रा--`दी राइज़ एण्ड ग्रोथ आफ एकोनामिक नेशलिज़्म इन इण्डिया`, पृष्ठ १४३ ।

भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति के समकालिक था। ब्रिटेन के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सम्मुख उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादित वस्तुओं की खपत का प्रबन्ध करने की समस्या थी। दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य सहायक हो सकते थे, क्योंकि वहां से उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध हो सकता था तथा वहां की जनता उत्पादित वस्तुओं के लिए खपत हेतु एक व्यापक बाजार का प्रबन्ध कर सकती थी। भारत औद्योगिक कच्चे माल का व्यापक भण्डार था तथा भारत में उत्पादित वस्तुओं के खपत की अपार सम्भावना थी। परन्तु भारत की स्थानीय औद्योगिक व्यवस्था इन साध्यों की प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती थी क्योंकि न केवल भारत का कच्चा माल भारतीय उद्योग ही प्रयुक्त करते थे वरन् भारत के औद्योगिक उत्पादन भारत में ही नहीं ब्रिटेन तथा योरप में भी ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादनों से सक्षम प्रतिद्वन्द्विता करते थे।[५४]

भारत में ब्रिटिश प्रशासन की औद्योगिक नीति इन सभी परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई।[५५] कम्पनी का यह प्रयास था कि भारतीय उद्योगों का विकास अवरुद्ध

५४- विपिन चन्द्रा -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५५-५७, वीरा ऐन्स्टे--'दी एकोनामिक डेवेलपमेन्ट आफ इण्डिया', पृष्ठ ४-५, डी०आर० गाडगिल--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३४-३६।

५५- पी० ग्रिफिथ्स-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३६१-३७१ एवं ३६१-४०४।

हो जाये तथा भारत में कच्चे माल की खपत कम तथा ब्रिटिश औद्योगिक व्यवस्था के उत्पादनों का प्रसार अधिक हो।[५६] इस नीति का अभीष्ट परिणाम भारतीय औद्योगिक व्यवस्था के विनाश के रूप में १६ वीं शताब्दी के तृतीय दशक के अन्त तक प्राप्त हो गया था। यद्यपि यह सत्य है कि भारतीय उद्योगों की समाप्ति के अन्य आन्तरिक एवं बाह्य कारण भी थे[५७] किन्तु सुविचारित ब्रिटिश नीति ने उनका अन्त करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय उद्योगों के विनाश के कारण न केवल व्यापक बेरोजगारी बढ़ी वरन् कृषि योग्य भूमि पर दबाव भी बढ़ने लगा। जनता के समक्ष अधिकाधिक कृषि द्वारा आजीविका का प्रबन्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपादान नहीं था।[५८] औद्योगिक उद्योगपति ने इस प्रकार जनमानस की अशान्ति का एक अन्य स्रोत उपस्थित किया। यद्यपि तत्कालीन जन-मानस ब्रिटिश नीति एवं औद्योगिक अवनति के पारस्परिक सम्बन्ध को स्थापित करने में सक्षम नहीं था, किन्तु ब्रिटिश सत्ता के विस्तार एवं भारतीय उद्योगों के क्रमबद्ध विनाश की प्रक्रिया की समसामयिकता दोनों के अंतरंग सम्बन्ध की द्योतक थी।

सर्वसाधारण के सम्मुख यह एक निर्विवाद सत्य

५६- रमेश दत्त -- 'एकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया अन्डर दी अर्ली ब्रिटिश रूल', पृष्ठ २५६-२६०।

५७- डी० आर० गाडगिल-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३८-४३।

५८- वही -- पृष्ठ ४५।

था कि जनता की आर्थिक स्थिति के ह्रास में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की भूमिका व्यापक रही है।[५६] इस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक नीतियां भी उस समिधा का अंग थीं जिसने १८५७ के विद्रोह की अग्नि को प्रज्ज्वलित किया।

(ख) ब्रिटिश सत्ता की सामाजिक नीति

लार्ड विलियम बैंटिंक के कार्यकाल (१८२८-१८३५) से पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपने शासित क्षेत्र की जनता के सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध थी।[६०] विशेष रूप से ब्रिटिश सत्ता ने सदैव सामाजिक कुरीतियों, अमानवीय प्रथाओं एवं अन्धविश्वासों के विषय में अपने अधिकारियों के दबाव के बावजूद भी औपचारिक तटस्थता की नीति का अनुसरण किया था।[६१] यहां तक कि ब्रिटेन के विभिन्न प्रभावशाली वर्गों की दृढ़ मांग होने पर भी १८१३ तक ईसाई धर्म प्रचारकों की ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबन्ध था।[६२] सती प्रथा एवं बालिका हत्या के जघन्य कृत्यों से सम्बन्धित पारित आदेशों का आशय बलपूर्वक परिवर्तन अथवा प्रतिबन्ध के स्थान पर परम्पराओं के पालन कर्ताओं

५६- पी० गृफिथ्स -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १०३-१०४, आर० सी० मजुमदार-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४१२-४१७, सुरेन्द्र नाथ सेन--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३६।

६०- टी० आर० मैटकाफ-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६, एरिक स्टोक्स-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६-२५।

६१- टी० आर० मैटकाफ-- वही, पृष्ठ ३-७।

६२- आर० सी० मजुमदार-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४१८।

पर नैतिक दबाव डालकर अथवा उन्हें समझा-बुझा कर, उनकी सहमति अथवा स्वेच्छा से, इनके परित्याग के लिए उन्हें प्रेरित करना था ।[६३] औपचारिक सामाजिक तटस्थता की इस नीति के तीन प्रमुख कारण थे । प्रथम, ब्रिटिश सत्ता की राजनीतिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि उसमें सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने योग्य आत्मविश्वास उत्पन्न होता,[६४] द्वितीय, ईस्ट इण्डिया कम्पनी धर्म निरपेक्ष सत्ता के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करना चाहती थी[६५] तथा, तृतीय, सत्ता का यह अनुभव था कि सामाजिक प्रथाओं में परिवर्तन अथवा उनके उन्मूलन सम्बन्धी आदेशों की जन-प्रतिक्रिया प्रतिकूल होती थी : उदाहरणस्वरूप १८०६ में मद्रास महाप्रदेश में लार्ड विलियम बैंटिक के ही गवर्नर के रूप में कार्यकाल

६३- देखिये -- 'दी फिफ्थ रिपोर्ट फ्राम दी सिलेक्ट कमेटी आन दी अफेयर्स आफ दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी (लन्दन १८१२) प्रथम खण्ड- बंगाल प्रेसिडेन्सी-मद्रास, (जे० हिगिन-बाथम, १८६६, पृष्ठ ५१) अतिरिक्तत: देखिये- पी० गृफिथ्स--'दी ब्रिटिश इम्पैक्ट आन इण्डिया', पृष्ठ २१०-२१५, तथा २१६-२२३ ।

६४- पी० गृफिथ्स -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २२२, एरिक स्टोक्स- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ।

६५- एरिक स्टोक्स -- वही, पृष्ठ २-४ ।

के समय कम्पनी के सैनिकों को परेड के समय मस्तक पर लगाये गये चन्दन आदि के टीके मिटाने के आदेश से मद्रास की भारतीय सैनिक टुकड़ियों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ।[६६]

परन्तु १८१५ के पश्चात् स्थिति में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होता है तथा इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता पर सामाजिक तटस्थता की नीति के परित्याग हेतु अनेक क्षेत्र से दबाव पड़ने लगे । जेरेमी बेन्थम तथा रिकार्डों के उपयोगितावादी दर्शन से प्रेरित ब्रिटिश जनमत एवं भारत में ब्रिटिश अधिकारी इस विचार का अधिकाधिक समर्थन करने लगे कि भारतीय शासन में ब्रिटेन का यह पवित्र उत्तरदायित्व है कि वह भारत की सामाजिक व्यवस्था के विषय में भी निश्चित् अभिमत रखकर एक रचनात्मक सामाजिक नीति का पालन करे ।[६७] १८१३ के पश्चात् ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में क्रिया-कलाप करने की अनुमति के कारण ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हो गया था और वह अपने स्वार्थवश तथा कुछ सीमा तक मानवीयता का तर्क प्रस्तुत करते हुये, समय-समय पर दृढ़तापूर्वक यह मांग करते रहे कि कम्पनी के शासन को भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में हस्तक्षेप

६६- सुरेन्द्र नाथ सेन -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २, जे० सी० मार्शमैन--`दी हिस्ट्री आफ इण्डिया` भाग २, पृष्ठ १३८-१४२ ।

६७- टी० आर० मेटकाफ-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ७-१४ ।

करना चाहिये ।[६८] बंगाल में भी उदीयमान मध्यम वर्ग के पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त एवं पाश्चात्य विचारों से परिचित व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग प्रस्तुत हो गया था जो ब्रिटिश प्रशासकों से अंतरंग सम्बन्ध रखता था तथा उनकी दृष्टि में प्रभावशाली था एवं सत्ता को अभिप्रेरित कर उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में निश्चित कदम उठाना चाहता था ।[६९] राजाराम मोहन राय इस वर्ग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, प्रभावशाली एवं सुविख्यात प्रतिनिधि थे ।[७०] साथ ही मराठा सत्ता की पराजय एवं भारत के पूर्वी क्षेत्रों तथा बर्मा के एक व्यापक क्षेत्र पर ब्रिटिश प्रशासन के प्रभाव की स्थापना ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन को सामाजिक क्षेत्र में भी सत्ताधिकार के प्रयोग हेतु उपयुक्त आत्मविश्वास प्रदान किया ।[७१]

इस परिवर्तित परिवेश में लार्ड विलियम बैंटिक ने अनेक सामाजिक अधिनियम प्रस्तुत किये जिनमें सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।[७२] कालान्तर में बैंटिक के

६८- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३६-३६, एरिक स्टोक्स-पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २८ एवं २६, टी०आर० मेटकाफ--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २५ ।

६९- टी० आर० मेटकाफ-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ११-२० ।

७०- सुरेन्द्र नाथ सेन -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५ ।

७१- एरिक स्टोक्स-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ xv , बी० बी० मिश्रा--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५०-५५ ।

७२- टी०आर० मेटकाफ--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २६, पी० गृफिथ्स--पूर्व उद्धृत,पृष्ठ २२३-२२४, डी०बी० बुल्गर--'लार्ड विलियम बेन्टिंक', पृष्ठ ११०-११२ ।

परवर्ती गवर्नर जनरलों के कार्यकाल में सामाजिक सुधार अथवा परिवर्तन सम्बन्धी अनेक प्रबन्ध किये गये ।[७३] इन आदेशों अथवा प्राविधानों का पाश्चात्य शिक्षा सम्पन्न उदीयमान मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने स्वागत किया । यह वर्ग इस धारणा का पोषक था कि ब्रिटिश सत्ता की सामाजिक नीति व्यापक जनहित तथा उच्च लक्ष्यों से प्रेरित थी ।[७४] परन्तु साधारण जनता के मस्तिष्क में इस नीति के प्रति संशय की भावना बनी रही । उन्हें यह सन्देह था कि कम्पनी का प्रशासन प्रच्छन्न रूप से भारत में इसाई धर्म के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध था तथा सामाजिक क्षेत्र में उसकी नीतियां इसी अभिप्राय से प्रेरित थीं । वह इस धारणा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने लगी कि ब्रिटिश सत्ता अन्ततोगत्वा भारत के पारम्परिक धर्मों, हिन्दुत्व एवं इस्लाम के उन्मूलन तथा भारत में इसाई धर्म के एकछत्र प्रभाव की स्थापना के लिये कटिबद्ध है ।[७५] इसीलिये सामाजिक अधिनियमों और सामाजिक सन्दर्भ में कम्पनी के प्रशासन के अन्य अध्यादेशों के प्रति घोर आशंका का वातावरण उत्पन्न होता जा रहा था ।[७६]

७३- टी० आर० मैटकाफ-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २७-२८, डब्लू० ली-वारनर-- 'लाइफ आफ मारक्विस आफ डलहौजी', पृष्ठ २१०-२११ तथा ३६४-३६५ ।

७४- टी० आर० मैटकाफ -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ८०-८३ ।

७५- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३६-३६ ।

७६- वही -- पृष्ठ ४५ ।

ब्रिटिश शासन के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया के इस वातावरण को तीव्रता प्रदान करने में इसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों ने काफी योग दिया । यह निर्विवाद है कि इन धर्मप्रचारकों ने अनेक रचनात्मक कार्य किये -- उदाहरणस्वरूप, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों, अनाथाश्रमों की स्थापना, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े, शोषित एवं परित्यक्त वर्गों के उत्थान के प्रयास आदि ।[७७] परन्तु इन कार्यों के मानवीय अभिप्राय के साथ ही इन्हें इसाई धर्म प्रचार का माध्यम भी बनाया गया था, जिससे इनकी सामाजिक उपादेयता से ध्यान हट कर इनके स्वार्थयुक्त प्रयोजन पर अधिक प्रकाश पड़ता था ।[७८]

इसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों के प्रति आशंका इस बात से भी बढ़ी कि विभिन्न ब्रिटिश अधिकारियों से इनके सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थे और वे उनको औपचारिक सहायता न देते हुये भी कार्य के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते थे ।[७९] यद्यपि उनकी संस्थाओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त न था, तथापि ब्रिटिश अधिकारी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उन्हें संरक्षण प्रदान

७७- आर० सी० मजुमदार -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४१७-४२३ ।

७८- टी० आर० मैटकाफ -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २५, हरप्रसाद चट्टोपाध्याय-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३६ एवं ३८ ।

७९- सुरेन्द्र नाथ सेन-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६-१३ ।

करते थे । यहां तक कि अनेक अंग्रेज सैनिक अधिकारी उन्हें भारतीय सैनिकों के समक्ष ईसाई धर्म के सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने तथा भारतीय धर्मों की आलोचना करने का अवसर भी उपलब्ध कराते थे ।[८०] कुछ अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने तो इस प्रकार के धार्मिक प्रवचनों में सैनिकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी थी ।[८१] जनता की आशंका इस सीमा तक पहुंच गई थी कि वह सरकार अथवा निजी संस्थाओं द्वारा स्थापित पाश्चात्य शिक्षण केन्द्रों को भी ईसाई धर्म प्रसार का माध्यम समझने लगी थी ।[८२]

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि १८५७ के आन्दोलन से तीन दशक पूर्व से ही ब्रिटिश सत्ता के प्रति सामाजिक असन्तोष बढ़ता जा रहा था । इस असन्तोष को गति प्रदान करने में उन स्थितियों ने भी योग दिया जो कम्पनी के प्रशासन की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के कारण सामाजिक क्षेत्र में उद्भूत हुईं । पूर्ववर्ती खण्डों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना से राजनीतिक व्यवस्था, भू-राजस्व प्रशासन तथा न्याय-व्यवस्था के क्षेत्र में हुये परिवर्तनों से भारत का वह

८०- सर सैयद अहमद खान -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १५ ।

८१- सुरेन्द्रनाथ सेन -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४६ एवं ५५, हरप्रसाद चट्टोपाध्याय-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३१-४१ ।

८२- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २७-३१ ।

अभिजात्य वर्ग जो परम्परागत् रूप से इन समस्त क्षेत्रों में सशक्त पदों पर था तथा जिसमें सामाजिक नेतृत्व निहित था, अपने विशिष्ट स्थान से च्युत हो गया था।[८३] अपने पूर्ववर्ती प्रभाव एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण इस वर्ग के असन्तोष का प्रभाव जनसाधारण पर भी पड़ा। इस वर्ग का स्थान जिस नव-मध्यम वर्ग ने ग्रहण किया वह अपनी विशिष्ट उपलब्धियों, दृष्टिकोण एवं आचार-व्यवहार में जनमानस से विच्छिन्न था। अत: इस कारण न तो उसमें और जनसाधारण में पारस्परिक सहानुभूति का भाव था और न ही जनसाधारण उसके नेतृत्व को स्वीकार करने को उद्यत था।[८४] चूंकि यह वर्ग ब्रिटिश सत्ता का समर्थक था, अत: ब्रिटिश सत्ता और जनसाधारण के मध्य वही अलगाव था जो नव-मध्यम वर्ग एवं जनता में था। इस अलगाव ने ब्रिटिश सत्ता की परिवर्तनकारी सामाजिक नीति के प्रति सर्वसाधारण के संशय को और अधिक दृढ़ किया।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् हुये आर्थिक परिवर्तनों ने परम्परागत सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन कर दिया था। ग्रामीण समुदायों का अस्तित्व समाप्त हो रहा था तथा इन समुदायों के अन्तर्गत विकसित सामाजिक स्तरक्रम (Hiearchy) भी अस्त-व्यस्त

८३- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६१-६६।

८४- बी० बी० मिश्रा -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १६६।

हो रहा था ।[८५] इससे समाज के प्रभावी रूढ़िवादी तत्वों के हृदय में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति विरोध की भावना प्रस्फुटित होना स्वाभाविक था । इस भावना ने १८५७ के विद्रोह की सामाजिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ।[८६] उपर्युक्त समस्त कारणों से उत्पन्न सामाजिक तनाव ने १८५७ के विस्फोट में योग दिया ।

क्षेत्रीय कारण

बनारस मण्डल में १८५७ के विद्रोह के विशिष्ट कारणों का सम्पूर्ण भारत में हुये तात्कालिक विद्रोह के मूलभूत एवं सामान्य कारणों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । बनारस मंडल में कम्पनी की प्रशासनिक व्यवस्था एवं नीतियों का उसी सीमा तक जनता के जीवन तथा उसकी परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जितना कि अन्य विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में पड़ा था । जनता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन की परम्पराओं को ब्रिटिश व्यवस्था ने सुसंगठित रूप से संहित कर जनमानस को विदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया की दिशा में उत्प्रेरित किया । जिन चार जनपदों की इस अध्ययन में समीक्षा की जा रही है (बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर) उनमें बनारस एवं जौनपुर में विद्रोह स्थानीय तत्वों द्वारा प्रेरित परिलक्षित होता है । गाज़ीपुर तथा मिर्ज़ापुर

८५- विजय बहादुर सिंह -- 'एकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया' (१८५७-१९५६), पृष्ठ ९५, ९६ ।

८६- हरप्रसाद चट्टोपाध्याय-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४५ ।

जनपदों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध बाहर से आने वाले तत्वों द्वारा अधिक प्रकट किया गया ।[८७] जौनपुर और बनारस में हुई घटनाएं जिन विशिष्ट कारणों से प्रेरित हुई थीं वही कारण न्यूनाधिक रूप में मिर्जापुर एवं गाजीपुर के स्थानीय प्रतिरोध के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं ।[८८] इस अध्ययन में बनारस मण्डल में विद्रोह के स्थानीय

८७- इन जनपदों में जनता के व्यापक वर्गों द्वारा विद्रोहियों के समर्थन एवं ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता के विलोप प्रभावशाली भू-स्वामियों द्वारा विद्रोहियों का समर्थन एवं उसमें उनकी भूमिका, विद्रोहियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि तथा विद्रोही कार्यवाही के स्वरूप एवं दृष्टान्तों के लिए देखिए --`नरेटिव आफ इवेन्ट्स` पृष्ठ १०, १२, १४ तथा २१-२३, २६-२७ इसके अतिरिक्त देखिये, एन० ए० चिक -- `दी ऐनल्स आफ दी इण्डियन रिबेलियन`(१८५७-५८), पृष्ठ ३८३ । टी० आर० होम्स-- `दी हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी`, पृष्ठ २०८, २१०, २१२, २१४, जी० बी० मैलसन --`हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी`, भाग २, पृष्ठ ३१७, ३१६, ३२३, जे० डब्लू० के --`ए हिस्ट्री आफ दी सिपाय वार इन इण्डिया` भाग २, पृष्ठ २३६, बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ २१४, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ १७१-१७४, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ १८०-१८४ ।

८८- इस प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में विभिन्न जनपदों के वर्णित घटनाओं के सापेक्ष विश्लेषण से यह कथन स्पष्ट होता है । एस० बी० चौधरी--`सिविल डिस्टर्बेन्सेज ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल इन इण्डिया`, पृष्ठ १४६-१५० ।

कारणों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जायेगा । बनारस और जौनपुर के दोनों जनपदों में से प्रथम ने जो प्रतिरोध प्रस्तुत किया वह द्वितीय के सापेक्ष (जहां प्रतिरोध व्यापक एवं दीर्घकालीन था) अधिक स्थानीय एवं विशिष्ट क्षेत्रों में सीमित था ।[८६]

बनारस जनपद में विद्रोह का प्रारम्भ बनारस नगर से ही हुआ । अन्य स्थानों की भांति विद्रोह की चिनगारी कम्पनी के सिपाहियों के असन्तोष (जिसकी विस्तृत व्याख्या ऊपर की जा चुकी है)[९०] तथा कम्पनी द्वारा उनके नि:शस्त्रीकरण के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप फैली ।[९१] अन्ततोगत्वा शीघ्र ही विप्लव की अग्नि ने सम्पूर्ण नगर को अभिभूत कर दिया । विद्रोह के प्रसार की यह तीव्रता बनारस नगर के राजनीतिक वातावरण तथा वहां की जनता के हृदय में ब्रिटिश सत्ता के प्रति विषमान की परिचायक है । बनारस नगर के निवासियों की उत्तेजना का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उस नगर के इतिहास, धार्मिक महत्व तथा ब्रिटिश सत्ता के

८६- 'नरेटिव आफ इवेन्ट्स' पृष्ठ १८, २२, २४, मोती चन्द-- 'काशी का इतिहास', पृष्ठ ३८०-३८४, चार्ल्स डाइ-- 'ए हिस्ट्री आफ दी इण्डियन रिवोल्ट एण्ड आफ दी एक्सपेडीशन्स टू परसिया, चाइना एण्ड जापान' (१८५६-१८५८) पृष्ठ ६२५, के० एण्ड मेलसन-- 'हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी' (१८५७-१८५८) भाग ६, पृष्ठ ५४ ।

९०- एस० ए० ए० रिज़वी-- 'फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश', भाग ४, पृष्ठ ४० ।

९१- वही --

प्रति उसकी समय-समय पर अभिव्यक्ति, विरोधात्मक भावनाओं से है।

एक नगर के रूप में सभी भारतीय नगरों में अति प्राचीन काल से ही बनारस का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यद्यपि मनुस्मृति के काल तक (अर्थात् तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व) बनारस भारतवर्ष के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में मान्य नहीं था[६२] तथापि विद्योपार्जन के केन्द्र के रूप में बनारस की यथेष्ट प्रतिष्ठा थी।[६३] आगामी शताब्दियों में हिन्दुओं की पवित्र स्थली के रूप में बनारस को मान्यता प्राप्त हुई। इस नगर को मूर्तिपूजकों की राजधानी स्वीकार किया गया और यह कहा गया कि इसका कण-कण तीर्थ स्थल है। शंख बजाने वाले हिन्दुओं का इबादतखाना है और सारे हिन्दुस्तान का 'काबा' है।[६४] कलकत्ता से चार सौ बीस मील उत्तर पश्चिम तथा इलाहाबाद से लगभग अस्सी मील पूर्व बनारस गंगा के बायें तट पर स्थित है। यह हिन्दुत्व की राजधानी तथा उस धर्म के अनुयायियों के लिये पवित्र है। वे बनारस प्रस्थान करते हैं ताकि ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर एवं गंगा के पवित्र जल में

६२- ए० एस० अल्टेकर-- 'हिस्ट्री आफ बनारस', पृष्ठ २ ।

६३- वही -- पृष्ठ २३, २४ ।

६४- 'इबादत खान-ए नाकूसियानस्त
खाना काब-ए हिन्दोस्तानस्त ।'
मिर्ज़ा ग़ालिब -- 'चराग़े दैर ' पृष्ठ १५, इसके अतिरिक्त देखिये -- ए० एस० अल्टेकर-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २३, २४, मोती चन्द -- 'काशी का इतिहास', पृष्ठ १२० ।

स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो सकें । वहीं इस विश्वास के साथ उन्हें मृत्यु पूर्व ले जाया जाता है कि हिन्दू धर्म के इस गढ़ में शरीर त्यागने से आत्मा को अनन्त शान्ति आश्वस्त है । `चरागे दैर` नामक परशियन स्त्रोत भी इस कथन की पुष्टि करता है और कहता है कि जिस व्यक्ति की वाराणसी में मृत्यु होती है वह आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है ।[६५]

नगर के धार्मिक महत्व के कारण उसके नागरिकों में आत्म-सम्मान तथा अंग्रेज इतर शासकों के प्रति विरोध की तीव्र भावना मुखर थी ।[६६] प्रसिद्ध रेड पैम्फलेट के अनुसार, `बनारस के नागरिक स्वाभिमानी तथा उत्तेजनशील थे जो परम्पराओं के प्रति श्रद्धालु थे तथा आधुनिकीकरण के प्रति सशंकित थे ।`[६७] बनारस के विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक महत्व के कारण यहां

६५- `कि हर कस कदरां गुल्शन बे मीरद
दिगर पैवन्दे जिस्मानी न गीरद ।`
मिर्ज़ा ग़ालिब -- `चरागे दैर `, पृष्ठ ११ ।
अज्ञात --`दी म्यूटनी आफ दी बंगाल आर्मी (रेड पैम्फेलट),
एस० ए० ए० रिज़वी -- `फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश ` भाग ४
के पृष्ठ ६ में उद्धृत ।

६६- मोती चन्द -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २१२ ।

६७- रेड पेम्फलेट (एस० ए० ए० रिज़वी-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ७) ।

आस्थावान हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लोग भी आकृष्ट होते थे । इनमें एक श्रेणी राजनीतिक प्रवासियों एवं शरणार्थियों की थी । रेड पैम्फलेट के अनुसार, "अपने पवित्र स्वरूप के अतिरिक्त बनारस को पदच्युत शासकों की नगरी भी कहा जा सकता है ।" अपने दुर्भाग्यवश सतारा के राज्यवंचित राजवंश के सदस्य, नेपाल का भूतपूर्व राज्य परिवार, दिल्ली के राजपरिवार की एक शाखा, कुर्ग राजा और सिक्ख राजनेता यहां शरण प्राप्त करने के लिये आये । ये सभी ब्रिटिश सत्ता के लिए चिन्तात्मक तत्व थे । इनमें से कुछ शासक वे थे जिन्हें कम्पनी ने राजगद्दी से उतारा था अथवा महत् सामन्त जिन्हें कम्पनी ने उनकी सम्पत्ति से वंचित किया था । षड्यन्त्र उनके लिए अत्यन्त प्रिय कार्य था जिसके बिना वे रह नहीं सकते थे; विश्वासघात से वे बाल्यकाल से ही परिचित थे और यह अत्यन्त सरलता से अनुमानित किया जा सकता था कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रभावशाली प्रयोग का कोई भी अवसर वे नहीं त्यागते थे ।[६८]

इस प्रकार एक समृद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा से सम्पृक्त एवं राजनीतिक शरणार्थियों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध बनारस नगर के राजनीतिक वातावरण में सदैव विस्फोटक तत्व विद्यमान् थे । १८५७ के विद्रोह से अस्सी वर्ष पूर्व से ही निरन्तर ऐसी अनेक घटनाएं एवं गतिविधियां हुई जिनमें

६८- वही -- पृष्ठ ७ ।

ब्रिटिश सत्ता का स्पष्ट विरोध हुआ तथा चेतसिंह का तथाकथित विद्रोह इस घटना क्रम की पहली कड़ी मानी जा सकती है ।[९९] यद्यपि चेतसिंह बहुत लोकप्रिय शासक नहीं माना जा सकता है किन्तु फिर भी बनारस की जनता ने उसके प्रति वारेन हेस्टिंग्स के आपत्तिजनक व्यवहार के कारण सशस्त्र विरोध का मार्ग अपनाया । यह विरोध चेतसिंह के प्रति प्रेम के कारण कम और ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र विरोध भाव के कारण अधिक थी ।[१००] चेतसिंह के पदच्युत कर दिये जाने के बाद भी इस सम्पूर्ण घटना क्रम के कारण कम्पनी विरोधी भावनाएं वर्षों तक बनारस में व्याप्त रहीं ।[१०१] १७९७ में अवध के पदच्युत नवाब वजीर अली के विप्लव के मध्य भी बनारस की जनता की ब्रिटिश सत्ता विरोधी भावनाओं की एक अन्य झलक प्राप्त होती है ।[१०२] १८१० में ब्रिटिश शासन की निर्बाध एवं

९९- मोती चन्द -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३५२-३६५, ३७०-३८०, बनारस अफेयर्स भाग २ 'सिविल डिस्टर्बेन्सेज़' खण्ड में संकलित ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिवेदन एवं पत्र, पृष्ठ १४१-१८१ ।

१००- सम्पूर्णानन्द -- 'चेतसिंह और काशी का विद्रोह', पृष्ठ ११।

१०१- मोती चन्द -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३५५-३५६ ।

१०२- जे० एफ० डेवीज़ -- 'वजीर अली खान आर दी मेसाकर इन बनारस' (ए चैप्टर इन इण्डियन हिस्ट्री) पृष्ठ २६-३३, ७०-७७, मोती चन्द -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३५७-३६० ।

शोषणात्मक नीति के विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया का एक स्मरणीय उदाहरण नवीन गृह कर के विरुद्ध व्यापक आन्दोलन के रूप में दृष्टिगत होता है ।[१०३] डा० मोती चन्द्र के अनुसार, 'यह बनारस का सर्वप्रथम सत्याग्रह था, धरना था ।'[१०४] यद्यपि आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त भी हो गया तथापि अपने चरमोत्कर्ष में इसकी तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सत्ता ने इस कर के सम्बन्ध में पारित आदेशों में व्यापक परिवर्तन करना ही विवेकपूर्ण समझा ।[१०५]

इस घटनाक्रम के अन्तर्गत, 'सरकार के सत्ताधिकार की खुली अवहेलना एवं अनादर किया गया, नगर की समस्त जनता स्पष्ट रूप से आज्ञोलंघन की स्थिति में थी तथा जनमानस सरकार के आदेशों का विरोध करने के निश्चित ढंग से और अपनी मांगों को बलपूर्वक मनवाने के सर्वाधिक प्रभावशाली तरीके पर विचार करने के

१०३- बिशप०आर० हेबर --'नेरेटिव आफ ए जरनी थ्रू दी अपर प्राविन्सेज़ आफ इण्डिया फ्राम कलकत्ता टू बम्बई' (१८२४-१८२५) भाग १, पृष्ठ १८४-१८६, एवं 'बनारस अफेयर्स' भाग २, पृष्ठ १४३-१५०में संकलित औपचारिक पत्रावली तथा पृष्ठ १५१-१५५ में उद्धृत आरंग पानी के सभी वर्गों के हिन्दुओं एवं मुसलमानों का आवेदन, मोती चन्द-पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३७२-३७५ ।

१०४- मोती चन्द-- पूर्व उद्धृत पृष्ठ ३७२ ।

१०५- वही, पृष्ठ ३७५ एवं 'बनारस अफेयर्स' भाग २, पृष्ठ १५५-१५७ ।

लिये एकत्रित भीड़ की गतिविधियों से उत्तेजित था।[१०६] गृह कर के विरुद्ध बनारस नगर के हिन्दुओं एवं मुसलमानों ने जो आवेदन प्रस्तुत किया उसकी भाषा एवं शैली जनता के आक्रोश एवं दृढ़ता के परिचायक हैं। निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है - 'दीवानी एवं राजस्व मामलों की उपयुक्त व्यवस्था शासक के सद्गुणों पर निर्भर है तथा यह सर्वविदित है कि आदरणीय कम्पनी (जिसका सौभाग्य अनन्त रहे) के अधिकारी का सत्यतायुक्त ध्यान सदैव जन-कल्याण की दिशा में रहा है तथा उनका किसी भी व्यक्ति के अधिकारों एवं सम्पत्ति का अतिक्रमण करने का इरादा कभी नहीं रहा। हुजूर को यह भलीभांति ज्ञात है कि भूतपूर्व सुल्तानों ने सरकार के अधिकारों (जिन्हें सामान्यत: मालगुजारी कहा जाता है) का कभी भी अपनी प्रजा के उत्तराधिकार अथवा हस्तान्तरण से प्राप्त आवास स्थानों तक विस्तार नहीं किया। इसी कारण सम्पत्ति की नीलामी के समय स्वामियों के निवास स्थानों का विक्रय नहीं किया जाता है। अत: यह कर प्रबन्ध सम्पूर्ण समुदाय के अधिकारों का अतिक्रमण करता है तथा यह न्याय के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।'[१०७]

१०६- डब्लू० डब्लू० बर्ड, ऐक्टिंग मजिस्ट्रेट बनारस टू जार्ज डाउवेल, सिक्रेट्री टू दी गवर्नमेन्ट इन दी ज्यूडीशियल डिपार्टमेन्ट, फोर्ट विलियम, बनारस, डेटेड २८ जनवरी,१८११, पैराग्राफ ३ ('बनारस अफेयर्स' भाग २) पृष्ठ १४६ में उद्धृत।

१०७- दी पेटीशन आफ हिन्दूज एण्ड मुसलमान्स आफ आल क्लासेज फ्राम शारंगपानी ('बनारस अफेयर्स', भाग २, खण्ड २, पृष्ठ १५१-१५५) ।

'वैसे ही जीविका के साधन का प्रबन्ध कठिन है, एवं स्टैम्प शुल्क, न्यायालय शुल्क, ट्रान्जिट एवं भ्रमण शुल्क में हुई दस गुनी वृद्धि से धनाढ्य एवं दरिद्र सभी पीड़ित एवं प्रभावित हैं, (उस पर) जले पर नमक छिड़कने के समान यह कर हिन्दुओं एवं मुसलमानो- दोनों के लिये कठिनाई एवं दु:ख का कारण है। यह विचारणीय है कि (इन) महसूलों के परिणामस्वरूप रसद के मूल्य इन दस वर्षों के दौरान सोलह गुना बढ़ चुके हैं। इस स्थिति में हम लोगों (जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई भी साधन नहीं है) के लिए जीवित रहना कैसे सम्भव है।'[१०८]

'यदि शास्त्र का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि बनारस में पांच कोस के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र पूजा के स्थल हैं एवं १८१० में रेगुलेशन १५ के तहत सभी पूजा स्थलों को इस कर से छूट दी गई है।' बनारस में हिन्दुओं, मुसलमानों एवं अन्य सम्प्रदायों के पूजा स्थानों एवं मुसलमानों तथा हिन्दुओं द्वारा दान में दिये गये मकानो के क्षेत्र में अनुमानत: ५०,००० मकान हैं (जो कि इस कर से विमुक्त होंगे)। (इस प्रकार) मकानो के किराये पर लगाया गया कर मुश्किल से फाटकबन्दी के खर्च को पूर्ण कर पायेगा। इस प्रकार एक ऐसे कर का प्रबन्ध

१०८- दी पेटीशन आफ हिन्दूज एण्ड मुसलमानुस आफ आल क्लासेज फ्राम बारंगपानी ('बनारस अफेयर्स', भाग २, खण्ड ४, पृष्ठ १५१-१५५)।

जिससे अनेकों व्यक्ति उत्तेजित एवं पीड़ित होंगे, उचित नहीं है और न ही सरकार की परोपकारिता के अनुकूल है ।"१०९

वास्तव में मण्डलीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये गये इस आवेदन की अस्वीकृति न्यायालय ने जिस आधार पर की उनमें से एक यह भी था कि, "इस आवेदन की शैली तथा मसौदा अपमानजनक है ।"११०

इस घटना के पश्चात् बनारस के जनमानस की भावनाओं से ब्रिटिश अधिकारी इतने अधिक सशंकित हो गये थे कि १८२१ में जब चेतसिंह की पत्नी मृत्यु के पश्चात् अपने सम्बन्धियों के साथ मृत्योपरान्त कर्मकांड के लिये विन्ध्याचल आई और उसने चेतसिंह के श्राद्ध तक वहां रहने का निश्चय प्रकट किया तो रेजीडेन्ट तथा अन्य अधिकारियों ने भरसक यह प्रयत्न किया कि चेतसिंह के परिवार के सदस्य अतिशीघ्र विन्ध्याचल से ग्वालियर वापस लौट जायं । इस प्रयास में वे अन्त में सफल भी हुए । इसके पश्चात् चेतसिंह के पुत्र बलवन्त ने १८२१ एवं १८५२ के मध्य बनारस आकर रहने के सम्बन्ध में अनेक प्रार्थनापत्र दिए किन्तु ब्रिटिश अधिकारी बनारस की जनता की भावनाओं के बारे में शंकालु थे और इसलिये बलवन्त सिंह के सभी

१०९- वही -- खण्ड ७ ।

११०- वही -- (न्यायाधीश द्वारा) आदिष्ट ।

प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिये गये ।[१११] १८५२ में जब राजा चेतसिंह के पुत्र बलवन्त सिंह ने चुनार के निकट टिकरी नामक स्थान पर रहने वाले एक परिवार की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह सम्पन्न कराने के लिये बनारस मंडल में आने की अनुमति मांगी तो उसे अस्वीकार कर दिया गया । यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट है :—

"मुझे आपके पत्र की पावती में गौरव का अनुभव हुआ कि जिसमें बलवन्त सिंह के प्रथम आवश्यक प्रार्थनापत्र को अग्रसारित किया गया था तथा विनयपूर्वक आज्ञा प्रदान की गई थी कि वह आगरा से एक वर्ष अनुपस्थित रह कर अपने पुत्र के विवाह हेतु कन्या के निवास स्थान चुनार के निकट टिकरी में रहे ।"

बनारस आने के लिये जब पिछली बार आवेदन प्रस्तुत किया गया था उस सन्दर्भ के मेरे पत्र में वर्णित कारणों से मैं यह अनुचित समझता हूं कि बलवन्त सिंह को किसी भी बहाने इस क्षेत्र में आने की अनुमति प्रदान की जाय । टिकरी चुनार के बजाय बनारस नगर के अधिक निकट है तथा (बलवन्त सिंह के) पुश्तैनी निवास-स्थल रामनगर के ठीक सामने है, जहां सरकारी

१११- 'बनारस अफेयर्स' भाग २ 'फेमिली आफ चेतसिंह' खण्ड में संकलित ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिवेदन एवं पत्र, पृष्ठ १-५४ ।

आज्ञा के अन्तर्गत उनका आना मेरे मत में काफी कठिनाई एवं असुविधा का कारण बन सकता है ।[११२]

बनारस की जनता के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रच्छन्न विरोध भाव का प्रदर्शन १८५२ के आन्दोलन के दौरान भी हुआ । कारावास में बन्दी हिन्दू अपराधियों के भोजन-प्रबन्ध, फाटकबन्दी तोड़ने तथा साड़ों को पकड़ कर पशुबाड़ा में बन्द करने तथा अधिकारियों की अन्य कठोर एवं असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि को लेकर एक व्यापक असन्तोष की लहर फैली ।[११३] डा० मोती चन्द के अनुसार १ अगस्त, १८५२ को बनारस के घाटों पर एक सभा हुई जिसे बनारस के मजिस्ट्रेट एफ० बी० गबिन्स ने पुलिस

११२- लैटर फ्राम डब्लू० एम० स्टीवार्ट, एजेन्ट टू गवर्नर जनरल टू डब्लू म्योर, सिक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट आफ दी (एन० डब्लू० पी०) आगरा, डेटेड, बनारस, जून ३०, १८५२ ।
(बनारस अफेयर्स भाग २, पृष्ठ ३७ में उद्धृत) ।

११३- बनारस के कारावास में बन्द सभी अपराधियों के साथ-साथ भोजन करने के प्रबन्ध से यह धारणा फैली की उच्च वर्णीय अपराधियों के धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया जा रहा है ।
देखिये -- 'बनारस कमिश्नर्स रेकार्ड', बस्ता नं० ७, बुक नं० ३२, १८५२, एवं 'बनारस अफेयर्स' भाग २, पृष्ठ XVii - XViii - तथा पृष्ठ १६५-१८०, संकलित दस्तावेज संख्या ६२-६७ ।

की सहायता से भंग कर दिया तथा भीड़ के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ।

२ अगस्त को शहर के निकट एक बाग में और भी विस्तृत सभा हुई जिसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया । गबिन्स ने वहां स्वयं उपस्थित होकर भीड़ को समझाना चाहा किन्तु उन पर पत्थर और ईंटें बरसाये गये और उन्हें सहायता के लिये लौटना पड़ा । भीड़ उनका पीछा करते हुए बरना के पुल तक पहुंची जहां उसे फौजी सिपाहियों ने आगे बढ़ने से रोक दिया और तीस-चालीस व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए । उपद्रव बढ़ता देख फौज बुला ली गई । ३ अगस्त को पुन: सभा करके लोगों ने गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ने की मांग किया । ४ अगस्त को सभा बन्दी का इश्तहार बांटा गया और लोगों से दुकान खोलकर काम-काज चलाने को कहा गया । फिर भी कमच्छा के पास एक भीड़ इकट्ठा हो गई परन्तु गबिन्स ने उसे पुलिस और फौज की सहायता से तितर बितर करके ३०० व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार दंगा समाप्त हो गया ।[११४] इस घटनाक्रम के दौरान बनारस में आम हड़ताल रही तथा न केवल समस्त दुकानें बन्द रहीं वरन् आस-पास की मंडियों को भी सूचना दी गई कि वे बनारस की बाजारों को

११४- मोती चन्द -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३७८-३७९, एवं 'हन्स काशी अंक', पृष्ठ ४२ ।

रसद न भेजें । इन तरीकों से जनता ने ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिये बाध्य करने का प्रयास किया था ।[११५] १८५२ के उपद्रव के दौरान जनभावना की उत्तेजना को देखते हुए सरकार ने यह उचित समझा कि कठोर कार्यवाही न की जाय । यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट है :--

"उपद्रवी भीड़ के धैर्य पर विचार करते हुये उनके युद्ध की व्यवस्था जिससे उनके क्षोभ का शमन किया जा सके, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर इच्छुक थे कि इस सम्बन्ध में अत्यधिक कठोर दण्ड न निर्धारित किया जाना चाहिये । अथवा जो व्यक्ति किसी जटिलतावश सन्देहास्पद हैं उन पर न्यायात्मक कार्यवाही परीक्षा के रूप में किया जाय । ऐसे मनुष्य जो स्पष्टतः क्रान्ति से सम्बन्धित हैं अथवा जो इस कार्य को बढ़ाने या उकसाने में सहायक रहे हैं अथवा अव्यवस्था को उत्तेजित करते हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये । किन्तु सबल प्रतीति मात्र पर ही किसी के विरुद्ध अपराध में फंसाने या सूचना देने वाले पर दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिये ।"[११६]

११५- रेड पैम्फलेट (एस० ए० ए० रिज़वी -- पूर्व उद्धृत के पृष्ठ ७ एवं ८ में उद्धृत) ।

११६- विलियम म्योर, सिक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट, एन० डब्लू० पी०, का पत्र बनारस डिवीजन के कमिश्नर ई० ए० रीड को, आगरा, दिनांक १७ अगस्त, १८५२ ।

इस घटना से बनारस की जनता की ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उग्र एवं तीव्र भावनाओं का आभास मिलता है ।

बनारस नगर में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण मण्डल में ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक असन्तोष का वातावरण था । असन्तोष का एक अन्य कारण कम्पनी द्वारा स्थापित न्याय प्रणाली थी । नये प्रकार के न्यायालयों से एवं उनमें प्रयुक्त होने वाले कानून से जनता कभी भी भलीभांति परिचित न हो पायी और साथ ही इस प्रणाली में मुकदमों के अन्तिम निर्णय में बहुत अधिक विलम्ब हुआ करता था । समय-समय पर मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में जनता ने संगठित रूप से इस व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी । बनारस नगर में ही १८०६ के हिन्दू-मुस्लिम दंगे के पश्चात् न्याय प्रणाली के विरुद्ध हिन्दू जनता ने आन्दोलन किया था । दंगे के दौरान गिरफ्तार हिन्दुओं पर मुकदमा चलाये जाने के सन्दर्भ में विवाद हुआ था । बी० बी० मिश्रा के अनुसार, 'चूंकि धार्मिक एवं साम्प्रदायिक दंगे का यह मामला उन्हीं वर्तमान् नियमों के अन्तर्गत मुस्लिम न्यायाधिकारियों की, जो अपना फतवा अपने ही धार्मिक कानून के अनुसार देते, उपस्थित किया जाने वाला था, अत: हिन्दुओं ने फौजदारी अदालतों के स्थापित रूप के विरुद्ध आन्दोलन किया । बनारस के नगर मजिस्ट्रेट ने अपने प्रतिवेदन में यह व्यक्त किया कि, 'यह आन्दोलन हिन्दुओं की इस धारणा के कारण हुआ एक धार्मिक विवाद में एक पक्ष के धर्म के अनुसार किया गया निर्णय पक्षपातविहीन न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा,(आन्दोलन)

के परिणाम स्वरूप सपरिषद् गवर्नर जनरल ने १८१० के रेगुलेशन १ के अन्तर्गत यह कानूनी प्रबन्ध किया जिसके अनुसार सर्किट न्यायालय अपने न्यायाधिकारियों (मुस्लिम) की उपस्थिति एवं फतवे के प्रबन्ध से मुक्त हो गया।[११७] परन्तु हिन्दू जनता इससे आश्वस्त नहीं हुई क्योंकि इस आदेश ने निजामत अदालत में किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया था और उन्हें आशंका थी कि, "अन्तिम दंड की शक्ति वाले उच्चतर (अर्थात् निजामत) न्यायालय के सम्मुख फतवे के प्रबन्ध से उनका मामला बिगड़ सकता है।"[११८] हिन्दू जनता की उत्तेजना तब तक शान्त नहीं हुई जब तक कि सपरिषद् गवर्नर जनरल ने यह आश्वासन नहीं दिया कि, "मुस्लिम धर्म के कठोर सिद्धान्त किसी भी दशा में उनके मामले को कमज़ोर करने के लिये प्रयुक्त नहीं किए जायेंगे तथा 'दोनों पक्षों' पर शान्ति भंग करने, न कि एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक वारदात करने के आरोप पर ही मुकदमा चलाया जायेगा।"[११९]

यह घटनाक्रम न केवल ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध

११७- बी० बी० मिश्रा -- 'दी सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी' (१७७३-१८३४), पृष्ठ ३५६-३६० ।

११८- वही -- पृष्ठ ३६० ।

११९- वही -- पृष्ठ ३६० ।

निहित असन्तोष की भावना प्रदर्शित करता है वरन् उनके द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था के प्रति जनता की प्रतिकूल प्रतिक्रिया का भी द्योतक है।

न्याय व्यवस्था के अन्य पहलुओं के विरुद्ध भी असन्तोष की तीव्र भावना विद्यमान् थी। उदाहरणार्थ मुकदमों के निपटारे में अत्यधिक समय लगता था। यद्यपि खेत की सीमाओं, भूमि, फसल अथवा जलाशयों की बेदखली आदि से उत्पन्न वादों के तात्कालिक निर्णय का प्रबन्ध था तथापि इस प्रकार के प्रश्नों के समाधान में न्यायालय दीर्घसूत्रीय सिद्ध हुये। फलत: जनता का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठने लगा और इन सभी प्रकार की मांगों का निपटारा पारस्परिक बल प्रयोग द्वारा किया जाने लगा। बी० बी० मिश्रा के अनुसार, " बनारस प्रान्त में वादों के तात्कालिक निपटारे का प्रबन्ध सभी स्थितियों में शीघ्रतापूर्ण निर्णय देने के लिए असफल होने के कारण लगभग अयोग्य समझा जाने लगा। कम गम्भीर स्वरूप के अनेकों दंगों के अतिरिक्त वर्ष १८२१ के अन्तिम छ: महीनो में जौनपुर जिले में ही पांच हजार सात सौ व्यक्ति हिंसात्मक घटनाओं में सम्मिलित थे जिनमें से ३० व्यक्ति घटना-स्थल पर ही मारे गये तथा ६६ व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुये। यहां भी यह हिंसात्मक कृत्य न्यायिक समाधान की प्राप्ति में विलम्ब के कारण हुये तथापि पुलिस हस्तक्षेप के बावजूद किये गये उदाहरण के लिए एक मामले में सूचना प्राप्त होते ही गाजीपुर का पुलिस दरोगा बुलानिया गया ताकि

वहां के जमींदार को कुछ फसलों पर बलपूर्वक कब्जा करने से रोका जा सके । वह मौके पर एक सिविल दस्ते के साथ पहुंचा तथा ४०० सशस्त्र व्यक्तियों को मुठभेड़ के लिए तैयार देखकर उसने १७६३ के रेगुलेशन ४६ द्वारा जो अपराध करने जा रहे थे उसके लिये प्रबन्धित दण्ड की घोषणा भी की तथा साथ ही दंगा करने वालों को बलपूर्वक तितर-बितर करने का दृढ़ निश्चय भी प्रकट किया । फिर भी उसकी उपस्थिति में वारदात हुई जिसमें साळिसपुर का जमींदार जिसकी फसल पर कब्जा जमाने का लड़ा था, घटना-स्थल पर मारा गया, यद्यपि उसने पुलिस अधिकारियों के पास शरण ले ली थी । एक अन्य घटना गाज़ीपुर से सम्बन्धित है जो जिले के जज एवं मजिस्ट्रेट के मुख्यालय के पड़ोस में हुई । एक सीमा विवाद के निपटारे में सम्पूर्ण गांव ने भाग लिया और जब जज और मजिस्ट्रेट वहां से गुजरे तो उन्होंने सम्पूर्ण गांव को लगभग खाली पाया । जब वह उस स्थान पर पहुंचे, जहां विवाद का निपटारा हुआ था उन्हें वहां अपना पुलिस दरोगा मिला जिसने सूचना दी कि झगड़ा रोकने के उसके प्रयत्नों के बावजूद १५ व्यक्ति मारे गये थे एवं अनेकों गम्भीर रूप से घायल हुये थे ।"[१२०]

इस प्रकार की घटनाएं ब्रिटिश व्यवस्था के प्रति अनास्था एवं अविश्वास की भावना की द्योतक हैं । बनारस मण्डल की जनता कठोर दण्ड की परवाह किये बिना एक ऐसी प्रणाली के

१२०- वही -- पृष्ठ २५४-२५५ ।.

विरुद्ध अपना असन्तोष प्रकट कर रही थी जिससे उसे न्याय प्राप्ति की आशा नहीं थी । यद्यपि समय-समय पर न्याय प्रणाली के प्रबन्धों में परिवर्तन एवं सुधार किये गये तथापि जनता के इस विश्वास को दूर नहीं किया जा सका कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा स्थापित प्रशासनिक एवं न्याय प्रणाली उसके हितों के अनुकूल है, यह भावना किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी वरन् जनता के सभी भागों में विद्यमान् थी । १८५७ में यही भावनाएं विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुई ।

जन असन्तोष का एक अन्य मुख्य कारण भू-व्यवस्था से सम्बद्ध है । परवर्ती मुगल काल से ही बनारस प्रान्त के क्षेत्र में राजस्व संकलन का दायित्व जमींदारों को प्राप्त हो गया था । अधिकांश जमींदार राजपूत, मुस्लिम एवं ब्राह्मण थे, इसके अतिरिक्त अन्य जातियों के व्यक्ति भी जमींदारियों के स्वामी थे। उदाहरणस्वरूप`अठरौली` के कुर्मी राजा बेनी माधव । अधिकांश जमींदार अभिजात्य कुल के थे तथा उनमें से अनेक को परम्परागत रूप से राजा की उपाधि प्राप्त थी ।[१२१] इन जमींदारों को अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व, प्रशासनिक तथा न्यायिक मामलों में व्यापक अधिकार

१२१-उदाहरणार्थ — राजा शिव गुलाम दूबे (जौनपुर), राजा इरादत जहान (मुबारकपुर), राजा बेनी बहादुर सिंह (कन्तित), राजा बेनी माधव (अठरौली

(बनारस मण्डल के म्यूटनी बस्ता में उपलब्ध उक्त उद्धरण)

प्राप्त थे तथा जनता की दृष्टि में इनकी प्रतिष्ठा उच्च थी । एक प्रकार से इनमें अपने-अपने क्षेत्र का 'स्वाभाविक नेतृत्व' निहित था । कम्पनी के द्वारा स्थापित प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था ने अधिकांश अधिकारों को समाप्त कर दिया था ।[१२२] यद्यपि स्थाई बन्दोबस्त की स्थापना के समय ये अधिकार सुरक्षित थे ।[१२३]

डा० के० पी० श्रीवास्तव के अनुसार बनारस का राजस्व बन्दोबस्त 'अनेकों गम्भीर दोषों से युक्त था जिसके परिणामस्वरूप जमींदारों में पारस्परिक वैमनस्य एवं सरकार को दी जाने वाली बकाया राशि की मात्रा बढ़ती ही गई ।'[१२४] बनारस की अधिकांश जमींदारियों में अनेक व्यक्तियों का हिस्सा था और बन्दोबस्त के समय (इनके) दो या तीन प्रतिनिधि स्वेच्छा से चुन लिए गये एवं उनके साथ राजस्व-देय का निर्धारण कर उन्हें पट्टे प्रदान किये गये । उन व्यक्तियों, जिनके प्रतिनिधि के रूप में, यह चुने गए, की इच्छाओं पर ध्यान न देते हुये तथा स्वेच्छाचारी चुनाव व्यवस्था द्वारा नियुक्त यह पट्टेदार ही जमींदारियों के स्वामियों के रूप में पंजीकृत किये गये,

---

१२२- बी० बी० मिश्रा -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १६८ ।

१२३- वही--पृष्ठ ३३४-३३५ ।

१२४- डा० के० पी० श्रीवास्तव -- 'हिस्ट्री एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ प्राविन्स आफ बनारस' (१७७५-१८००) (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९६६, पृष्ठ २७४ ।

जहां इन्होंने जमींदारियों का प्रबन्ध ठीक किया वहां इस व्यवस्था से कोई हानि नहीं हुई ; परन्तु जहां प्रबन्ध दोषपूर्ण था वहां बकाया राजस्व प्राप्ति के लिए किये गए नीलाम विक्रयों में सम्पत्ति के उन हिस्सेदारों, जिनकी कि प्रबन्ध में कोई भूमिका नहीं थी, के अधिकार निर्दयतापूर्वक बलिदान कर दिये गये ।[१२५] इस प्रबन्ध से अधिकांश जमींदारों में असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि अपनी ही जमींदारियों में वे स्वयं को असक्त अनुभव करने लगे । कालान्तर में मालगुजारी की किश्तों की यथा समय अदायगी न होने की परिस्थिति में जमींदारों की भूमि के नीलाम की व्यवस्था ने इस असन्तोष को और तीव्र रूप प्रदान किया ।[१२६] अनेक अभिजात्य अथवा दीर्घकाल से चले आ रहे जमींदार परिवार इस प्रबन्ध के अन्तर्गत अपनी पैत्रिक

१२५- वही -- पृष्ठ २७६ ।

१२६- ब्रिटिश संसद द्वारा १८३१-३२ में संगठित `कमेटी आन ईस्ट इण्डिया अफेयर्स` के सम्मुख साक्ष्य देते हुये श्री होल्ट मैकेन्जी (जो इस सम्पूर्ण क्षेत्र के भू-राजस्व प्रशासन के भूतपूर्व उच्चाधिकारी थे) ने मत प्रकट किया कि राजस्व सम्बन्धी नीलामियों से उत्पन्न व्यापक सम्पत्ति हस्तान्तरण से `किसी भी देशी शासन के अत्याचार से भी बद्तर दुष्परिणामों का समूह प्रस्तुत प्रतीत होता है ।` -- उपरोक्त समिति के प्रश्न ८५१ का उत्तर (ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री पेपर्स-- उपरोक्त समिति का प्रतिवेदन (खण्ड ६) इसके अतिरिक्त देखिये --` नरेटिव आफ इवेन्ट्स`, पृष्ठ ११ ।

जमींदारियों के एक बड़े भाग से वंचित हुये तथा कुछ जमींदार तो पूर्णत: अपनी जमींदारियों से हाथ धो बैठे ।[१२७] यद्यपि इस प्रकार जमींदारों के अधिकार एवं उनकी सम्पदा काफी सीमा तक नष्ट हो गई तथापि उनकी प्रतिष्ठा तथा जनता में उनके प्रति आदरभाव यथावत बने रहे । जनमानस को उनकी प्रतिकूल परिस्थिति से सहानुभूति थी और उनके असन्तोष की प्रतिच्छाया समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ी । जब-जब जमींदारों के असन्तोष ने मूर्त रूप धारण किया जनता भी उस असन्तोष से प्रभावित हुई ।[१२८]

१२७- उदाहरणार्थ -- भदोही के राजा ('नरेटिव आफ इवेन्ट्स' पृष्ठ १७), भदोही के जमींदार (डायरी आफ पी० वाकर, ३ जून १८५७), सिंगरामऊ के रणधीर सिंह ('नरेटिव आफ इवेन्ट्स' पृष्ठ ११ तथा २१), बदलापुर के बागेश्वर बक्स एवं अर्जुन सिंह (फारेन डिपार्टमेन्ट कन्सल्टेशन्स, ११ मार्च, १८५६, नं० १८), विजयगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ('नरेटिव आफ इवेन्ट्स', पृष्ठ २४), सिंगरौली के राजा (डायरी आफ पी० वाकर, २३ जून, १८५८), बादशाहपुर के अमरसिंह ('नरेटिव आफ इवेन्ट्स', पृष्ठ २०) आदि ।

१२८- जमींदारों की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं एवं साधारण जनता की जमींदारों के लिये सहानुभूति तथा समर्थन के लिए देखिये --

'नरेटिव आफ इवेन्ट्स', पृष्ठ १२, २४, गाजीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता (फाइल रिगार्डिंग गवर्नमेन्ट वर्सेस जमींदार आफ गम्भर) फरदर पेपर्स नं० ६, १८५८,

जितनी सहानुभूति एवं समर्थन सम्पत्ति वंचित अथवा बेदखल जमींदारों के प्रति थी उतना ही रोष एवं विरोध का भाग उनकी सम्पत्ति के खरीदारों (जिन्हें नीलामी खरीदार अथवा आक्सन पर्चेजर्स कहा जाता था) के प्रति था । नीलाम खरीदारी से उद्भूत एवं नव जमींदार वर्ग ब्रिटिश सत्ता का उतना ही समर्थक था जितने कि वंचित जमींदार उनके विरोधी थे । दोनों प्रकार के जमींदार वर्ग के पारस्परिक वैमनस्य से युक्त होना स्वाभाविक था । वस्तुत: बनारस मण्डल में १८५७ का विद्रोह उन क्षेत्रों में तीव्र रूप से प्रस्फुटित हुआ जहां इस प्रकार के नव जमींदार अधिक थे एवं पुराने जमींदारों के प्रति व्यापक ज्यादती की गई थी । `नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन ` में जौनपुर जिले के सन्दर्भ में यह विचार व्यक्त किया कि, `दीर्घकाल से (ब्रिटिश अधिकारियों में) यह धारणा थी

इन्क्लोजर नं० ५३, इन नं० ४, पृष्ठ १७६, फरदर पेपर्स नं० ८, १८५८, इन्क्लोजर नं० ३२, इन नं० २, पृष्ठ ४२-४४, फारेन डिपार्टमेन्ट, एन० डब्लू० पी०, नरेटिव ऐब्स्ट्रैक्ट प्रोसीडिंग, नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार बनारस डिवीजन, १६ सितम्बर, १८५८ । इसके अतिरिक्त देखिए-- मार्क थार्नहिल-- `दी पर्सनल एडवेन्चर्स एण्ड एक्सपीरिएन्सेज आफ ए मजिस्ट्रेट ड्युरिंग दी राइज़, प्रोग्रेस एण्ड सप्रेशन्स आफ दी इण्डियन म्यूटनी`, पृष्ठ ११४-११६ ; डब्लू० एच० रसिल-- `माई इण्डियन म्यूटनी डायरी` (सम्पादक माइकिल एडवर्ड्स), पृष्ठ २२ एवं २२७ ।

कि यदि कहीं भी गम्भीर उपद्रव हुये तो इस जिले (जौनपुर) पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा क्योंकि कहीं भी नीलामी खरीदार इतने अधिसंख्य, पुराने जमींदार इतने शक्तिशाली या वर्तमान् भू-स्वामी परस्पर इतने वैरी नहीं हैं (जितने कि इस जिले में)।"[१२९] अवसर प्राप्त होते ही जमींदारों का यह असन्तोष ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होगा । यह निश्चित् था, अत: १८५७ के विद्रोह ने इस प्रकार का अवसर प्रस्तुत किया एवं असन्तुष्ट तत्वों को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की प्रेरणा दी । बनारस मंडल में पुराने जमींदारों का असन्तोष १८५७ के विद्रोह का सर्वाधिक सशक्त कारण है ।[१३०]

१२९- 'नरेटिव आफ इवेन्ट्स', पृष्ठ ११, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ १८० ।

१३०- 'यह क्षेत्र एक व्यापक विद्रोह से ग्रस्त हो गया ।
- - - - - - इस इलाके में परिस्थिति विद्रोह के लिए अनुकूल थी क्योंकि, 'किसी अन्य क्षेत्र में नीलामी खरीदार इतने न थे ।' पुराने जमींदार पूर्णत: असन्तुष्ट थे और उनमें से अनेक अवध के असन्तोषग्रस्त तालुकेदारों के निकट सम्बन्धी भी थे । इस विप्लव में (सरकारी) दफ्तर जलाये गये तथा (सरकारी) खजाने लूटे गये । (इन वारदातों के लिये उत्तरदायी) भीड़ में वृद्धाओं एवं बालकों

(अगले पृष्ठ पर देखिए).....

इस क्षेत्र के मुस्लिम ज़मींदारों में असन्तोष का एक अन्य कारण भी था। प्रारम्भ से ही मुस्लिम ज़मींदार बनारस मंडल को अवध के नवाब के नियन्त्रण से पृथक करने के ब्रिटिश सत्ता के कृत्य के विरोधी थे। उनके हृदय में अवध के नवाब के प्रति आदर एवं स्वामिभक्ति की भावना विद्यमान थी।[१३१] वज़ीर अली के विद्रोह

ने भी भाग लिया एवं क्षेत्र के आन्तरिक भागों में (ब्रिटिश) सत्ता का नामोनिशान न रहा। भूमि से वंचित भू-स्वामियों ने अपने प्रतिद्वन्द्वियों को निष्कासित कर दिया और अन्य साहसी व्यक्तियों ने मिल कर ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया।"

(एस० बी० चौधरी--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १४६-१५०)

इसके अतिरिक्त देखिये --'जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर', पृष्ठ १८०।

१३१- 'नैरेटिव आफ इवेन्ट्स', पृष्ठ १-४

पुनर्स्थापित अवध के नवाब की सत्ता के अन्तर्गत मुस्लिम ज़मींदारों के द्वारा महत्वपूर्ण पदों का ग्रहण इन भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस सन्दर्भ में देखिये -- फरदर पेपर्स। रिलेटिव टू दी म्यूटनीज़ इन ईस्ट इण्डीज १८५७ नं० ७, इन्क्लोज़र नं० १७, इन नं० १०, पृष्ठ २७४, लेटर फ्राम दी मजिस्ट्रेट आफ जौनपुर टू दी कमिश्नर आफ बनारस, डेटेड,

(अगले पृष्ठ पर देखिए) ....

के समय इन जमींदारों में असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई थी ।[१३२]
१८५७ के विद्रोह से पूर्व जब डलहौजी ने अवध राज्य का विलय कर
लिया था उस समय से ये क्षुब्ध थे । जिस समय इन क्षेत्रों में मेरठ
के सैनिक विद्रोह तथा बहादुरशाह के सम्राट घोषित किये जाने के
समाचार प्राप्त हुये इन जमींदारों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक
था । तत्पश्चात् लखनऊ की घटनाओं एवं वहां की नवाबी सत्ता
की पुनर्स्थापना की घोषणा की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् इन
मुस्लिम जमींदारों का ब्रिटिश सत्ता के प्रति विद्रोह लगभग अवश्यम्भावी

जौनपुर, अक्टूबर ६, १८५७, ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ
गवर्नमेन्ट वर्सेज़ राजा इरादत जहान, फाइल नं० ४। २३
(जौनपुर कलेक्ट्रेट म्युटनी बस्ता), फारेन डिपार्टमेन्ट, नार्थ
वेस्टर्न प्राविन्सेज़, नरेटिव ऐब्सट्रैक्ट प्रोसीडिंग । नरेटिव
आफ इवेन्ट्स फार आज़मगढ़ फार दी वीक एण्डिंग,
अगस्त १८५८ ।

मुस्लिम जमींदारों के अन्य विद्रोहियों के साथ पूर्ण
सहयोग के उदाहरण के लिये देखिये --
फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐब्सट्रैक्ट प्रोसीडिंग
नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार आज़मगढ़ फार दी वीक एण्डिंग
२० मार्च १८५८ ।

१३२- के० एफ० डेवीज़--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २६-२८, बनारस रेजीडेन्सी
करसपान्डेन्स पोलीटिकल लेटर्स इशुड बाई दी एजेन्ट टू गवर्नर
जनरल,भाग ० ४, पृष्ठ ४-५; फरवरी २०, १७९९ ।

हो गया ।[१३३] बनारस में तथा मंडल के अन्य स्थानों में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात् इन जमींदारों ने हिन्दू जमींदारों की भांति ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हथियार ग्रहण किये । इन्होंने अवध की पुर्नस्थापित नवाबी सत्ता तथा दिल्ली में पुर्नस्थापित मुगल सत्ता के समर्थन एवं उनके आज्ञापालन की घोषणा की । इन सभी जमींदारों में मुबारकपुर के जमींदार राजा इरादत जहान सर्वप्रमुख थे जिन्होंने विद्रोह के प्रस्फुटित होने के पश्चात् जौनपुर क्षेत्र में विद्रोही अभियानों में भाग लिया तथा पुर्नस्थापित नवाबी सत्ता के जौनपुर के नायब नाजिम के रूप में वहां की विद्रोही गतिविधियों को समन्वित करने का प्रयास किया ।[१३४]

- ० -

१३३- इन भावनाओं के स्पष्ट प्रभाव का दृष्टान्त मोहम्मद हसन, जिन्होंने विद्रोह के दौरान स्वयं को पुर्नस्थापित नवाबी सत्ता का नाजिम घोषित किया था, के पत्र से प्रस्तुत है ।
देखिये -- फारेन पोलीटिकल कन्सल्टेशन्स नं० ८,१८ मार्च १८५६
(सुरेन्द्रनाथ सेन--पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ३८६-३८६ में उद्धृत)
इसके अतिरिक्त देखिये--`नरेटिव आफ इवेन्ट्स` पृष्ठ २३ ।

१३४- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवर्नमेन्ट वर्सेज़ इरादत जहान, फाइल नं० ४।२३ (जौनपुर कलेक्ट्रेट म्युटनी बस्ता)-- डीपाज़िशन आफ किशन दयाल तिवारी डेटेड १५ नवम्बर, १८५७, इसके अतिरिक्त देखिये-- के० एण्ड मैलसन, भाग ५, पृष्ठ ११६ ।

तृतीय अध्याय

- ० -

बनारस मण्डल में सुरक्षात्मक कार्यवाही एवं विद्रोह का प्रारम्भ

तृतीय अध्याय

-o-

बनारस मण्डल में सुरक्षात्मक कार्यवाही एवं विद्रोह का प्रारम्भ

बनारस

बनारस में विद्रोह के पूर्व मेरठ और दिल्ली से प्राप्त समाचारों के कारण जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सम्भावित संकट के समाधान के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये । बनारस में दिल्ली के राज परिवार के निर्वासित व्यक्तियों की उपस्थिति सरकार विरोधी भावनाओं को प्रश्रय देने में सहायक हो रही थी ।[1] बनारस से तीन मील दूर सिकरौल में सैनिक छावनी थी । न्याय तथा अन्य महत्वपूर्ण विभाग के प्रधान कार्यालय इस क्षेत्र में थे । प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों के निवास स्थान भी इस क्षेत्र में थे । ३७वीं देशी सेना लुधियाना की सिक्ख रेजीमेन्ट की टुकड़ियां, १३वीं अनियमित घुड़सवार सेना के लगभग दो हजार व्यक्ति छावनी में थे । इसके अतिरिक्त ३० अंग्रेज तोपची भी छावनी में तैनात थे । इस सेना के कमान अधिकारी ब्रिगेडियर जार्ज पोनसनबी थे ।[2] मेरठ और दिल्ली में विद्रोह होने का

१- के० एन्ड मैलसन -- 'हिस्ट्री आफ दी इन्डियन म्युटनी' भाग २, पृष्ठ १५० ।

२- वही -- पृष्ठ १५१ ।

समाचार पाने पर वाराणसी के अधिकारियों ने सुरक्षात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी । अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें आवश्यक निर्णय किये जाने थे किन्तु किसी कारणवश बैठक में कुछ भी निश्चित् न हो सका । कैप्टेन वाटसन और कैप्टेन विलियम आल्फर्ट्स ने मि० लिन्ड को यह सुझाव दिया कि उपयोगी एवं बहुमूल्य वस्तुओं को चुनार के किले में भेज देना चाहिये किन्तु मि० लिन्ड को इन सैनिक अधिकारियों का सुझाव अधिक उपयोगी नहीं प्रतीत हुआ । अन्य सैनिक अधिकारियों ने भी चुनार जाने तथा बहुमूल्य सामान चुनार भेजने के प्रस्ताव को नहीं माना ।[3] सभी ने विचार विमर्श के बाद यह निश्चित किया कि यदि बनारस में विद्रोह का प्रसार हो तो सभी योरोपीय परिवार एक सुरक्षित स्थान पर एकत्रित हो जायं । २४ मई, १८५७ को कलकत्ता से आई एक सैनिक टुकड़ी से बनारस के अधिकारियों को विशेष सूचना प्राप्त हुई और इस टुकड़ी की उपस्थिति से उनकी सैनिक शक्ति में भी वृद्धि हुई । आजमगढ़ में १७ वीं देशी सेना में विद्रोह होने की आशंका का समाचार जब बनारस आया तो बनारस की सैनिक टुकड़ियां भी अपने निकटवर्ती जिलों में स्पष्ट विद्रोह होने के समाचार की प्रतीक्षा करने लगी । बनारस के सैनिक अधिकारियों को दानापुर से सहायतार्थ कुछ टुकड़ियां आने की सम्भावना थी । ४४ व्यक्तियों की एक सैनिक टुकड़ी जो बनारस आई, सर हेनरी

३- वही -- पृष्ठ १५५ ।

लारेन्स द्वारा मांगी गई सहायता के कारण कानपुर चली गई ।[४]
२८ मई को आई एक अन्य सैनिक टुकड़ी भी कानपुर में संकटग्रस्त
अंग्रेजों की सहायता के लिये भेज दी गई । ३० मई को बनारस
के जिला प्रशासन के अधिकारियों को सरकार द्वारा आवश्यक
निर्देश दिये गये । जिला प्रशासन के अधिकारियों को सैनिकों में
व्याप्त असन्तोष तथा विद्रोहियों द्वारा संचालित संचार व्यवस्था
का आभास हो गया था ।[५] आजमगढ़ में मेजर बर्रोश की देशी सेना
भी विद्रोह के लिए कृत संकल्प हो चुकी थी । गोरखपुर और
आज़मगढ़ से अनेक सैनिक टुकड़ियां सरकारी खजाना लेकर बनारस
आयीं । यह खजाना लगभग ५ लाख रुपये का था । बनारस के
जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष यह समस्या भी उठ खड़ी
हुई कि यदि बनारस में विद्रोह हुआ तो वे इस खजाने की सुरक्षा
किस प्रकार करेंगे ।[६] आजमगढ़ में ३ जून को विद्रोह होने पर
वहां के अधिकारियों ने भाग कर गाजीपुर तथा बनारस में शरण
ली । विद्रोहियों ने बनारस की ओर जा रहे सरकारी खजाने
को लूटने का असफल प्रयत्न किया । बनारस में जब आज़मगढ़ के
विद्रोह का समाचार प्राप्त हुआ तो जिला प्रशासन को यह स्पष्ट

४- वही -- पृष्ठ १५५ ।

५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बनारस, पृष्ठ २१२ ।

६- के० एण्ड मैलसन-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १५७ ।

हो गया कि विद्रोह रुकना असम्भव है । कर्नल नील ने तेजी से बनारस की ओर प्रस्थान किया । दानापुर से मद्रास रेजीमेन्ट की एक टुकड़ी ४ जून को बनारस आई । जिला प्रशासन के चिन्तित अधिकारियों को इस टुकड़ी के आगमन से बहुत बल मिला।[७] मद्रास रेजीमेन्ट की इस टुकड़ी के सैनिक अधिकारियों ने बनारस के सैनिक अधिकारियों को यह सलाह दी कि स्पष्टरूप से विद्रोह होने के पूर्व ही देशी सैनिकों को नि:शस्त्र कर दिया जाय । सैनिक अधिकारियों ने देशी सैनिकों को नि:शस्त्र करने पर विचार करने के लिए जनसामान्य तथा सैन्य परिषदों की एक बैठक बुलाई । जिस समय यह बैठक सैनिकों को नि:शस्त्र करने पर विचार कर रही थी स्पष्ट विद्रोह का समाचार प्राप्त हुआ ।[८] इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि ५ जून को परेड मैदान में सैनिकों को परेड के लिये बुलाया जाय और उसी समय उन्हें नि:शस्त्र किया जाय । योरोपीय परिवारों को कचहरी में उपस्थित होने का भी आदेश प्रदान किया गया । बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् उसके प्रतिनिधि अभी अपने घरों को नहीं पहुंचे थे कि परेड मैदान से आ रही गोलियों की आवाजों ने उनको भयभीत कर दिया । सैनिक परिषद् की बैठक के सभी निर्णय इस अचानक गोली कांड से

७- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ ८ ।

८- के० एण्ड मैलसन -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १६२ ।

विफल हो गये । ब्रिगेडियर पोनसनबी बैठक में भाग लेने के उपरान्त जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में उनकी भेंट कर्नल नील से हुई । कर्नल नील ने भी उन्हें सैनिकों को नि:शस्त्र कर देने की सलाह दी । अत: स्थिति पर विचार करने के पश्चात् ब्रिगेडियर पोनसनबी ने परेड मैदान की ओर प्रस्थान किया । कर्नल आलफर्ट्स भी उनके साथ हो लिये । परेड मैदान में मद्रास बन्दूकचियों की सेना के दो सौ व्यक्ति, जिनमें योरोपीय बन्दूकची भी सम्मिलित थे, के सामने ३७ वीं देशी सेना के सैनिक थे ।[६] ३७ वीं देशी सेना के सैनिकों की दूसरी ओर १३ वीं अनियमित घुड़सवार के सैनिक तथा लुधियाना सेना के सिक्ख थे । स्थिति बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुकी थी । अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने ३७ वीं देशी सेना के सैनिकों को हथियार जमा करने का आदेश दिया जिसके उत्तर में देशी सैनिकों ने गोलियां चलाईं जिसका तेज और प्रभावशाली उत्तर अंग्रेज तोपचियों द्वारा दिया गया । अंग्रेज तोपचियों ने गोली वर्षा करते समय देशी सैनिकों एवं सिक्ख सैनिकों को पहचानने में भूल की । उन्होंने भूल से सिक्ख सैनिकों पर भी गोली वर्षा की जिसके कारण स्थिति में परिवर्तन हो गया । सिक्ख सेना को अभी तक अंग्रेजों

६- दी फ्रेन्ड्स आफ इण्डिया, १८ जून, १८५७, पृष्ठ ५८२ ।

के पक्ष में थी विद्रोहियों के साथ हो गई ।[१०] यह पहला अवसर था जब कि सिक्ख सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसी सैनिक कार्यवाही में भाग लिया । थोड़ी देर तक अंग्रेज़ सैनिकों और विद्रोहियों में गोलियां चलती रहीं किन्तु तेज गोली वर्षा के कारण थोड़ी देर में विद्रोहियों को पीछे हटने के लिये विवश होना पड़ा ।[११] अंग्रेज़ सैनिकों से मुकाबला करने में अपने को असमर्थ पाकर विद्रोही भागने लगे । इस प्रकार दो सौ अंग्रेज सैनिक लगभग एक हज़ार देशी विद्रोही सैनिकों को पराजित करने में सफल हुये । आतंक से भयभीत होकर बहुत से देशी सैनिक अपनी बन्दूकें और पोशाक छोड़कर भाग गये । उन्होंने अपने मार्ग में पड़े हुये घायल योरोपीय सैनिकों को छूने का साहस भी नहीं किया ।[१२] इस घटना के तुरन्त बाद कर्नल गार्डेन एक सिक्ख सैनिकों की टुकड़ी के साथ मैदान में आये । सिक्ख टुकड़ी को पूर्व घटना के विषय में सब कुछ विदित हो चुका था । कैप्टेन गुबे ३७वीं देशी सेना के विद्रोही सैनिकों द्वारा मारे जा चुके थे ।

१०- दी हिन्दू पेट्रियाट, २५ जून, १८५७, पृष्ठ २०२ ।

११- लेटर फ्राम ए० सी० स्पाटिसउड, लेफ्टिनेन्ट कर्नल ३७ रेजीमेन्ट नेटिव इन्फैन्ट्री बनारस, दिनांक ११ मार्च १८५८
(बनारस कलेक्ट्रेट रेकार्ड)

१२- वही --

गुबे के स्थान पर डाबसन को नियुक्त किया गया था। सिक्ख सैनिकों की टुकड़ी को परेड मैदान का वातावरण आश्चर्यजनक तथा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसी स्थिति में एक सिक्ख सैनिक ने कर्नल गार्डन पर गोली चलाई। एक अन्य व्यक्ति की सतर्कता के कारण गार्डन मारे जाने से बच गए। इस घटना से दोनों पक्षों में गोली चलने लगी। अंग्रेजों की ओर से सैनिक कार्यवाही का नेतृत्व कैप्टेन वाल्कर्ट्स कर रहे थे। परेड मैदान से वापस आये अंग्रेज सैनिकों ने छावनी में उपलब्ध अशक्त एवं बूढ़े देशी सैनिकों पर गोली चला दी जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।[१३]

बनारस में यद्यपि विद्रोह का कारण आजमगढ़ से प्राप्त विद्रोह की सूचना के पश्चात् हुआ था किन्तु विद्रोह के तत्व बनारस के वातावरण में पहले से ही विद्यमान थे। अंग्रेजों द्वारा देशी सैनिकों को निःशस्त्र करने का निर्णय उनमें एकता स्थापित करने में सर्वाधिक बाधक प्रतीत हुआ। देशी सिपाहियों का यह विश्वास था कि अंग्रेज उन्हें निःशस्त्र करके मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए अच्छा यह है कि वे संघर्ष करते हुये मरें। इस घटना के बाद से जिला अधिकारियों ने योरोपीय

१३- के० एण्ड मैलसन-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १७२।

परिवारों तथा सरकारी सम्पत्ति और खजाने की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये । बनारस नगर के बाहरी भाग में रह रहे योरोपीय परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के उद्देश्य से कर्नल नील ने एक सैनिक अधिकारी के नेतृत्व में विशेष सैनिक टुकड़ी भेजी । सूर्यास्त होने के समय मार्ग में इस टुकड़ी की भेंट विद्रोही सैनिकों की एक टुकड़ी से हुई । विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज सैनिक टुकड़ी के नायक को घेर लिया । विद्रोही सैनिकों को यह आशंका थी कि ये सैनिक उनकी हत्या करने के लिये भेजे गये हैं । अंग्रेज टुकड़ी के नायक ने विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी के नेता को यह आश्वस्त कराना चाहा कि उनका उद्देश्य उन्हें मारना नहीं है । वैसे ही अंग्रेज सैनिक टुकड़ी पीछे मुड़ी देशी सैनिकों ने गोली वर्षा कर दी ।[२५] जिससे अंग्रेज सैनिक टुकड़ी का नायक आहत होते-होते बचा । विद्रोहियों के आक्रमणकारी रवैये को देखकर अंग्रेज सैनिक टुकड़ी के नायक ने अपने साथियों को संघर्ष करने का आदेश दिया । थोड़े ही समय में विद्रोही पराजित होकर भाग गये । जिस समय विद्रोहियों एवं अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी में संघर्ष हो रहा था, अंग्रेज सैनिक टुकड़ी के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे योरोपीय परिवार के लोग अपने को असुरक्षित पाकर भाग गये । योरोपीय सैनिकों ने

२५- एस० ए० ए० रिज़वी `फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश `, भाग ४, पृष्ठ ४० ।

विद्रोही सैनिकों की भागती हुई टुकड़ी का पीछा किया किन्तु कोई भी विद्रोही पकड़ा न जा सका ।[१५]

अंग्रेज टुकड़ियों से संघर्ष करने के पश्चात् अधिकांश विद्रोही चुनार एवं रामनगर की ओर भाग गये । उल्लेखनीय है कि ४-५ जून को बनारस में फैली अशान्ति के समय जनता ने न तो स्पष्ट रूप से सरकार का विरोध किया और न विद्रोहियों का साथ दिया अन्यथा स्थिति और भी अनियंत्रित हो जाती । बनारस मंडल के आयुक्त टुकर तथा जज गाबिन्स ने विद्रोह को नियन्त्रित करने के लिये जो व्यवस्था की थी सर्वथा सन्तोषजनक थी । यही कारण था कि जिला अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था से आश्वस्त होकर बहुत से नागरिकों ने अपने परिवारों सहित कचहरी तथा अन्य सुरक्षित स्थानों में शरण ली थी । वहां कम से कम उन्हें पकड़े जाने का भय नहीं था । बनारस नगर के सरकारी खजाने पर सुरक्षा के लिए तैनात सिक्ख टुकड़ी को नगर में हुये विद्रोह के प्रयत्न का पता नहीं था अन्यथा वे सरकारी खजाने को अपने अधिकार में करने के साथ ही अपने बन्धुओं की हत्या का प्रतिशोध अंग्रेजों से अवश्य लेते ।

४ एवं ५ जून के मध्य जिन भारतीयों ने अंग्रेजों की अतिशय सहायता की उनमें सरदार सूरत सिंह प्रमुख थे ।[१६] द्वितीय

१५- वही-- पृष्ठ ४० ।

१६- दी फ्रेन्ड्स आफ इण्डिया, १८ जून, १८५७, पृष्ठ ५८२ ।

सिक्ख युद्ध के पश्चात् से वे बनारस में रह रहे थे और अंग्रेज़ों से उनके घनिष्ट सम्बन्ध थे। अशान्ति के दिन उन्होंने अपने अंग्रेज मित्रों के साथ कचहरी के निकटवर्ती क्षेत्र में व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज़ों की सहायता करके विद्रोही सिक्ख सैनिकों से वैर मोल लेना उनके लिये स्वाभाविक था। एक अन्य स्थान पर उन्होंने सिक्ख सैनिकों को हिंसा करने से रोका। सिक्ख सैनिकों के अधिकार से सरकारी खजाना, बहुमूल्य आभूषण उन्होंने अंग्रेजों को दिलाया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचवाया। सुरत सिंह के अतिरिक्त पंडित गोकुल चन्द्र, जो उच्च वर्ग के ब्राह्मण एवं बनारस के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में अंग्रेज़ों को बहुत सहयोग दिया।[१७] देवनारायण सिंह नामक एक सम्पन्न एवं प्रभावशाली जमींदार ने भी हर प्रकार से अंग्रेज़ों से सहयोग किया। संकटग्रस्त अनेक योरोपीय परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में भी उन्होंने सहायता दी।[१८]

५ जून की रात्रि को बनारस के कमिश्नर मि० टुकर ने भारत के गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में यह विचार प्रकट किया कि देशी सैनिकों को निःशस्त्र करने का कार्य अत्यन्त

१७- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बनारस, पृष्ठ २१२।

१८- के० एण्ड मैलसन-- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १७४।

कुशलता से किया गया । यदि परेड मैदान में जाने वाली सिक्ख टुकड़ी को वास्तविकता ज्ञात होती तो निश्चय ही वह विद्रोह न करती । भारतीय देशी सैनिक तथा सिक्खों में अन्तर कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे । कैप्टेन वाल्कर्ट्स ने जब सिक्ख सैनिकों पर गोली वर्षा प्रारम्भ कर दी, जो उन्हीं के पक्ष में थे, तो विवश होकर सिक्ख सैनिकों को भी विद्रोह कर देना पड़ा । कुछ सैनिक अधिकारियों ने यह मत प्रकट किया कि यदि देशी सैनिकों को नि:शस्त्र करने की कार्यवाही में इतनी शीघ्रता न की जाती तो सिक्ख सैनिक टुकड़ी विद्रोह न करती । इसके प्रत्युत्तर में अन्य सैनिक अधिकारियों ने यह मत प्रकट किया, यदि ऐसा न किया गया होता तो सम्भव है कि सिक्ख सैनिकों की टुकड़ी द्वारा विद्रोह करने से अधिक दुखद घटना घट जाती ।[१९]

६ जून से लेकर ८ जून तक बनारस नगर में स्थिति नियंत्रित बनी रही । लार्ड कैनिंग को बनारस मण्डल के कमिश्नर मि० टुकर ने इसी आशय की सूचना दी । उसने हिन्दुओं के इस धार्मिक नगर में अंग्रेजों के विरोध के प्रति आश्चर्य प्रकट किया । मुसलमानों ने हरा झन्डा फहरा कर जिला प्रशासन के अधिकारियों को भावी संकट से आशंकित कर दिया किन्तु कोई आपत्तिजनक घटना नहीं घटित हुई । नगर का प्राय: सभी कार्य सामान्य रूप से होता

१९- वही -- पृष्ठ २७५ ।

रहा । केवल कुछ सरकारी कार्यालय बन्द रहे क्योंकि उनसे सम्बन्धित अधिकारी सुरक्षा कार्य में व्यस्त थे । इधर बनारस नगर में तो शान्ति थी किन्तु बनारस के गांवों में हिंसा एवं अराजकता और अधिक विकसित होती जा रही थी क्योंकि बनारस से भागे विद्रोही सैनिकों ने गांवों में जाकर जमींदारों की सम्पत्ति लूटी और सरकार समर्थक लोगों को परेशान किया ।[२०] १३ जून को मि० टुकर ने लार्ड कैनिंग को लिखे पत्र में यह स्वीकार किया कि विद्रोही सैनिकों ने गांव में व्यापक फैलाने पर जमींदारों एवं सरकार समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही की है और उनकी सम्पत्ति का हरण करके कुछ को मार डाला है । इन विद्रोही सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्र के सम्पन्न व्यक्ति गुप्त रूप से सहायता दे रहे हैं जिससे स्थिति और भी अधिक दुरूह हो गई है और व्यवस्था भंग हो गई है । ६ जून को तत्कालीन भारत सरकार के आदेश से बनारस मंडल में फौजी कानून लागू कर दिया गया ।[२१] प्रान्तीय सरकार ने बनारस मंडल के आयुक्त को असाधारण अधिकार दिये । जिला प्रशासन के अधिकारियों को किसी को भी दोष मुक्त करने या मृत्यु दण्ड देने का अधिकार दिया गया। दौरा करने वाली सैनिक टुकड़ियों के कमान अधिकारियों को भी

२०- वही -- पृष्ठ १७६ ।

२१- लेटर फ्राम एच० सी० टुकर (बनारस डिवीजन) टू मजिस्ट्रेट मिर्जापुर, १० जून, १८५७ (म्युटनी बस्ता बनारस) ।

इस आशय के अधिकार दिये गये ।

यद्यपि अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों द्वारा विद्रोहियों द्वारा नगर में किये गए विद्रोह के प्रयास को विफल कर दिया गया किन्तु बनारस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोहियों द्वारा छुट-पुट कार्यवाही की जाती रही । ८ जुलाई, १८५७ को बनारस के राजा के एक अधिकारी मुंशी दर्शन लाल ने जनता को उनके सुरक्षा का विश्वास दिलाया और निर्भय होकर खेती करने की सलाह दी ।[२२] ६ जुलाई को डोभी के विद्रोहियों की एक टुकड़ी ने बनारस में प्रवेश किया और जौनपुर बनारस की सीमा के कुछ गांव में लूट पाट की । १३ जुलाई को डोभी से आई यह विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी वापस आज़मगढ़ चली गयी ।[२३] १३ दिसम्बर, १८५७ को मध्य प्रान्त की सरकार के सचिव ने ब्रिगेडियर जनरल फ्रैंनक्स को यह आदेश दिया कि बनारस में किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाये और इस बात का ध्यान रखा जाय कि बनारस जिले के किसी भी क्षेत्र से विद्रोही सैनिक गंगा नदी को पार करके बिहार की सीमा में प्रवेश न कर सकें । सरकार के सचिव ने इस आशय का आदेश बनारस के महत्व को ध्यान में रख कर दिया था क्योंकि इस नगर से निकटवर्ती जिलों में विद्रोह दमन

२२- फ्रीडम स्ट्रगिल -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६५ ।

२३- वही -- पृष्ठ ६६ ।

के लिए सहायता भेजी जा रही थी ।[२४] ८ फरवरी, १८५८ को बनारस जेल में बन्दी २६ विद्रोही सैनिकों ने जेल से निकल कर भागने का असफल प्रयत्न किया ।[२५] ५ जुलाई, १८५८ को छपरा से आई एक विद्रोहियों की सैनिक टुकड़ी ने, जिसका नेतृत्व जोधर सिंह कर रहे थे, बन्दौली में पड़ाव डाला । अगले ही दिन इस टुकड़ी ने हसनपुर की ओर प्रस्थान कर दिया ।[२६]

जौनपुर

जिस समय ४ जून, १८५७ को बनारस में विद्रोह हुआ लुधियाना सिक्ख रेजीमेन्ट की एक सैनिक टुकड़ी बनारस से चालीस मील दूर जौनपुर में तैनात थी । बनारस में ३७ वीं देशी सेना द्वारा विद्रोह करने का समाचार जब इस टुकड़ी को मिला तो इसने ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति स्वामिभक्ति प्रकट की किन्तु जब छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन पर गोली वर्षा की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से विद्रोह कर

२४- फारदर पेपर्स नं० ६, रिलेटिंग टू दी म्यूटनीज़ इन दी ईस्ट इंडीज़ १८५८ इनक्लोज़र नं० ७८, इन नं० ४, पृष्ठ १८६ ।

२५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बनारस, पृष्ठ २१४ ।

२६- ओरिजिनल टेलीग्राम सेन्ट टू मि० ई० ए० रीड, ६५ १८५८ ।

दिया । लेफ्टिनेन्ट मारा, जो इस टुकड़ी के कमान अधिकारी थे, को सैनिकों ने जान से मार डाला ।[२७] मि० कूपेब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी लेफ्टिनेन्ट मारा की तरह गोली के शिकार हुये । इन सैनिकों ने सरकारी खजाने को लूट लिया । बचे हुये योरोपीय अधिकारियों ने अपमानजनक रूप से अपने हथियारों का समर्पण करने के बाद जौनपुर से बाहर चले जाना उपयुक्त समझा । जौनपुर के अधिकांश अधिकारी आज़मगढ़ भाग गये । सिक्ख सैनिकों ने जौनपुर में स्थित अंग्रेज़ों के मकान जला डाले और उनकी सम्पत्ति लूट ली । जौनपुर में आतंक का राज्य उपस्थित हो गया । शहर में किसी भी प्रकार के सरकारी शासन के लक्षण नहीं प्रतीत हो रहे थे । कुछ बूढ़ी औरतों और छोटे बच्चों ने मिल कर सरकारी खजाने को लूट लिया ।[२८]

जौनपुर से भागे हुए कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने रायहिंगनलाल के यहां शरण ली । उसके बाद वे पेशवा की फैक्ट्री में चले गये जहां से ६ जून को बनारस से आई एक सैनिक टुकड़ी उन्हें बनारस ले गई । नगर में अशान्ति के समय सुरक्षा समिति बनाये जाने का निर्णय किया गया किन्तु राजा शिवगुलाम

२७- के० एण्ड मैलसन-- 'हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी', भाग २, पृष्ठ १७८ ।

२८- वही -- पृष्ठ १७६ ।

दूबे द्वारा मना कर देने के कारण ऐसा न हो सका ।[२६]

जौनपुर में विद्रोह के प्रारम्भ होने के समय आर्च ई० मैथ्यू, सी० वेलेस्की, जे० कासरेट और आई० रिचर्डसन अपने को असुरक्षित समझ कर अपने विश्वासपात्र सेवक शुभदान सिंह के साथ उसके गांव पुटौरा चले गये । इन लोगों के साथ आर्च ई० मैथ्यू के परिवार के लोग भी थे । उनके साथ उनकी बहुमूल्य सम्पत्ति भी थी । मार्ग में विजयपुर के कुख्यात डाकू सर्वजीत सिंह द्वारा उनका कुछ बहुमूल्य सामान लूट लिया गया । इसी दिन मि० मैथ्यू के कुछ सेवकों ने उनसे छ: माह के वेतन की मांग की और वेतन न देने पर उन्होंने उन्हें विद्रोहियों के हवाले कर देने की धमकी दी । मि० मैथ्यू द्वारा उनकी शर्त स्वीकार न करने पर वे अपनी धमकी को कार्यान्वित करने के लिए विद्रोहियों के पास चले गये ।[३०] ६ जून को जब ये अंग्रेज़ अधिकारी शुभदान सिंह के परिवार के साथ रह रहे थे तो आदमपुर के उमरसिंह के पुत्र जंगी सिंह के नेतृत्व में कई सौ सशस्त्र डाकुओं ने उन्हें घेर लिया । पहले तो शुभदान सिंह के परिवार के लोगों ने देशी सेना के आने की सम्भावना से इन अंग्रेज़ अधिकारियों को घर से निकाल दिया किन्तु

२६- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेन्ट वर्सेज़ दलजीत सिंह, शिवपाल सिंह एण्ड अदर्स फाइल नं० २।२०, जौनपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता

३०- वही --

यह पता चलने पर कि आने वाले लोग देशी सेना के नहीं बल्कि डाकू हैं, कुनदान सिंह ने इन अंग्रेज अधिकारियों को सहायता के लिये बुलाया। कुनदान सिंह के परिवार के सदस्यों ने मिलकर डाकुओं का सामना किया जिसमें ७ व्यक्ति मारे गये।[३१] अंग्रेजों के शासन के प्रति अधिक आशान्वित न होने के कारण कुनदान सिंह के एक सहयोगी सुरजन मिश्र तथा कुनदान सिंह के परिवार के लोगों ने इन लोगों को गांव छोड़ देने के लिये कहा। किन्तु इन अधिकारियों द्वारा उन्हें बशारतपुर में छोड़ देने का आग्रह करने पर यह लोग मान गये। जिस समय कुनदान सिंह, बलजीत सिंह और अंगनूसिंह इन अंग्रेज अधिकारियों को बशारतपुर के माधोसिंह के यहां छोड़ने के लिए जा रहे थे कुनदान सिंह और बलजीत सिंह मार्ग में पड़ने वाली एक नदी से बिना किसी सूचना के वापस आ गये।[३२] ७ जून को मि० जार्ज ई० मैथ्यू के वृद्ध पिता कुनदान सिंह के घर में अपने को असुरक्षित पाकर भाग निकले। भूख और गर्मी के कारण वे मरणासन्न अवस्था में एक पेड़ के नीचे पड़े हुये थे तो कुछ हरिजनों ने उन्हें बशारतपुर पहुंचाया। बशारतपुर में माधोसिंह के यहां मि० मैथ्यू के सहयोगियों के अतिरिक्त मि० सान्डर्स भी शरण पाये हुये थे। १४ जून को मि० जार्ज ई० मैथ्यू,

---

३१- वही --

३२- वही --

रिचर्डसन, स० वेलस्की, जे० कासरेट तथा मि० सान्डर्स तथा सी० कुक ने जौनपुर को प्रस्थान किया और १५ जून को ये लोग बनारस के लिए रवाना हो गये ।[33] २८ जून को जौनपुर जिले के डोभी ग्राम में राजपूतों ने सरकार का स्पष्ट विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने निकटस्थ क्षेत्र में संचार व्यवस्था के सभी साधन नष्ट कर दिये । डोभी के निकटस्थ गांवों से विद्रोही राजपूतों को पर्याप्त सहायता मिल रही थी । जिला प्रशासन के अधिकारी मि० जेकिन्सन को एक सैनिक टुकड़ी के साथ डोभी के राजपूतों का दमन करने के लिए भेजा गया ।[34] डोभी में राजपूतों के विद्रोह के बाद कुछ दिनों तक विद्रोहियों की गतिविधियां शान्त रहीं । लेकिन २३ जुलाई को घटनाओं ने पुन: उग्र रूप ले लिया । जब रज्जब अली के नेतृत्व में चार सौ विद्रोही सैनिकों ने दिन में जौनपुर कोतवाली पर आक्रमण किया, सहसा आक्रमण से पुलिस को संघर्ष का अवसर न मिल सका । विद्रोहियों ने कोतवाली में बन्द बन्दियों को मुक्त कर दिया और सरकारी सामान को सामान्य क्षति पहुंचाई । सैनिक सहायता आने तक विद्रोही सैनिक भागने में सफल हो गये ।[35] १६ अगस्त, १८५७ को जौनपुर और आज़मगढ़ के नायब नाज़िम इरादत जहान ने स्वतन्त्र अवध सरकार की घोषणा

३३- वही --

३४- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ १४ ।

३५- वही -- पृष्ठ १४ ।

की जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों के समस्त तालुकेदार, चौधरी तथा कानूनगो की उपाधि धारण करने वाले लोगों को आदेश दिया गया कि वे उसकी आज्ञा का पालन करें और शीघ्र ही उसके दरबार में उपस्थित हों। शीघ्र ही नाजिम, राजा बेनी माधव सिंह इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। जो आज्ञा का उलंघन करेंगे और दरबार में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें विश्वासपात्र नहीं माना जायेगा। अतः सब लोगों को आज्ञापालन का अनुसरण करना चाहिये अन्यथा यह उनके हित में नहीं होगा।[३६] ८ सितम्बर को जौनपुर में आज़मगढ़ से नेपाली सैनिकों की कई सैनिक टुकड़ियां आईं जिनके साथ कर्नल रागटन थे। उनकी सहायता के लिए कर्नल ब्वायल, लेफ्टिनेन्ट मील्स तथा लेफ्टिनेन्ट हाल थे। जौनपुर में इस सैनिक सहायता के आने से जिला प्रशासन के अधिकारियों को विद्रोहियों के विरुद्ध सहायता जुटाने में अत्यधिक मदद मिली। जौनपुर में गुप्तचर विभाग के माध्यम से विद्रोहियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने का कार्य मि० कारनेजी को सौंपा गया। गंगा शरण तथा रायकिंगन लाल ने इस कार्य में उनकी पर्याप्त सहायता की।[३७] १८ सितम्बर को जौनपुर आज़मगढ़ की सीमा पर

३६- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेन्ट वर्सेज़ राजा इरादत जहान, फाइल नं० ४। २३, जौनपुर कलेक्ट्रेट म्युटनी बस्ता

३७- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर, पृष्ठ १८२।

विद्रोही टुकड़ियों के एकत्र होने का समाचार पाने पर कर्नल रागटन, कैप्टन व्यायल के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी वहां भेजी । १६ सितम्बर को जिला प्रशासन के अधिकारियों को यह समाचार मिला कि सुल्तानपुर के नाजिम मेंहदी हसन सिंगरामऊ में हैं । इनके साथ हसनयार खां तथा अन्य डेढ़ हजार विद्रोही भी हैं । विद्रोही सैनिक निकटस्थ ग्रामों के जमींदारों को सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रेरित कर रहे थे । सैनिक अधिकारियों ने सिंगरामऊ के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी ।[३८] १० अक्टूबर को अकलामऊ के जमादार ने विद्रोहियों को यह सूचना दी कि जौनपुर के सभी गोरखा सैनिक इलाहाबाद चले गए हैं, केवल सौ सैनिक किले में हैं । बरहुर में चौदह सौ व्यक्ति अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिये तैयार थे । ख्वाजा हसन बक्स ने, जो कि अकबरपुर में कानूनगो था, विद्रोहियों के सहायतार्थ पांच हजार रुपये भेजे । ख्वाजा हसन बक्स ने राजस्व का एकत्रित धन अंग्रेजों का विरोध करने के लिए तैयार की जा रही सेना पर व्यय किया । ख्वाजा हसन बक्स के भाई ख्वाजा हसन को असगर अली और मनसब अली के रेजीमेन्ट का नायब नियुक्त किया गया । यह सेना ११ अक्टूबर को टान्डा पहुंची ।[३९]

३८- वही -- पृष्ठ १८२ ।

३९- फारवर पेपर्स (७) रिलेटिव टू दी म्युटनीज इन दी ईस्ट इण्डीज इनक्लोजर नं० ३४, नं० ७, पृष्ठ ७८ ।

चन्दा में ७०० विद्रोहियों के एक दल ने पड़ाव डाल रखा था। मेंहदी हसन नामक विद्रोही नेता के सम्बन्धी इस विद्रोही दल का साथ दे रहे थे। निकटस्थ गांव के सम्पन्न लोगों का सहयोग भी इस दल को प्राप्त था। विद्रोहियों ने इस क्षेत्र के ज़मींदारों को यह सन्देश भेजा था कि यदि वे उनका साथ देंगे तो उन्हें दो वर्ष के राजस्व की छूट दे दी जायेगी।[४०] १४ अक्टूबर १८५७ को भैरो प्रसाद इश्वरी प्रसाद को ज़िला न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध विद्रोहियों से सम्पर्क करके निजी डाक व्यवस्था के द्वारा समाचार भेजने का दोषी पाया। भैरो प्रसाद और इश्वरी प्रसाद के अतिरिक्त नोहारी, बान्धा कादार, भवानी भील, मेंहदी, नरायन कुर्मी, शीतल, मुकदम, मेन्धा और अयोध्या भी दोषी पाये गये। इन लोगों ने विद्रोहियों के लिए स्थापित संचार व्यवस्था में कार्य किया था और गिरफ्तार होते समय उनके पास से एक कपड़े का झोला, सात बन्दूक की गोलियां, एक चाकू तथा कुछ पत्र पाये गये थे। १६ अक्तूबर, १८५७ को १८५७ के १६ वें ऐक्ट के अन्तर्गत भैरो प्रसाद, नोहारी, मेन्धा, बुद, भवानी भील, मेंहदी को सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र करने के अपराध में मृत्यु दण्ड दिया गया।[४१]

४०- वही-- पृष्ठ ७६।

४१- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेन्ट वर्सेज़ भैरो प्रसाद एण्ड इश्वरी प्रसाद एण्ड अदर्स, नं० १। १५, जौनपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता।

बागेश्वर बक्स और फुल्ली सिंह बदलापुर में अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने डाक व्यवस्था को भंग करके कुछ हरकारों एवं तहसील के कर्मचारियों को बन्दी बना लिया था। १५ अक्टूबर को बागेश्वर बक्स ने चार सौ विद्रोहियों के साथ बदलापुर थाने पर कब्ज़ा कर लिया। बदलापुर थाने के थानेदार ने भाग कर सिंगरामऊ के रनधीर सिंह के यहां शरण ली। जिला प्रशासन के अधिकारियों को बदलापुर के थाने पर बागेश्वर बक्स के अधिकार की सूचना का समाचार असत्य प्रतीत हुआ किन्तु जब सिंगरामऊ के रनधीर सिंह ने इस आशय का समाचार भेजा तो समाचार की पुष्टि हुई।[४२] इसी दिन बागेश्वर बक्स ने विद्रोही सैनिकों की एक टुकड़ी को बक्सी थाने पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बक्सी थाने को विद्रोहियों ने क्षति ग्रस्त कर दिया। बदलापुर में बागेश्वर बक्स ने पुलिस और राजा के कर्मचारियों को अपदस्थ कर दिया और अपने आदमियों को नियुक्त किया। उसने बदलापुर ताल्लुका के अधिकांश भाग पर कब्ज़ा कर लिया। सिंगरामऊ के रनधीर सिंह जिसने बदलापुर के थानेदार को शरण दी थी, को बागेश्वर बक्स ने अपने पक्ष में लाने के लिए अनेक प्रलोभन दिये किन्तु सफलता न मिली। १६ अक्तूबर को बागेश्वर बक्स ने सिंगरामऊ रनधीर सिंह को विद्रोहियों का साथ देने के लिए पत्र लिखा और

४२- फारेन डिपार्टमेन्ट कन्सल्टेशन, ११ मार्च, १८५६, नं० १८।

विद्रोहियों का साथ न देने की स्थिति में उसे दण्डित करने की भी धमकी दी । इसी दिन बागेश्वर बक्स के सहयोगी विद्रोही नेता फुल्ली सिंह ने धनियामऊ की चौकी को नष्ट कर दिया और वहां के कर्मचारी को यातना देकर मार डाला ।[४३]

१६ अक्तूबर को ही जिला प्रशासन के गुप्तचर विभाग ने यह सूचना दी कि आज़मगढ़ के कुछ विद्रोही नेता हसनपुर में हैं, उनके पास छ: बन्दूकें हैं । अवलामऊ के नायब की अकबरपुर में उपस्थिति की सूचना भी जिला प्रशासन को दी गई । जिला प्रशासन ने इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये क्योंकि इस बात का भय था कि आज़मगढ़ के विद्रोही मेंहदी हसन के नेतृत्व में जौनपुर पर आक्रमण करेंगे ।[४४] १६ अक्तूबर को दुबवा के निकट विद्रोहियों एवं यौरोपीय सैनिक टुकड़ियों में संघर्ष हुआ । विद्रोही इससे भी बड़े संघर्ष की योजना बान्दा नामक स्थान के लिए बना रहे थे । बागेश्वर बक्स, पृथ्वीपाल सिंह, गोपाल सिंह तथा अन्य विद्रोही नेताओं को अर्जुन सिंह, फागुन सिंह, श्रीपाल सिंह द्वारा लिखे गये पत्र से स्पष्ट होता है

४३- वही --

४४- फारेदर पेपर्स नं० ७, रिलेटिव टू दी म्यूटनीज़ इन दी ईस्ट इण्डीज़ १८५७, इनक्लोज़र्स नं० ३३ नं० ७, पृष्ठ ७६ ।

कि अदलामऊ, केल्हुर तथा निकटस्थ क्षेत्र के प्रभावशाली ज़मींदारों से विद्रोही नेताओं ने सहायता मांगी थी । उन्हें विजय के बाद भूमि और धन देने का भी आश्वासन दिया गया था । विद्रोहियों ने अंग्रेज़ अधिकारियों तथा उनके शुभचिन्तकों की हत्या करने की व्यापक योजना भी बनाई थी । विभिन्न स्थानों के विद्रोही नेताओं को यथाशक्ति सैनिक और सम्पत्ति देकर बान्दा में एकत्र होने के आदेश दिये गये थे ।[४५]

२० अक्तूबर को यह समाचार मिला कि मेंहदी हसन के यहां पांच हज़ार विद्रोही सैनिक अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये बान्दा में आयेंगे । इसी दिन जौनपुर के गुप्तचर विभाग के लोगों ने यह सूचना दी कि बान्दा में युद्ध करने के लिए विद्रोहियों की सैनिक तैयारी जारी है । लखनऊ से भी उन्हें सेना बढ़ाने के आदेश मिले हैं । बारह रेजीमेन्ट सेना तैयार की जानी है जिसमें आठ रेजीमेन्ट तैयार की जा चुकी है तथा अन्य रेजीमेन्ट के लिये वेतन भोगी सैनिकों की भर्ती की जा रही है । जौनपुर के विद्रोहियों ने आज़मगढ़ के विद्रोहियों से भी सम्पर्क किया । जौनपुर के अन्य क्रान्तिकारियों में जौनपुर के नायब राजा जयलाल तथा रेजीमेन्ट के कमान अधिकारी भवानी सिंह और खुदाबक्स प्रमुख हैं ।[४६]

४५- एस० ए० ए० रिज़वी--'फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश', भाग ४, पृष्ठ २१२ ।

४६- ए लेटर फ्राम कार्नेगी इन्चार्ज आफ इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट, जौनपुर, दिनांक २० अक्तूबर, १८५७ ।

गुप्तचर विभाग के लोगों ने यह सूचना भी दी कि मेंहदी हसन ने विद्रोहियों तक समाचार पहुंचाने के लिए डाक व्यवस्था कायम की है और बहुत से हरकारों को भी नियुक्त किया है जो नित्य जौनपुर से समाचार लाते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सम्बन्धित अधिकारियों को इन हरकारों की खोज करने के आदेश दिये।[४७]

बान्दा में अंग्रेजों से युद्ध करने के लिये विद्रोहियों की तैयारी का समाचार पाने पर योरोपीय सैनिक अधिकारियों ने गोरखा सैनिक टुकड़ियों के साथ बान्दा की ओर प्रस्थान किया। बान्दा से दस मील दूर अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने पड़ाव डाल दिया और विद्रोहियों की शक्ति के बारे में पता लगाने के लिये लोगों को भेजा। सैनिक अधिकारियों को यह स्पष्ट हो गया कि विद्रोहियों की स्थिति ब दृढ़ है। शत्रु पक्ष पर दो ओर से आक्रमण करने की योजना अंग्रेज सैनिक अधिकारियों द्वारा बनाई गई। ३० अक्तूबर को विद्रोहियों की सेना से अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की टुकड़ियों का संघर्ष हुआ। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की सेना की अपेक्षा विद्रोही अधिक अनुभवी थे। इस संघर्ष में विद्रोहियों की अपेक्षा अंग्रेजों के पक्ष को बहुत अधिक हानि हुई। मरने वालों हवं में अंग्रेज पक्ष के कर्नल मदन मान सिंह प्रमुख थे। इसी

४७- वही

पक्ष के लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह भी बुरी तरह घायल हुये । अंग्रेज पक्ष की पराजय सैनिकों के थके होने के कारण तथा शत्रु पक्ष के सही स्थिति से अवगत न होने के कारण हुई। विद्रोही पक्ष को योरोपीय अधिकारी से एक छोटी बन्दूक छीन लेने में भी सफलता प्राप्त हुई ।[४८] नवम्बर के प्रथम सप्ताह में जौनपुर के उत्तरी भाग में विद्रोहियों की सक्रियता के कारण अशान्ति व्याप्त थी । १५ नवम्बर को रामप्रसाद, बिशन प्रसाद तथा किशन दयाल तिवारी के दिये गये बयानों से इरादत जहान द्वारा सरकार के विरुद्ध की गई कार्यवाही का पता चला । इसी दिन लाला जगगोपाल तथा बच्चूलाल ने बयान देकर लखनऊ शासन द्वारा इरादत जहान को नायब नाजिम नियुक्त करने के तथ्य की पुष्टि की ।[४६] दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में जौनपुर के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में कुंवर सिंह की सेना की एक टुकड़ी की उपस्थिति के कारण अशान्ति व्याप्त थी । ७ दिसम्बर, १८५७ को इलाहाबाद जौनपुर सीमा पर पन्द्रह हजार विद्रोहियों की

४८- आगरा गवर्नमेन्ट गजट -- जनवरी-दिसम्बर, १८५८, मंगलवार दिनांक १६ जनवरी, १८५८, पृष्ठ २० ।

४६- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेन्ट वर्सेज राजा इरादत जहान फाइल नं० ४।२२३, जौनपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता।

उपस्थिति का समाचार पाने पर जौनपुर जिला के मजिस्ट्रेट ने इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट को इन विद्रोहियों के प्रभाव से संभावित खतरे की सूचना दे दी । जौनपुर के जिला प्रशासन ने गोरखा सैनिकों की एक सैनिक टुकड़ी भी इस ओर भेजी ।[50] १८ दिसम्बर को नौ सौ विद्रोहियों की एक टुकड़ी ने कोयरीपुर में एक अंग्रेज़ नील उत्पादक का नील का कारखाना जला दिया । जौनपुर के गुप्तचर विभाग द्वारा समाचार से पता चला कि कोयरीपुर में नील का कारखाना बागेश्वर बक्स तथा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जलाया गया था और १८ दिसम्बर को ही विद्रोहियों के इस दल ने बदलापुर थाने पर भी आक्रमण किया था । १८ दिसम्बर को ही बनारस के जिला मजिस्ट्रेट ने जौनपुर में बागेश्वर बक्स और अर्जुन सिंह तथा अन्य विद्रोही नेताओं के सम्बन्ध में उनकी सरकार विरोधी कार्यवाहियों की विस्तृत सूचना बनारस के कमिश्नर मि० टुकर को दी जिसे उन्होंने रायहिंगनलाल, राजा महेश नारायण, मोहम्मद बहूर तथा अपने कार्यालय के एक कायस्थ मुन्शी से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किया था । इस पत्र में उन्होंने बागेश्वर बक्स तथा अर्जुनसिंह पर योरोपियन का सामान लूटने, उनका अपमान करने तथा उनकी हत्या के लिए षड्यन्त्र करने का आरोप लगाया था और इसके लिये इन विद्रोही नेताओं को

५०- हिन्दू पैट्रियाट, १० दिसम्बर, १८५७, पृष्ठ ३९५ ।

मृत्यु दण्ड देने की संस्तुति की थी । जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट के इस पत्र के आधार पर बनारस के कमिश्नर मि० टुकर ने इन विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की ।[५१] २४ दिसम्बर को सुजान तहसील के टिंगरा मुख्यालय पर इरादत जहान के प्रतिनिधि मकदूम बक्स ने आक्रमण किया । विद्रोही नेता के आगमन की सूचना पहले से मिल जाने के कारण खजाने तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों को मुख्यालय से हटा कर अन्य सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया । पंडित किशन नारायण ने मकदूम बक्स के आक्रमण का वीरता पूर्वक प्रतिरोध किया किन्तु विद्रोहियों की संख्या अधिक होने तथा आवश्यक साधनों के अभाव में पंडित किशन नारायण को टिंगरा छोड़कर जौनपुर जाने के लिये विवश होना पड़ा । जिला प्रशासन ने शीघ्रता से एक सैनिक टुकड़ी टिंगरा के लिये भेजी किन्तु तब तक विद्रोही टिंगरा से जा चुके थे ।[५२]

२ जनवरी, १८५८ को सुजान तहसील के अधिकांश सरकारी भवन विद्रोहियों द्वारा नष्ट कर दिये गये । ४ जनवरी को बदलापुर थाने पर विद्रोहियों द्वारा आक्रमण करने का प्रयत्न किया गया किन्तु राजाबाजार के राजामहेश

५१- फ्रदर पेपर्स (७) रिलेटिव टू दी म्यूटनीज़ इन दी ईस्ट इण्डीज़ १८५७ इनक्लोज़र ३३, नं० ७, पृष्ठ ७६ ।

५२- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर, पृष्ठ १८३ ।

नारायण सिंह द्वारा भेजी गई सहायता से बदलापुर के थानेदार ने विद्रोहियों के प्रयत्न को असफल कर दिया ।[५३] जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जौनपुर जिले से बीस मील दूर स्थित पिलकिछा नामक स्थान पर विद्रोहियों ने निकटस्थ गांव में लूटपाट करके आतंक का वातावरण उपस्थित कर दिया । विद्रोही छोटी-छोटी टुकड़ियों में विभिन्न गांवों में जाकर सरकार के समर्थक लोगों को अनेक प्रकार से तंग करते थे । एक ही समय अनेक स्थानों पर इस प्रकार की कार्यवाही करने से सरकार के समर्थक संगठित नहीं हो पाते थे । अन्ततः सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन ने एक सैनिक टुकड़ी पिलकिछा की ओर भेजी । किन्तु टुकड़ी पहुंचने से पूर्व ही विद्रोही पिलकिछा से जा चुके थे ।[५४]

बदलापुर क्षेत्र में विद्रोही नेता खुदा बक्स के सक्रिय होने का समाचार पाने पर जिला प्रशासन के आदेश से ब्रिगेडियर फ्रैंक्स के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी बदलापुर के लिए रवाना हुयी । ११ जनवरी को उत्तर की दिशा से जिधर खुदा बक्स का कैम्प था, तोपों की आवाज़ आई । विद्रोहियों ने

५३- वही -- पृष्ठ १८३ ।

५४- टेलीग्राफिक मैसेज सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्राविन्स इलाहाबाद टू कर्नल ब्रिच सेक्रेटरी टू दी मिलीट्री डिपार्टमेन्ट कलकत्ता, दिनांक ८ जनवरी, १८५८ ।

निकटस्थ क्षेत्रों में इतना आतंक जमा दिया था कि ग्रामवासी अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों से सहयोग करने में डरने लगे । इस कारण ब्रिगेडियर फ्रैंक्स के नेतृत्व में गई सैनिक टुकड़ी को पर्याप्त मात्रा में जन सहयोग न मिल सका ।[५५] १६ जनवरी को मछलीशहर में विद्रोहियों ने सरकार के अनेक समर्थकों को बन्दी बना लिया और निकटस्थ गांव के जमींदारों को धमकी दी कि विद्रोहियों का साथ न देने की स्थिति में विद्रोही उनके साथ शत्रुवत व्यवहार करेंगे । विद्रोहियों का साथ देने की स्थिति में विद्रोहियों को राजस्व में छूट देने का आश्वासन दिया गया । इस आशय का समाचार मिलने पर मछलीशहर के थानेदार को विद्रोहियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने का आदेश दिया गया और सरकार के समर्थक जमींदारों को मछलीशहर के थानेदार से सहयोग करने के लिए कहा गया । २२ जनवरी, १८५८ को लेफ्टिनेन्ट कर्नल रस्टन ने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें सरकार को यह सूचना दी गई कि इरादत जहान ने मुबारकपुर में अपने मकान में शस्त्रों का बड़े पैमाने पर संग्रह किया था ।[५६] फरवरी के प्रथम सप्ताह

५५- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग, १६ जनवरी, १८५८ ।

५६- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेन्ट वर्सेज राजा इरादत जहान फाइल नं० ४।२३ जौनपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता ।

में बदलापुर में विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ने पर मि० फ्रैंक्स ने अपना ध्यान बदलापुर की ओर केन्द्रित किया। उसने एक सशस्त्र सैनिक टुकड़ी को कुछ दिनों के लिये स्थायीरूप से बदलापुर में नियुक्त किया।[५७] १८ फरवरी को बन्दा हुसैन के नेतृत्व में मेंहदी हुसैन की विद्रोही सेना के साथ मि० फ्रैंक्स की सेना में मुठभेड़ हुई। इस बीच उनकी सेना को रसद और शस्त्रों की पुर्ति का कार्य जौनपुर के कलेक्टर मि० लिन्ड ने कुशलतापूर्वक किया।[५८] १६ फरवरी को जौनपुर से फ्रैंक्स की सेना के प्रस्थान करने पर विद्रोहियों के दमन का कार्य महेश नारायण सिंह ने अन्य जमींदारों की सहायता से किया।[५६] ७ मार्च मड़ियाहू परगना क्षेत्र में अशान्ति फैलने पर शान्ति व्यवस्था के लिये मि० वैक्सिन को भेजा गया। मड़ियाहू में उनकी उपस्थिति से उस क्षेत्र में विद्रोहियों की गतिविधियां कुछ समय के लिये बन्द हो गईं।[६०] १६ मार्च तक इस परगने के अधिकांश

५७- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग, १४ फरवरी, १८५८।

५८- वही — दिनांक २८ फरवरी, १८५८।

५६- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर, पृष्ठ १८४।

६०- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग १३ मार्च, १८५८।

विद्रोही नेताओं ने कुछ समय के लिये मछियाहु से पलायन कर दिया । मि० मैकिन्नन ने विद्रोहियों के विरुद्ध अनेक आरोपों के प्रमाण एकत्र किये । २३ मार्च को कुख्यात डाकू संग्राम सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने जौनपुर सीमा में पुनः अशान्ति मचाई । बहुत सी छोटी-छोटी सड़कें विद्रोहियों ने अपने कार्य के लिये बनवाईं । कहीं-कहीं पर सरकार समर्थक जमींदारों के लोगों ने विद्रोहियों की कार्यवाहियों का प्रतिरोध किया । अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मछियाहु परगना में शान्ति व्याप्त हो गई ।[६१] २ अप्रैल को मछियाहु के कुछ मुसलमानों ने लखनऊ में अंग्रेजों के पराजय की अफवाह फैला दी किन्तु कुछ समय बाद ही उसका खंडन हो गया । स्थिति में परिवर्तन होने पर गांवों का जनमत अब धीरे-धीरे सरकार के पक्ष में होने लगा । मछियाहु के संग्राम सिंह ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जब एक नील फैक्ट्री को जलाने का प्रयत्न किया तो उन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया जो कुछ समय पहले उसके समर्थक थे ।[६२] ६ अप्रैल को सुल्तानपुर से लौटते समय सर एडवर्ड लुगार्ड की मुठभेड़ टिघरा में गुलाम हुसेन के नेतृत्व में आ रहे तीन हजार विद्रोहियों के एक दल से हुई । उसके पश्चात् १३ अप्रैल को एडवर्ड लुगार्ड दीदार गंज होते हुये जौनपुर आये ।[६३]

६१- फ्रीडम स्ट्रगिल -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २३० ।

६२- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज़ नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग, ५ अप्रैल, १८५८ ।

६३- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीज़न, पृष्ठ २३ ।

५ मई को ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मि० मूरे के हत्यारे विद्रोही नेता फूरी सिंह ने जौनपुर के बादशाहपुर स्थान से अपने विद्रोही साथियों के साथ इलाहाबाद की सीमा में प्रवेश किया। फूरी सिंह के इलाहाबाद में प्रवेश की सूचना जौनपुर के जिला प्रशासन ने मिर्जापुर और इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को दे दी। इलाहाबाद जिला प्रशासन द्वारा फूरी सिंह का प्रतिरोध करने के लिये कर्नल बरकले भेजे गये। किन्तु फूरी सिंह के विद्रोही दल का उद्देश्य लूटपाट करना था न कि सैनिक टुकड़ी से संघर्ष करना। जौनपुर के जिले में पुनः प्रवेश करने के पश्चात् फूरी सिंह ने अपने तीन सौ विद्रोही साथियों के साथ मछली शहर बाजार को लूटा।[६४] १८ मई को जौनपुर से एक सैनिक टुकड़ी फूरी सिंह के विरुद्ध भेजी गई जिसमें जौनपुर के महाराजा के द्वारा भेजे गए व्यक्ति भी सम्मिलित थे। किन्तु अनेक सम्भावित स्थानों पर छापा मारने के उपरान्त भी फूरी सिंह का पता न चल सका।

३ जुलाई को मझियाहू में विद्रोहियों ने ग्रामीण जनता को उभारने का प्रयत्न किया किन्तु वे उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाये। जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बनारस

६४- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थवेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ दी इवेन्ट्स फार इलाहाबाद डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग १६ मार्च, १८५८।

जौनपुर सीमा पर कुख्यात डाकू संग्राम सिंह ने अनेक लूट-पाट की घटनाएं करके अशान्ति का वातावरण उपस्थित कर दिया । उसने अपने विद्रोही साथियों की सहायता से सरकार समर्थक जमींदारों तथा लोगों की बहुत सी सम्पत्ति लूट ली । मछ्लियाहू के ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मि० टेलर द्वारा संग्राम सिंह का प्रबल प्रतिरोध किया गया । एक बार संग्राम सिंह मि० टेलर के हाथों गिरफ्तार होते-होते बचा । जिला प्रशासन ने मि० टेलर की सहायता के लिये गोरखा सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी ।[६५] ११ जुलाई को विद्रोही नेता संग्राम सिंह ने मछ्लियाहू परगना के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की सम्पत्ति लूट ली जो सरकार का समर्थक था । विद्रोहियों की संख्या अधिक होने के कारण मछ्लियाहू के थानेदार ने कोई कार्यवाही नहीं की । १४ अगस्त को जौनपुर में राजा बनारस के कर्मचारियों तथा पुलिस में गम्भीर प्रकृति का संघर्ष हो गया जिसमें दोनों पक्षों के लोग मारे गये और अनेक घायल हुये । यह संघर्ष बनारस के राजा के कर्मचारियों पर विद्रोही होने के सन्देह होने के कारण हुआ ।[६६]

६५- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार बनारस डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग ११ जुलाई, १८५८ ।

६६- वही -- १४ अगस्त, १८५८ ।

सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में मि० लिन्ड, मि० जैकिन्सन, मि० एस्टेल और मि० कारनेगी ने जौनपुर में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पुलिस विभाग को पुर्नसंगठित करने का निश्चय किया। राय लिंगन लाल डिप्टी कलेक्टर द्वारा केराकत परगने का पुर्नसंगठन किया गया।[६] वहां के प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों को विद्रोहियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गए। विद्रोहियों का सामना करने के लिये सरकार के समर्थक जमींदारों के सहयोग से सशस्त्र व्यक्तियों की भर्ती की गयी तथा जिले के अधिकारियों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिये डाक व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाये रखने के लिये अधिक हरकारों की नियुक्ति की गई। जिले में थानों की संख्या और अधिक बढ़ा दी गई। सुतगढ़ के थानेदार ने जब नयी व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश किया तो उसे दंडित किया गया। इतनी व्यवस्था के बाद भी जौनपुर जिले के उत्तरी और पूर्वी भाग के जमींदारों ने जिला प्रशासन के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। राजा महेश नारायण सिंह, माधोसिंह, रुस्तमसाह जैसे कुछ अन्य जमींदार सरकार के प्रति उदार बने रहे किन्तु बहुत से प्रतिष्ठित जमींदारों ने जिला मजिस्ट्रेट मि० लिन्ड द्वारा की गई सक्रिय सहयोग की अपील की अवहेलना की। २७ सितम्बर को जौनपुर के नायब नाजिम के गांव मुबारकपुर में योरोपीय सैनिक टुकड़ी और विद्रोहियों का मुकाबला हुआ। २८ सितम्बर को आदमपुर में योरोपीय सैनिक टुकड़ी से अमर सिंह

की विद्रोही सेना का संघर्ष हुवा ।[६७]

२ अक्तूबर को विद्रोही नेता मलिक मेंहदी बक्स से अंग्रेज सैनिक टुकड़ी की सामान्य मुठभेड़ हुई । ५ अक्टूबर को विद्रोहियों के दमन के लिये गयी अंग्रेज सैनिक टुकड़ी का मुख्य भाग जौनपुर वापस आ गया । जिला मजिस्ट्रेट मि० लिन्ड को जौनपुर इलाहाबाद सीमा पर जब विद्रोहियों की सक्रियता का समाचार मिला तो १५ अक्तूबर को उन्होंने शीघ्र ही एक सैनिक टुकड़ी को वहां भेजा । विद्रोहियों की गतिविधियों से जौनपुर इलाहाबाद सीमा के गांवों के सरकार समर्थक लोगों का जीवन क्लान्त हो गया था । १७ अक्तूबर को जिला मजिस्ट्रेट को यह समाचार मिला कि विद्रोही नाजिम मेंहदी हसन अपने पांच हजार साथियों के साथ जौनपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं । जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये ।[६८]

१६ अक्तूबर को यह समाचार प्राप्त हुवा कि विद्रोही नेता हसनयार पन्द्रह सौ विद्रोहियों के साथ सुदवा के निकट पड़ाव डाले हुये है और वे सुदवा के दीवान रणजीत सिंह को प्रभावित करना चाहते हैं । २० अक्तूबर को कोयरीपुर के निकट विद्रोही नेता मेंहदी हसन की सेना तथा गोरखा सैनिक टुकड़ी में संघर्ष हुवा ।[६९]

६७- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ २१ ।

६८- वही -- पृष्ठ २१ ।

६९- वही -- पृष्ठ २१ ।

मिर्जापुर

बनारस में विद्रोह होने का समाचार आने पर, मिर्जापुर में १६ मई, १८५७ को जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे महाजनों एवं सामान्य जनता को सूचना दे दें कि वे अपनी जान एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिये प्रबन्ध कर लें क्योंकि निकटस्थ जिलों में गम्भीर प्रकृति के उपद्रव हुये हैं और उनके बढ़ने की भी सम्भावना है। १६ मई को विन्ध्याचल के पंडों से अपील की गयी कि यदि विद्रोही वहां आये तो वे उन्हें सशस्त्र नगर में प्रवेश करने से रोकें। जिला प्रशासन ने पंडों से यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार उनके धर्म या जाति में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं रखती है।[७०]

२० मई को शाहपुर का थाना भुटौली के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया ताकि बनारस से संदिग्ध प्रकृति के लोग यदि मिर्जापुर आवें तो उन्हें रोका जा सके। जिला जेल के १८ रक्षकों को कोतवाली में इसलिये नियुक्त किया गया जिससे सुरक्षा का प्रबन्ध अधिक प्रभावशाली हो सके। मजिस्ट्रेट तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रात्रि में व्यवस्था की देख-भाल के लिये नगर में भ्रमण करने लगे। जिला प्रशासन की कार्यवाहियों ने जन सामान्य को यह विश्वास

७०- डायरी आफ पी० वाकर, दिनांक १६ मई, १८५७ डिप्टी कलेक्टर), (मिर्जापुर कलेक्ट्रेट रेकार्ड)।

दिलाया कि उनकी सम्पत्ति और जीवन की रक्षा के लिये सरकार ने हर सम्भव प्रयत्न किये हैं ।[७१]

२१ मई को रात्रि में तीन बजे नगर की पूर्व दिशा की ओर से गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा नगरवासियों को विद्रोह की आशंका हो गयी । श्री थामसन तथा अन्य योरोपीय अधिकारियों की प्रार्थना पर पी० बाकर डिप्टी कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न होने पर योरोपीय व्यक्तियों को कचहरी में एकत्रित होने के लिये बन्दूकों की तीन आवाजों का संकेत दिया जायेगा । अत: जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो पूर्व निर्धारित संकेत दिया गया । कचहरी में जिले के सभी उच्च अधिकारी एवं योरोपीय लोग एकत्र होने लगे । मुख्यालय से पांच मील दूर रह रहे योरोपियन परिवारों को कैप्टेन मान्टेग्यू सिक्ख सिपाहियों के साथ सुरक्षित लाने के लिये गये । मेजर बेल ने बन्दूकों का उत्तरदायित्व संभाला । खजाने तथा सरकारी इमारतों की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध किया जाने लगा । व्यवस्था के संचालन के लिये फिरोजपुर के सिक्खों की दो टुकड़ियां बुलाई गयी । सशस्त्र टुकड़ियों को विभिन्न स्थानों में व्यवस्था के लिये भेज दिया गया । नारघाट, सुन्दरघाट तथा भुटौली में विशेष सतर्कता रखने

७१- एस० ए० ए० रिज़्वी-- 'फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश', भाग ४, पृष्ठ ४७ ।

की व्यवस्था की गयी । नगर पर विद्रोहियों के किसी भी आक्रमण को निष्फल करने के लिये व्यवस्था कर ली गयी थी । बनारस से योरोपियन टुकड़ियों द्वारा मिर्जापुर के लिये प्रस्थान करने की खबर आने पर जिले के अधिकारी एवं नगरवासी किसी भी संकट के विरुद्ध सुरक्षा से आश्वस्त हो गये । दिन में लगभग १२ बजे डिप्टी कलेक्टर पी० बाकर को चुनार की ओर इस आशय से भेजा गया कि भोर में उस ओर से सुनाई पड़ी गोलियों की आवाज़ का क्या प्रयोजन था । डिप्टी कलेक्टर पी० बाकर से कर्नल ब्लेक ने बताया कि रात्रि में सुल्तानपुर तथा बनारस की ओर से भी गोलियां चलने की आवाज़ उन्होंने सुनी थी । निकटवर्ती गांव के प्रतिष्ठित लोगों से परिचित होने के कारण पी० बाकर ने ग्रामवासियों से सम्पर्क स्थापित किया और रात्रि में हुई गोलियों की आवाज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की । ग्रामवासियों ने बताया कि उक्त गोलियों की आवाज विवाह के एक उत्सव में की गई थी ।[७२] इसके साथ ही चुनार में कर्नल ब्लेक को बनारस के आयुक्त द्वारा भेजा इस आशय का समाचार मिला कि बनारस में किसी प्रकार की तोपों की आवाज़ नहीं हुई है जिससे ग्रामवासियों द्वारा दी गयी जानकारी की पुष्टि हुई । इन दोनों सूचनाओं के आधार पर सरकारी विज्ञप्ति जारी की गयी कि जिले में किसी प्रकार के संकट की आशंका नहीं है । इसी दिन १६ मई

७२- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ १२ ।

१८५७ को सरकार से प्राप्त एक घोषणा को सम्पूर्ण जिले में प्रसारित करवाया गया ।[७३]

२२ मई को आयुक्त से प्राप्त एक सन्देश के आधार पर यह घोषणा जारी की गई कि बनारस तथा उत्तर पूर्व प्रान्त में शान्ति व्याप्त है । जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि हर नागरिक को इस बात का आश्वासन दिलाया जाय कि वे पूर्ण सुरक्षित हैं । २३ और २४ मई को नगर में शान्ति रही तथा सामान्य काम काज व्यवस्थित ढंग से चलता रहा । २५ मई को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने घोषणा जारी की जिसमें बताया गया कि सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिये कठोर कदम उठाये हैं और वह जनता की सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील है । इस घोषणा में सरकार के विश्वासपात्र जमींदारों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये कुछ निर्देश भी थे । इसी दिन रीवा राज्य के महाराजा मिर्जापुर में उपस्थित थे । उन्होंने एक दरबार का आयोजन किया जिसमें अंग्रेज एवं भारतीय अधिकारियों ने भाग लिया, रीवा के महाराजा ने जनसामान्य से जिला प्रशासन से सहयोग करने की अपील की ।[७४]

२७ मई को बनारस तथा अन्य स्थानों से प्राप्त

७३- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४८ ।

७४- डायरी आफ पी० वाकर, २५ मई, १८५७ ।

सूचनाओं के आधार पर जिले के उन महाजन तथा व्यक्तियों के लिये घोषणा जारी की गयी जो शासन तथा जिले के कल्याण में रुचि रखते थे । २६ मई को नगर से पूर्व दिशा की ओर ८ मील दूर स्थित अकोढी ग्राम के राजपूतों द्वारा शहर पर आक्रमण करने की सम्भावित योजना की एक सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को मिली । तहसीलदार तथा थानेदार को मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि लोगों को समूह में एकत्रित होकर नगर में घुसने से रोका जाय । अकोढी के राजपूत बहुत ही खतरनाक तथा साहसी प्रकृति के थे किन्तु विजयपुर के राजा द्वारा उन्हें हर तरह से समझा देने के कारण स्थिति सामान्य हो गयी ।[७५] अगले दिन नगर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ । इससे भय से आतंकित नगरवासियों ने शान्ति अनुभव की और जिला प्रशासन की सुरक्षात्मक कार्यवाहियों पर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया ।

३ जून को कचहरी में कैप्टेन मानटेग्यू की देख-रेख में रसद एवं अस्त्र-शस्त्र रखे गये । कलेक्टर, पुलिस अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टरों ने कचहरी के अहाते में लगे तम्बुओं में रह कर शान्ति व्यवस्था का संचालन किया । इसी दिन भदोही परगना में अशान्ति की आशंका होने पर गोपीगंज और भदोही के थानेदारों को आदेश दिया गया कि वह निकटवर्ती जमींदारों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सूचित कर दे कि वे अपनी जान तथा सम्पत्ति की रक्षा

७५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर, पृष्ठ २६४ ।

के लिये कुछ सशस्त्र लोगों को अपनी सेवा में रखें और यदि उस क्षेत्र में अशान्ति का प्रसार हो जावे तो वे एक दूसरे की सहायता करें तथा सरकारी अधिकारियों को सहयोग दें। कार्यालय में एकत्रित सभी मूल्यवान एवं उपयोगी वस्तुएं एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दी गई। मदोही में की गई सुरक्षात्मक कार्यवाहियों ने स्थानीय महाजनों, व्यापारियों तथा साधारण जनता को सुरक्षा से आश्वस्त कराया।[७६]

अगले दिन बनारस की दिशा की ओर से भारी गोली वर्षा की आवाज सुनाई दी। नगर कोतवाल ने नगरवासियों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुये उन्हें यह बताया कि किसी भी विद्रोह का दमन कठोरतापूर्वक किया जायेगा और विद्रोहियों को आश्रय देने वाले व्यक्ति भी कठोर दण्ड के भागीदार होंगे। ५ जून को बनारस में सेना की टुकड़ियों द्वारा विद्रोह करने की सूचना जब मिर्जापुर पहुंची तो नगरवासियों में पुनः लूटे जाने का भय व्याप्त हो गया और अधिकारियों ने अपने सुरक्षा प्रयत्नों में तेजी ला दी। नगर के सभी मुख्य मार्गों को बन्द करने का आदेश दिया गया और गंगा नदी के दूसरे किनारे से सभी नावें सुरक्षा की दृष्टि से हटा ली गयीं। शहर के सभी जमींदारों को निर्देश दिया गया कि वे विद्रोहियों तथा अराजक तत्वों को पकड़वाने में सहयोग दें। यदि उन्होंने ऐसा

७६- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५० ।

किया तो उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा और यदि आदेश का उलंघन किया तो उन्हें कठोर दंड दिया जायेगा जिसमें उनकी निजी एवं पारिवारिक सम्पत्ति सरकार द्वारा छीन लेना भी सम्मिलित होगा।[७७] नगर में बहुत उत्तेजना व्याप्त थी। इसी दिन मुटौली के थानेदार (नियामत अली खान) ने सूचना दी कि विद्रोही घुड़सवार सेना के पांच सवार वहां आये थे और नदी पार करना चाहते थे किन्तु जब उनका विरोध किया गया तो वे वापस चले गये। डिप्टी कलेक्टर पी० वाकर ने शाम को घटना स्थल का निरीक्षण किया। ६ जून को नदी के किनारे पर तैनात रक्षकों को आदेश दिया गया कि रात्रि में सभी नावें दूसरे छोर से हटा ली जावें। ७ जून को मि० वे लीन की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि अंग्रेज परिवारों एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इसी दिन भदोही के थानेदार ने सूचना दी कि भदोही परगना के बघुड़ी ग्राम में डकैती पड़ी है। जांच के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये और उन्हें सचेत रहने के लिये कहा गया। ८ जून को जिला प्रशासन द्वारा सरकार की २८ मई, १८५७ की घोषणा जनसामान्य की जानकारी के लिये प्रसारित की गई। नगर पर विद्रोहियों के आक्रमण की आशंका ने नगरवासियों को आतंकित कर रखा था। सुरक्षा की दृष्टि से मिर्जापुर के कलेक्टर मि० टुकर ने ४०,००० रुपया इलाहाबाद

७७- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ १४।

भेजा दिया । अगले दिन यौरोपीय सैनिकों की देख रेख में एक लाख चालीस हजार रुपया इलाहाबाद भेजा गया ।[७८]

मिर्जापुर में शान्ति व्यवस्था के लिये किये गये प्रयत्नों में लगभग दो लाख रुपये व्यय कर दिये गये थे । ६ जून को ही विन्ध्याचल के थानेदार ने सूचित किया कि अनाज से लदी कुछ नावों को कोयरा मिसरान घाट पर कोलापुर तथा गौरा गांव आदि के लोगों ने लूट लिया । मिर्जापुर से इलाहाबाद तक की डाक व्यवस्था को भी सड़क के किनारे के गांव वालों ने भंग कर दिया है । १० जून को दिन में कचहरी से तीन मील दूर ही एक साहसपूर्ण डकैती पड़ी जिसमें दस हजार रुपये लूट लिये गये । इसी दिन प्रात:काल मिर्जापुर में यह समाचार प्राप्त हुआ कि जौनपुर में विद्रोह हो गया है । ठेकेदार माधो बाबू ने यह खबर भिजवाई कि मिरजी, बेऊर, इन्दुरपुर तथा ईशापुर के लोगों ने निकटस्थ गांव के लोगों की बैलगाड़ियों, मकान तथा सामान पर कब्जा कर लिया है और ये सशस्त्र व्यक्ति किसी भी हस्तक्षेप करने वाले को मारने की धमकी दे रहे हैं । गोपीगंज के थानेदार ने सूचना दी कि परगना भदोही के अन्तर्गत मिन्दा ग्राम के लोगों ने बनारस के राजा के एक कर्मचारी को संघातिक रूप से घायल कर दिया है तथा जौनपुर से आये कुछ लोगों ने भदोही परगना के

७८- डायरी आफ पी० वाकर, डिप्टी कलेक्टर, ८ जून, १८५७ ।

कुछ सम्पन्न जमींदारों को लूटा है । ११ जून को मिर्जापुर के कुछ महाजनों ने शिकायत की कि इलाहाबाद जिले में फुलेउरगीर तथा डोरिया घाट के पास उनकी नावें लूट ली गई है । इस समाचार से भयभीत होकर मिर्जापुर के व्यापारियों ने कुछ दिनों के लिये व्यापार रोक दिया । डाकुओं द्वारा धमकी दिये जाने पर कन्तित के राजा बाबू विजेन्द्र बहादुर सिंह ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये कुछ सशस्त्र व्यक्तियों को अपनी सेवा में रखने की अनुमति जिला प्रशासन से चाही ।[७६] कन्तित परगना के चिनबे ग्राम के कुछ भूमिपतियों ने शिकायत की कि गंगा नदी के किनारे स्थित गौरा गांव के लोगों ने उन्हें लूट लिया है । उन्होंने यह भी बताया कि गौरा ग्राम के लोग निर्भय होकर दिन में भी लूट-पाट करते हैं ।[८०] १२ जून को फिरोजपुर रेजीमेन्ट के एक सिपाही प्रह्लाद सिंह जिन्हें कुछ परिवारों को इलाहाबाद सुरक्षित ले जाने के लिये भेजा था, ने सूचना दी कि सिरसा के लोगों ने उन्हें लूटने के उद्देश्य से रोका किन्तु बाद में मांडा के राजा से अनुरोध करने पर उन्हें इलाहाबाद सुरक्षित पहुंचा दिया गया । १३ जून को सरकार से प्राप्त एक आदेश का प्रसारण जनसामान्य के लिये किया

७६- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट, प्री म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २३, पृष्ठ १३३, १३४ ।

८०- नेरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ १७ ।

गया तथा जिला जेल से बारह संदिग्ध प्रकृति के व्यक्तियों को राबर्ट्सगंज के डिप्टी कलेक्टर ने अंगोरी भेज दिया क्योंकि उनके कारण जेल में अशान्ति फैलने का भय था।[८१] १४ जून को सूचना प्राप्त हुई कि गौरा ग्राम में बहुत से सशस्त्र लोग एकत्रित हैं तथा वे रात्रि में नावों तथा निकटस्थ गांवों को लूटने की योजना बना रहे हैं। १५ जून को मिर्जापुर के राम लाल महाजन तथा नरायन दयाल ने सूचना दी कि उनकी नावें क्रमशः सिरसा तथा रामनगर सीकरी में लूट ली गयी। पहले के लिये इलाहाबाद के कलेक्टर तथा दूसरे के लिये मुटौली के थानेदार नियामत अली खान को जांच करने के लिये कहा गया। गौरा ग्राम के दस संदिग्ध प्रकृति के बन्दियों को जेल में शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से अंगोरी भेज दिया गया। १६ जून को लालगंज के थानेदार तथा देवरी के इलाकेदार गयाप्रसाद ने अपने क्षेत्र में हुई दो डकैतियों की सूचना दी। मिर्जापुर के पेल्मल की कुछ नावें रामपुर घाट के पास लूट ली गईं।[८२] सम्बन्धित अधिकारियों को जांच करने के पश्चात् उचित कार्यवाही का आदेश दिया गया। अगले दिन रामनगर सीकरी में नाव लूटने की एक घटना हुई जिसके लिये मुटौली के थानेदार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिये निकटस्थ गांव में छापे मारे। १८ जून को

८१- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर, पृष्ठ ३६७।

८२- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५५।

१८५७ के १६ वें अधिनियम को जनसामान्य में प्रसारित किया गया । इस नये अध्यादेश के साथ जज को और अधिक अधिकार दिये गये और उसे सुरक्षा कार्यों में पूर्ण सहयोग देने के आदेश दिये गये । १६ जून को बदली सराय में विद्रोहियों के पास से बन्दूकें बरामद करने का समाचार जब जनता में प्रसारित किया गया तो महाजनों एवं व्यापारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की, उन्हें विश्वास होने लगा कि सामान्य लूटपाट की घटनाएं शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगी और वे निरबन्ध होकर व्यापार करने लगेंगे । इसी दिन मिर्जापुर के मुन्नू लाल तथा सोहन लाल महाजन ने सूचना दी कि उनका कुछ सामान रीवां क्षेत्र में लूट लिया गया । सम्बन्धित अधिकारियों को मामले की छानबीन करने के आदेश दिये गये ।[८३]

२२ जून को गोपीगंज में रह रहे योरोपियन लोगों की आवश्यक वस्तुओं की नियमित पूर्ति के लिए आदेश दिये गये । रामनगर के डाकुओं के सम्बन्ध में जिन्होंने अपने गांव के पास से गुजरती हुई नावों से बहुत सम्पत्ति लूट ली थी, अधिकारियों को आदेश दिये गये कि वे इस दिशा में उपयुक्त कठोर कार्यवाही करें । २४ जून को कोरी बाजार परगना कोरी से एक डकैती होने की सूचना मिली जिसके आधार पर राबर्ट्सगंज के मजिस्ट्रेट ने तुरन्त कार्यवाही के आदेश दिये । २५ जून को कलकत्ता में चीनी सेना के आने की सम्भावना का समाचार पता चलने पर जिला प्रशासन ने

८३- डायरी आफ पी० वाकर, डिप्टी कलेक्टर, १६ जून, १८५७ ।

उसे सारे जिले में प्रसारित करवा दिया । विजयपुर के राजा, थानेदार तथा सेजाउल को आदेश दिया गया कि वे गौरा में सैनी करावें जहां १३ जून को सेना भेजी दी गयी थी । २७ जून को विजयपुर के राजा को आदेश दिया गया कि वे अपने राज्य तथा विशेषकर गंगा के किनारे के भाग की रक्षा के लिये सरकार के व्यय पर तैयार की गयी सुरक्षावाहिनी को समाप्त कर दें । यह सुरक्षावाहिनी डाकुओं के दमन और जनसामान्य की रक्षा के लिये रखी गयी थी । सुरक्षावाहिनी को समाप्त करने का यह आदेश कलेक्टर ने दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि राजा के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये रखी सुरक्षावाहिनी के लिये सरकार चार हजार रुपया प्रति माह दे । २७ जून तक गोपीगंज क्षेत्र से सभी सूचनाएं नई व्यवस्था के कारण समय से प्राप्त होने लगीं । ३० जून को फतेहपुर तथा बांदा से आये कुछ विद्रोहियों ने मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में प्रवेश किया जिससे उक्त क्षेत्र में हलचल मच गई। २ जुलाई को इलाहाबाद और बरेली के जेलों से भागे हुये कुछ बंदियों को मिर्जापुर में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । ३ जुलाई को बनारस के आयुक्त मि० एच० सी० टुकर द्वारा गोरखपुर में सामान्य स्थिति होने की सूचना का नगर में प्रसारण किया गया। इसी दिन भुटौली के थानेदार को मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि वह विद्रोहियों द्वारा लूटे गये गांवों के बारे में अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दे ।

४ जुलाई को सायंकाल चार बजे गोपीगंज के

थानेदार ने सूचना दी कि ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मि० डब्लू० आर० मूरे जो मदोही परगना के अपने कैम्प से बाहर थे, अपने अन्य साथियों के साथ मार डाले गये तथा पाली नील फैक्ट्री की सम्पत्ति को विद्रोहियों ने लूट लिया । मिस्टर मूरे की हत्या तथा पाली नील फैक्ट्री को लूटने का कार्य फूरीसिंह, मातामीस, माताबक्स सिंह और सरनाम सिंह आदि ने अन्य विद्रोहियों की सहायता से किया था ।[८४] ५ जुलाई को मिर्जापुर के जिला मजिस्ट्रेट मि० टुकर जब सैनिक टुकड़ी के साथ सुद्दपुर में एकत्र विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये गये तो विद्रोहियों ने मजिस्ट्रेट पर गोली चलाई ।[८५]

८ जुलाई को अमोली में जब योरोपियन सैनिक कुछ विद्रोहियों की सम्पत्ति जलाने गये तो ग्रामवासियों ने इसका सशक्त विरोध किया । १० जुलाई को जिला प्रशासन ने गोपीगंज के थानेदार को आदेश दिया कि मि० मूरे के साथ मारे गये पाली फैक्ट्री के सारजेन्ट मि० जोन्स की सम्पत्ति विद्रोहियों के पास से बरामद करके जज के कार्यालय में भेज दिया जाय ।[८६] ११ जुलाई को मिर्जापुर में बैंक की सुरक्षा के लिये अतिरिक्त व्यवस्था की गई । १२ जुलाई को बरादुर रियासत के सरबराहकार माखन लाल, जिन्होंने अनेक वर्षों

८४- एस० बी० चौधरी -- `सिविल रिबेलियन एण्ड इण्डियन म्यूटनी`, पृष्ठ १५८ एवं `फ्रीडम स्ट्रगिल` पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५८-६२ ।

८५- डायरी आफ पी० वाकर, ५ जुलाई, १८५७(डिप्टी कलेक्टर)

८६- वही -- १० जुलाई, १८५७ ।

तक गोपीगंज के थानेदार के रूप में कार्य किया था, को आयुक्त के आदेश से भदोही परगना में मुख्य पुलिस अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया और उन्हें ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मि० मूरे के हत्यारों को बन्दी बनाने का कार्य सौंपा गया ।[८७]

२१ जुलाई को शहर में यह अफवाह फैल गई कि पिन्दारा रेजीमेन्ट के विद्रोही घुड़सवार शहर को लूटने आ रहे हैं । इससे शहर में आतंक छा गया । नगर की सभी दूकानें एवं सराफे समय से पूर्व ही बन्द हो गये । निर्धन वर्ग के लोग नगर के दक्षिणी भाग के सुरक्षित स्थानों में जाने लगे । बाद में यह खबर झूठी सिद्ध हुई ।

४ अगस्त को नगर में दीनापुर में हुये विद्रोह एवं विद्रोहियों का इस दिशा में पलायन का समाचार जब आया तो लोग अशान्त हो गये । नगर की सुरक्षा के लिये विशेष उपाय किये गये । नगर की मुख्य सड़कों पर अवरोध उत्पन्न किये गये तथा गलियों में अस्थाई सुरक्षा द्वारों का निर्माण किया गया । ५ अगस्त को चुनार के ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मि० पोलक के अनुरोध पर चुनार के किले में अतिरिक्त भोजन सामग्री का संग्रह किया गया ।[८८] ६ अगस्त को मिर्जापुर जेल में बन्द इलाहाबाद के फरार कैदियों को

८७- `फ्रीडम स्ट्रगिल` पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ६६ ।

८८- वही -- पृष्ठ ६६ ।

इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर कुछ सशस्त्र व्यक्तियों की निगरानी में इलाहाबाद भेज दिया गया ।

७ अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा राबर्ट्सगंज के तहसीलदार को आदेश दिया गया कि वे सोन नदी पर दानापुर के विद्रोहियों को रोकें तथा कार्यालय की सुरक्षा के लिये जितने लोगों की नियुक्ति वे आवश्यक समझें कर लें । इसी दिन भदोही परगना के मुख्य पुलिस अधिकारी ने सूचना दी कि झूरी सिंह तथा अन्य लोगों ने, जिन्होंने ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट श्री मूरे की हत्या की थी, मैं अदवन्त सिंह की विधवा से तीन सौ रुपया पुरस्कार स्वरूप ग्रहण किये हैं ।[८६] जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया कि अदवन्त सिंह की विधवा एवं गणेश प्रसाद की सम्पत्ति जब्त कर ली जाय ।

८ अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट ने यह घोषणा की कि झूरी सिंह को पकड़ाने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपया पुरस्कार दिया जायेगा तथा मि० मूरे की हत्या में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों को पकड़ाने वाले व्यक्ति को पांच सौ रुपया दिया जायेगा ।

८६- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेन्ट वर्सेज झूरी सिंह एण्ड अदर्स (मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता) ।

१२ अगस्त को दीनापुर के विद्रोहियों के संबंध में समाचार लाने के लिये कुछ घुड़सवार राबर्ट्सगंज तथा राजगढ़ क्षेत्रों में भेजे गये । मि० मूरे सहायक मजिस्ट्रेट को गोपीगंज के क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये मेजर बारनेट के सहायतार्थ भेजा गया । इसी दिन विद्रोहियों ने अहरौरा बाजार को लूटा और लूटने के पश्चात् वे सुकरित की ओर गये । १३ अगस्त को उन्होंने सुकरित में लूटपाट की ।[६०] १४ अगस्त, १८५७ को कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राबर्ट्सगंज की तहसील को लूटा और तहसील में उपलब्ध अभिलेखों में आग लगा दी । इसी दिन ४०० विद्रोहियों के दल ने पुलिस तथा अबावल के कार्यालय तथा बाजार को लूटा ।[६१] राबर्ट्सगंज में लूटपाट करने के पश्चात् विद्रोही राबर्ट्सगंज से एक मील दूर अदुलगंज बाजार में गये और वहां पर पड़ाव डाला ।[६२] १६ अगस्त को विद्रोही शाहगंज गए और उन्होंने शाहगंज को लूटा । अगले दिन जिला प्रशासन को राबर्ट्सगंज तथा अहरौरा के थानेदार ने विद्रोहियों द्वारा की गई लूटपाट के सम्बन्ध में समाचार भेजा । १६ अगस्त को गोपीगंज के थानेदार ने जिला प्रशासन को सूचित किया कि कूरी सिंह अपने साथियों के साथ

६०- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर, पृष्ठ ३७८ ।

६१- लेटर फ्राम कलेक्टर मिर्जापुर टू कमिश्नर बनारस, २० अगस्त, १८५७ ।

६२- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर, पृष्ठ ३७८ ।

सुरियावा में रुके हुये हैं ।[६३] मेजर बारनेट ने गोपीगंज के थानेदार को विद्रोहियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये कहा । २० अगस्त को फूरी सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने विसौली ग्राम को लूट लिया । २३ अगस्त को गोपीगंज के थानेदार ने जिला प्रशासन को पुन: सूचित किया कि फूरी सिंह ने अपने साथियों के साथ कोरी गांव में दो हजार रुपये की सम्पत्ति लूट ली और सुरियावा के एक बनिये से २६० रुपया छीन लिया ।[६४] इसी दिन अहरौरा के थानेदार ने सूचना दी कि बाबू कुंवर सिंह अपने सैनिक दल के साथ रोहतासगढ़ की ओर गये । २४ अगस्त को घोरावल के थानेदार ने सूचना दी कि विद्रोही जब यहां पड़ाव डाले हुये थे तो उन्होंने थाने की सभी सम्पत्ति नष्ट कर दी और सभी कागजात जला दिये । थानेदार ने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा लोगों को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिये जिला प्रशासन से सशस्त्र व्यक्तियों की मांग की । २४ अगस्त को नगर में यह समाचार आया कि पन्नूगंज में बाबू कुंवर सिंह के आने की सम्भावना है ।[६५] सम्बन्धित अधिकारियों को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिये कहा गया । २५ अगस्त को

६३- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर) १६ अगस्त, १८५७ ।

६४- वही -- २३ अगस्त, १८५७ ।

६५- एस० बी० चौधरी-- `सिविल रिबेलियन एण्ड इण्डियन म्यूटनी`, पृष्ठ १५८ ।

जिला प्रशासन को यह समाचार प्राप्त हुआ कि विद्रोहियों का एक बड़ा दल सरेही ग्राम में पड़ाव डाले हुये है। इसी दिन राबर्ट्सगंज तथा सैरवा में विद्रोहियों की उपस्थिति के समाचार मिले। २६ अगस्त को सरकार द्वारा नाना साहब को पकड़वाने के लिये पचास हजार रुपया पुरस्कार की, की गयी घोषणा का प्रसारण नगर में जिला प्रशासन ने कराया।[६६] इसी दिन राबर्ट्सगंज के तहसील के मुहर्रिर बनवारी लाल ने सूचना दी कि २६ अगस्त को विद्रोहियों ने तहसील के अभिलेख जलाये तथा तहसील के भवन में तोड़ फोड़ की। २७ अगस्त को मिस्टर इलियट को गोपीगंज में शान्ति व्यवस्था के लिये भेजा गया।[६७] २६ अगस्त को बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने घोरावल को लूटा और वे दो सिपाही और दो घुड़सवारों को साथ में पकड़ कर लेते गये। इस क्षेत्र में कुंवर सिंह की कार्यवाहियों में बरहुर के बंदेल राजपूतों ने बहुत सहयोग दिया।

१ सितम्बर को कुंवर सिंह ने विद्रोही सेना के साथ मिर्जापुर की पहाड़ी नदी बेलन को पार करके नेवरी नामक स्थान में पड़ाव डाला। २ सितम्बर को वे टोपा उपरौन्ध में

६६- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट प्री म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २३, पृष्ठ १७० ।

६७- लेटर फ्राम कलेक्टर मिर्जापुर रिगार्डिंग इन्सीडेन्ट आफ मिर्जापुर टू कमिश्नर बनारस डिवीजन- ७ अक्तूबर, १८५७ (मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० ११४ पृष्ठ २२३) ।

रुके । ३ सितम्बर को वे मौन नामक ग्राम गये । ४ सितम्बर को उन्होंने मैसोढ़ में पड़ाव डाला । रात्रि में ही प्रस्थान करके अगले दिन झुमन्डगंज पहुंच गये । ६ सितम्बर को कुंवर सिंह ने विद्रोही सेनाओं सहित बेलन नदी पार करके बरौन्धा की ओर प्रस्थान किया । ८ सितम्बर को वे अपनी सेनाओं के साथ रीवां के क्षेत्र में चले गये । २२ सितम्बर को बनारस से मेजर बैरिंगटन के नेतृत्व में १७वीं देशी सेना की एक टुकड़ी, जिसके पास दो तोपें भी थीं, विद्रोहियों का सामना करने के लिये मिर्जापुर आयी । २३ सितम्बर को राबर्ट्सगंज के तहसीलदार ने सूचना दी कि विद्रोहियों का एक बड़ा दल बहरौरा से ८ मील दूर पड़ाव डाले हुए हैं। इस क्षेत्र में इन विद्रोहियों के उपस्थिति से उत्पन्न खतरे से रानी विजयगढ़ ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया ।[९८] २६ सितम्बर को विद्रोहियों ने विजयगढ़ के निकटवर्ती गांव को लूटा । इसी दिन सोन नदी के दक्षिण में तथा अंगोरी के निकट विद्रोहियों के एकत्र होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली किन्तु वहां सैनिक टुकड़ियों के पहुंचने के पूर्व ही विद्रोही वहां से चले गए । ३ अक्तूबर को विद्रोहियों के एक दल ने `हलिया` में लूट-पाट की और वहां के दरोगा को मार डाला ।[९९]

९८- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर) २६ अगस्त-- २३ सितम्बर, १८५७ ।

९९- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २२४,पृष्ठ २२३ ।

५ अक्तूबर को लगभग ७ हजार विद्रोही `घोरावल` में पड़ाव डाले हुये थे किन्तु विद्रोहियों की संख्या अधिक होने के कारण घोरावल के थानेदार ने कार्यवाही करने का साहस नहीं किया। इसी दिन विद्रोहियों ने हलिया बाजार के निकट `पुरवा`, `बैदा` नामक ग्राम को लूटा और एक पुलिस चौकी की सम्पत्ति नष्ट कर दी।[100] उसके उपरान्त ६ अक्तूबर को विद्रोही ड्रामन्डगंज गये। जब उन्हें मिर्ज़ापुर की ओर से सैनिक टुकड़ियों के आने का समाचार मिला तो वे रामगढ़ चले गये। विद्रोहियों के एक दूसरे दल ने बंगोरी के निकट तीन गांवों को लूट लिया। ११ अक्तूबर को विद्रोहियों का एक दल `शेरी` में था।[१०१] १६ अक्तूबर को बंगोरी परगना में जब विद्रोहियों के आने की सम्भावना की खबर फैली तो लोग गांव छोड़ कर भाग गये। बाद में यह अफवाह असत्य सिद्ध हुई। १६ अक्तूबर को ही ३३ विद्रोहियों की एक टुकड़ी विजयगढ़ परगना के `पुरनाह` गांव गई। वहां के इलाकेदार (ईश्वरी सिंह) ने विजयगढ़ की रानी से असन्तुष्ट होने के कारण उन विद्रोहियों का साथ दिया।[१०२] रानी के दामाद ने ईश्वरी

१००- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर) ६ अक्तूबर, १८५७

१०१- `फ्रीडम स्ट्रगिल` पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २५६।

१०२- लेटर फ्राम कलेक्टर मिर्ज़ापुर टू कमिश्नर बनारस डिवीजन (बिटविन मार्च, १८५७ टू नवम्बर १८५७), (मिर्ज़ापुर कलेक्ट्रेट प्री म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २२, पृष्ठ १८०)।

सिंह का सामना करने के लिये दो सौ आदमियों को तैयार किया किन्तु ३१ अक्तूबर तक ईश्वरी सिंह ने पांच सौ के लगभग सशस्त्र व्यक्तियों को तैयार कर लिया था जो रानी विजयगढ़ द्वारा की जा रही राजस्व वसूली में अवरोध उपस्थित करते थे और विद्रोहियों का साथ देते थे । ४ नवम्बर को अंगोरी के थानेदार को `हरिकिशन` बनिया ने बताया कि `मौलगढ़` के लगभग पचास व्यक्ति दक्षिण की ओर गये हैं और फतेबहादुर सिंह जमींदार से मिल कर निकटस्थ गांव में लूट-पाट कर रहे हैं ।[१०३] ५ नवम्बर को राबर्ट्सगंज के थानेदार ने सूचना दी कि पूर्व की ओर से चार हजार विद्रोही जिनके पास १६ हाथी, सौ घोड़े तथा छोटी बन्दूकें भी हैं `टोपाकुसोली` में रुके हुये हैं । ६ नवम्बर को इन विद्रोहियों ने राबर्ट्सगंज पहुंच कर राबर्ट्सगंज का बाजार लूटा । इसके बाद स्कूल तथा अन्य जगहों में आग लगा दी ।[१०४] इसी दिन विद्रोहियों के एक दूसरे दल ने घोरावल के एक निकटस्थ गांव को लूटा और बाद में वे जंगल में चले गये । ७ नवम्बर को विद्रोहियों ने घोरावल में पुलिस चौकी के सामान को जला दिया । १० नवम्बर को विद्रोहियों के एक दल ने बेलन नदी पार करने के उद्देश्य से प्रस्थान किया किन्तु यह पता चलने पर कि वहां सैनिक टुकड़ी तैनात है वे रींवा के क्षेत्र में चले गये । १२ नवम्बर को डालगंज के थानेदार ने सूचना दी कि विद्रोहियों का

१०३- डायरी आफ पी० बाकर (डिप्टी कलेक्टर) २६ अक्तूबर-- ५ नवम्बर, १८५७ ।

१०४- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट प्री म्युटनी रेकार्ड, बुक नं० २४, पृष्ठ १७ ।

एक बड़ा दल लालगंज क्षेत्र के सैनिकों की सतर्कता के कारण इलाहाबाद चला गया । १६, १७, १६ नवम्बर को टोपाकुलौली, रामगढ़ तथा कनौली में विद्रोहियों की उपस्थिति के समाचार प्राप्त हुये । किन्तु कोई घटना नहीं घटित हुई ।[१०५] ६ जनवरी, १८५८ को विजयगढ़ में कनतित के राजा तथा योरोपियन सैनिकों की सम्मिलित टुकड़ी की मुठभेड़ विद्रोहियों के एक दल से हुई जिसमें दस विद्रोही मारे गये और बहुत से गिरफ्तार कर लिये गये । मृत विद्रोहियों में चार किसान और छ: सिपाही थे ।[१०६]

सिंगरौली के राजा ने जिला प्रशासन के आदेशों को मानने से मना कर दिया और अपनी जनता को उसने सरकार को राजस्व न देने के लिये कहा । आयुक्त के आदेशों का पालन करते हुये मिर्जापुर के मजिस्ट्रेट ने भी सिंगरौली की जंगली पहाड़ियों में सेना भेजने की कार्यवाही नहीं की ।[१०७]

धीरे-धीरे मिर्जापुर में विद्रोहियों की बड़े पैमाने की कार्यवाहियां समाप्त हो गई और जो विद्रोही रीवा और बिहार प्रान्त में चले गये थे मिर्जापुर वापस आ गये । किन्तु इस बीच विजयगढ़ के निकटस्थ भाग में बन्देल राजपूत जाति के डाकुओं ने अनेक स्थानों पर लूट पाट की किन्तु सरकार द्वारा की

१०५- वही -- पृष्ठ १६ ।

१०६- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर) ६ जनवरी, १८५८ ।

१०७- वही -- २३ जनवरी १८५८ ।

गई कार्यवाही से उनका आतंक समाप्त हो गया । मई १८५८ में विद्रोहियों ने सिंगरौली के राजा का समर्थन पाकर सर्वजीत सिंह के नेतृत्व में भदोही परगना के कुछ गांव को लूटा और जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही किये जाने के पहले वे इलाहाबाद की सीमा में चले गये ।[१०८]

मिर्जापुर में मद्रास रेजीमेन्ट की कई टुकड़ियों के आगमन से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक दृढ़ हो गई थी और मिर्जापुर जिले के प्रमुख विद्रोही दल निकटस्थ जिलों में चले गये । इसलिये विद्रोहियों की ओर से कोई विशेष कार्यवाही न की जा सकी ।[१०९]

गाज़ीपुर

बनारस मंडल के अन्य जिलों की अपेक्षा गाजीपुर जनपद में विद्रोह की आशंका बहुत कम दृष्टिगोचर हो

१०८- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २९९ एवं फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव, (ऐबस्ट्रैक्ट प्रोसीडिंग्स) नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार मिर्जापुर फार दी वीक एण्डिंग २३ मई, १८५७, (सेक्रेट्रिएट रेकार्ड रूम, लखनऊ) ।

१०९- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर)२८ मई,१८५८ ।

रही थी । गाज़ीपुर में विद्रोह के पूर्व ६५ वीं देशी सेना की कई टुकड़ियां तैनात थीं और सरकारी खजाने में लगभग पांच लाख रुपये थे । ३ जून को गाजीपुर में योरोपीय सैनिकों की जो टुकड़ी आई थी शीघ्र ही बनारस वापस चली गई । आज़मगढ़ में विद्रोह होने के उपरान्त कुछ समय के लिये गाज़ीपुर की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया । ६ जून को गाजीपुर शहर में 'गृहयुद्ध' की स्थिति सी हो गई । पुलिस निष्क्रिय थी, सभी स्थानों पर लूट हो रही थी । यहां तक कि अदालत के द्वार भी अछूते नहीं थे । जिला प्रशासन के अधिकारियों ने योरोपीय सैनिक टुकड़ियों को विद्रोहियों के प्रति कठोर नीति अपनाने के आदेश दिये । सरकारी खजाना बनारस भेज दिया गया । शहर में संकट काल तथा फांजी शासन की घोषणा कर दी गई । जिला प्रशासन के अधिकारियों की सतर्कता से शहर में कुछ समय तक के लिए शान्ति हो गई किन्तु जब मि० डूले तथा बेनेविल्स आज़मगढ़ गये तो शहर में पुनः अशान्ति व्याप्त हो गई ।[११०] २१ जून को चौरा ग्राम निवासियों ने गाज़ीपुर के मि० मैथ्यू की फैक्ट्री में आग लगा दी और सामान लूट लिया । मि० मैथ्यू किसी प्रकार अपनी जान बचा कर भागने में सफल हो गये । इसका प्रतिशोध लेने के लिये ७ जुलाई को मि० बाक्स योरोपीय सैनिक टुकड़ी के साथ चौरा ग्राम गये ।

११०- म्यूटनी नरेटिव (एन० डब्लू० पी० आगरा) बनारस डिवीजन पृष्ठ १२-१४ ।

उन्होंने विद्रोहियों की सम्पत्ति लूट ली और ग्राम में आग लगा दी ।[१११]
१८५७ के वर्ष में गाज़ीपुर में उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त अन्य
विशिष्ट घटनायें नहीं हुई किन्तु इस जिले के विद्रोही प्रकृति के
जमींदारों तथा ग्रामिणों ने मिर्जापुर तथा जौनपुर के विद्रोहियों से
बराबर सम्पर्क बनाये रखा । १८५८ में जबकि निकटस्थ जिलों में
स्थिति सामान्य होने लगी थी गाजीपुर में अशान्ति व्याप्त होती
गई । गाज़ीपुर में बाबू कुंवर सिंह के अनेक निकटस्थ सम्बन्धी थे जो
जनता को सरकार के विरुद्ध उत्तेजित करने का कार्य कर रहे थे ।[११२]
मार्च १८५८ में जिस समय गाजीपुर के अधिकांश गावों में अशान्ति
व्याप्त थी सैदपुर परगना के प्रभावशाली जमींदार फेंकू सिंह, जिन्होंने
अभी तक अंग्रेज सरकार की कार्यवाहियों का प्रबल विरोध किया था, ने
अंग्रेज़ों का साथ देने का निश्चय किया और इस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था
को बनाये रखने के लिये निजी व्यक्तियों का एक संगठन ब तैयार किया
जो शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने में काफी सफल सिद्ध हुआ ।[११३]

१११- वही -- पृष्ठ १२-२४ ।

११२- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव, फार दी
एण्डिंग २१ अप्रैल १८५७- २८ अप्रैल, १८५८ ।

११३- लेटर फ्राम एफ० बी० गबिन्स कमिश्नर बनारस डिवीजन
टू डी० ब्रेन्डेथ आफिशियेटिंग मजिस्ट्रेट आफ गाजीपुर
२४ मार्च १८५८ ।

१५ अप्रैल १८५८ को आज़मगढ़ के जिलाधीश ने यह समाचार भेजा कि आज़मगढ़ से विद्रोही घुड़सवारों की तीन टुकड़ियां गाज़ीपुर की ओर गई है तो ब्रिगेडियर गोर्डन ने सम्राट की ५४ वीं सेना की दो टुकड़ियों को गाज़ीपुर भेजा । इस अशान्ति का प्रभाव बलिया पर पड़ा और वहां के कुछ ग्राम के लोगों ने सरकार के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ किया। चितबड़ा गांव के लोगों ने २१ अप्रैल को सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियां करनी प्रारम्भ कर दी । जिला प्रशासन ने चितबड़ा गांव के लोगों को दंडित करने के लिये मि० लुगार्ड तथा कर्नल कम्बरलेज को भेजा ।[११४] २० अप्रैल, १८५८ को कुवंरसिंह ने गाज़ीपुर के सिकन्दरपुर ग्राम में स्थित नील फेक्ट्री और थाने को जला दिया । वहां के निकटस्थ गांव की जनता ने कुंवर सिंह को पुरा सहयोग दिया । ग्रामवासियों ने सरकार को सूचना देने वाले व्यक्तियों को विद्रोहियों के हवाले कर दिया ।

२१ अप्रैल को कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने रेवती और बैरिया के थानो को जलाया और रेवती के थानेदार को जान से मार डाला । विद्रोहियों की सेना जब सहतवार पहुंची तो नदी पार करने के लिये निकटस्थ ग्रामवासियों ने पर्याप्त मात्रा में नावें उपलब्ध कर दीं जबकि इसके पहले अंग्रेज अधिकारियों ने

११४- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव, फार दी वीक एण्डिंग २१ अप्रैल, १८५७- २८ अप्रैल, १८५८ ।

अधिकांश उपलब्ध नावों को नदी के तट से हटवा दिया था । इसके पश्चात् विद्रोहियों ने मनिहार की ओर प्रस्थान किया । मनिहार में कुंवर सिंह की सेनाओं और ब्रिगेडियर डगलस की सैनिक टुकड़ियों में संघर्ष हुआ । संघर्ष में विद्रोहियों को हानि हुई । विद्रोहियों के अनेक हाथी डगलस के सैनिकों द्वारा पकड़ लिये गये । विद्रोहियों के भागने तथा उन्हें रसद पहुंचाने में ग्रामवासियों ने बहुत साथ दिया ।[११५] ३० मई, १८५८ को नगर में यह अफवाह फैली कि गहमर गांव के मेघर राय नामक व्यक्ति ने अमर सिंह नामक एक उपद्रवी से मिल कर सारे परगना में विद्रोह करने की योजना बनाई है ।[११६] इसी दिन गहमर ग्राम में स्थित नील के कारखाने के मालिक राबर्ट स्मिथ कूम्स को एक पत्र प्राप्त हुआ जिससे उन्हें यह सूचित किया गया कि विद्रोहियों ने राजपुर में दो व्यक्तियों को मार डाला है और वे गहमर पर आक्रमण करने के लिये आ रहे हैं किन्तु विद्रोही उस दिन गहमर नहीं आये क्योंकि वे 'देवाल' नामक ग्राम चले गये थे । अभी भी विद्रोहियों के गहमर आने की सम्भावना थी । राबर्ट स्मिथ कूम्स ने ग्रामवासियों की सहायता से कारखाने की सुरक्षा की

११५- के० के० दत्ता -- बायोग्राफी आफ कुंवरसिंह एण्ड अमरसिंह, पृष्ठ १५१-१५५ ।

११६- गाजीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, पृष्ठ २७० (फाइल रिगार्डिंग गवर्नमेन्ट वर्सेज़ ज़मींदारान आफ गहमर) ।

व्यवस्था की किन्तु विद्रोही उस दिन भी नहीं आये । २ जून को ग्रामवासियों ने नील कारखाने के मालिक को गांव छोड़ कर चले जाने की सलाह दी क्योंकि गहमर ग्राम के अधिकांश लोग विद्रोहियों के समर्थक हो गये थे । उसी दिन राबर्ट स्मिथ कूम्स अपने कारखाने का दायित्व एक बंगाली लिपिक को सौंप कर बक्सर चले गये । ३ जून को कारखाने का बंगाली लिपिक भी अपने को असुरक्षित समझ कर वहां से चला गया । उसी रात्रि विद्रोही गांव में आये । गांव वालों ने उनका स्वागत किया । विद्रोहियों ने नील कारखाने के भवन तथा कारखाने के मालिक के आवास में आग लगा दी और सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी ।[११७] ४ जून को अमर सिंह ने पैदल और घुड़सवार सैनिकों के साथ जगदीशपुर से गहमर की ओर प्रस्थान किया ।[११८] ५ जून को गहमर के पूर्व में चार मील दूर स्थित `सेवरी` नामक ग्राम में विद्रोही गये । वहीं से विद्रोहियों की एक टुकड़ी `बुधौरा` नील कारखाने को क्षति पहुंचाने के लिये गई । बुधौरा कारखाना आंशिक रूप से लूट पाट का शिकार हुआ ।[११६] अगले दिन यह ज्ञात हुआ कि मेघर राय और उसकी सहायक टुकड़ियों ने नियाजपुर तथा राजपुर में लूट पाट की है । इन विद्रोहियों के पास छोटी तोपें भी थीं । इन लोगों ने राजपुर तथा चौसा पर

११७- वही --

११८- मिलेट्री कन्सलटेशन्स १० जून, १८५८, पृष्ठ ४१० ।

११६- एस० ए० ए० रिज़वी, `फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश`, भाग ४, पृष्ठ ११६ ।

आक्रमण किया और एक पटवारी तथा एक बरकनदाज को मार डाला ।[१२०] बारा एवं गहमर के अन्य विद्रोही सिपाहियों ने इन लोगों का साथ दिया । ये लोग निकटस्थ गांव में विद्रोह का प्रचार करने के उद्देश्य से कुछ दिनों तक वहां रुके रहे । ७ जून को जिला प्रशासन को बारा में तैनात पैदल सिपाही और सवावल ने सूचना दी कि ५०० विद्रोही रहठ परगना में एकत्र हैं । उन्होंने कर्मनासा नदी की दूसरी ओर स्थित पांच सरकारी मकानों को जला दिया है । इन विद्रोहियों के नेता गहमर के मेघरराय थे तथा गहमर के अन्य जमींदार उनका साथ दे रहे थे । इसी दिन सायं ४ बजे वे चौसा के थाना को जलाने के लिये गये और उन्होंने तहसील पर भी आक्रमण किया । ७ जून को मेघरराय के नेतृत्व में १०० पैदल और ५० घुड़सवार विद्रोहियों ने चौसा के निकट एक सरकारी बंगला तथा एक नील फैक्ट्री को जला दिया । इसके बाद विद्रोही मोहम्मदाबाद की ओर चले गये । इन विद्रोहियों में एक घुड़सवार विद्रोही का घोड़ा मर जाने के कारण ये तीन सरकारी सांड़ भगा ले गये ।[१२१] इसी दिन विद्रोहियों ने मोहम्मदाबाद की तहसील को लूटा और सरकारी भवन को नष्ट कर दिया । नावली,

---

१२०- गाज़ीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, पृष्ठ २७० (फाइल रिगार्डिंग गवर्नमेन्ट वर्सेज़ ज़मींदारस आफ गहमर) ।

१२१- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २८२ ।

बारा, करेपा, मोराई के जमींदारों ने विद्रोहियों की सहायता की ।

इन्हीं दिनों अवध तथा आज़मगढ़ के विद्रोहियों की कुछ टुकड़ियां गाज़ीपुर जिले के सीमा क्षेत्र से होकर दूसरे जिलों में गईं जिसका स्वाभाविक प्रभाव यह हुआ कि जनता अपने को असुरक्षित अनुभव करने लगी ।[१२२] ६ जून को गहमर में अमरसिंह की उपस्थिति की सूचना पाकर जिला प्रशासन ने कई सैनिक टुकड़ियां गहमर भेजीं । इसके पहले ही अमर सिंह ने गहमर से प्रस्थान कर दिया ।[१२३] गाज़ीपुर में अमरसिंह की उपस्थिति से विद्रोहियों का उत्साह बढ़ गया और सर्वत्र अशान्ति व्याप्त हो गई ।[१२४] ८ जून को ई० लुगार्ड के नेतृत्व में योरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी से विद्रोहियों की मुठभेड़ हुई । विद्रोही जंगल में चले गये लेकिन उत्तर पूर्व की ओर से पुनः वापस आकर उन्होंने गहमर ग्राम पर अधिकार कर लिया । निकटस्थ गांव के लोगों ने विद्रोहियों का साथ दिया । विद्रोहियों

१२२- वही -- पृष्ठ २७१ ।

१२३- गाज़ीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, पृष्ठ २७४ (फाइल रिगार्डिंग गवर्नमेन्ट वर्सेज़ जमींदारस आफ गहमर) ।

१२४- टेलीग्राफिक मैसेज़ सेन्ट फ्राम बी० एफ० एल्मान्सटन, इलाहाबाद टू ई० ए० रीड, आगरा १४ जून, १८५८ ।

एवं ग्रामीणों की मिली हुई एक टुकड़ी ने मिलकर सरकारी सम्पत्ति को लूटा और हानि पहुंचायी । कर्नल कम्बरलेज ने शीघ्रता से गहमर की ओर प्रस्थान किया किन्तु तब तक गाज़ीपुर में गंगा नदी के दाक्षिणी ओर का सम्पूर्ण क्षेत्र व्यवस्था रहित हो चुका था ।[१२५] गाज़ीपुर ज़िले के उत्तरी क्षेत्र में मेंहदीहसन के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सरकार को चेतावनी देनी प्रारम्भ कर दी । १० जून को ज़िले के दक्षिणी क्षेत्र में अशान्ति व्याप्त थी । शान्ति व्यवस्था के लिये उस क्षेत्र में ज़िला प्रशासन द्वारा किये गये सभी प्रयत्न विद्रोहियों ने विफल कर दिये । बलिया, रसड़ा तथा ज़मानिया में विद्रोही सैनिकों की टुकड़ियों ने आतंक मचा रखा था ।[१२६] १३ जून तक संपूर्ण गाजीपुर में अधिकांश थाने तथा तहसीलें विद्रोहियों के आक्रमणों से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं । बलिया, बेरिया तथा ज़मानिया की स्थिति अत्यधिक अशान्तिपूर्ण हो गई थी ।[१२७] १७ जून को गाजीपुर के पूर्व क्षेत्र से आये विद्रोहियों ने सैदपुर परगना को लूटने की धमकी दी किन्तु समय से योरोपीय सैनिकों के वहां पहुंच जाने से विद्रोही तितर बितर हो गये । गाज़ीपुर में ब्रिगेडियर डगलस ने आने के बाद ज़मानिया, बेरिया तथा रसड़ा को विद्रोहियों के आतंक से बचाने

१२५- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २७१ ।

१२६- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार गाज़ीपुर फार दी वीक एण्डिंग ३ जुलाई, १८५८ ।

१२७- वही --

के लिये वहां सैनिक टुकड़ियां भेजी । विद्रोहियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिये जब कैप्टेन मैकमिलन और मि० लाकर के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियां जा रही थीं तो विद्रोहियों ने मार्ग के पुल को तोड़ कर अवरोध उपस्थित कर दिया । बैरिया के थानेदार के पास एक विद्रोही चपरासी की वर्दी में गया और कहलवाया कि वह गाज़ीपुर के जिला मजिस्ट्रेट का एक सन्देश लाया है । थानेदार जैसे ही बाहर आया छद्मवेशी विद्रोही ने थानेदार को मार डाला[१२८]। १५ जून को परगना जमानिया के `देवथा` ग्राम में मेघरराय के नेतृत्व में बहुत से विद्रोही एकत्र थे । सरकारी अधिकारियों के आने की सूचना पाने पर ये लोग निकटस्थ गांव में चले गये । १७ जून को दिलदार नगर में २०० विद्रोही उपस्थित थे । उनके साथ गहमर, कासमी, नावली और बारा ग्राम के लोग भी थे । निकटस्थ ग्रामों के लोगों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था । करर कोर्नी ग्राम के विद्रोही नेता इमदाद खान भी इन विद्रोहियों के साथ था । इस क्षेत्र में विद्रोहियों की संख्या बढ़ती गई[१२६] १८ जून को मेघरराय के नेतृत्व में १०० विद्रोहियों ने `निवालखन` ग्राम पर आक्रमण किया। वे मि० सेमुअल के `भंडार गृह` को भी जला देना चाहते थे किन्तु

१२८- वही --

१२६- गाज़ीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता (फाइल रिगार्डिंग गवर्नमेन्ट वर्सेज मेघर राय) ।

उन्होंने कुछ कारणों से ऐसा नहीं किया ।[१३०]

५ जुलाई को सूचना मिली कि बिहार के छपरा जिले के विद्रोहियों ने जोधासिंह के नेतृत्व में गाजीपुर की सीमा में प्रवेश किया है । उन्होंने तेसोरे थाना को जला डाला है और छकोरा के उत्तर पूर्व में चन्दौल में वे एकत्रित हैं । बलिया में बड़ी संख्या में विद्रोही एकत्र थे । समाचार पाने पर कैप्टेन मैकमिलन ने सिक्ख सैनिकों की टुकड़ी के साथ विद्रोहियों की ओर प्रस्थान किया। कैप्टेन मैकमिलन के आने का समाचार पाकर विद्रोही बैरिया की ओर चले गए । बैरिया में मि० प्रोबन १०० सिक्ख सैनिकों तथा ३० घुड़सवारों के साथ उपस्थित था । ११ जुलाई के मध्यान्ह विद्रोहियों ने एक मकान को घेर लिया जिसमें योरोपीय सैनिक थे ।[१३१] विद्रोही अब भी क्रूरता, हत्या और लूट पाट की नीति का अनुसरण कर रहे थे ।[१३२]

१३ जुलाई को विद्रोहियों की टुकड़ी ने बलिया

१३०- गाजीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता (फाइल रिगार्डिंग गवर्नमेन्ट वर्सेज केयस डक्य) जमींदार्स आफ गहमर) ।

१३१- ओरीजिनल टेलीग्राम सेन्ट टू मि० ई० ए० रीड, आगरा ८ जुलाई १८५८ ।

१३२- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार दी वीक एण्डिंग गाज़ीपुर ११ जुलाई, १८५८ ।

में कैप्टेन मैकमिलन के नेतृत्व में आ रही योरोपियन सैनिकों की टुकड़ी पर आक्रमण किया किन्तु सशक्त विरोध होने पर विद्रोही वापस चले गये । बैरिया में विद्रोहियों एवं सैनिक टुकड़ी में हुये संघर्ष में ५ योरोपीय सैनिक मारे गये और बहुत से घायल हुये ।[१३३] १४ जुलाई को बैरिया के निकट शिवपुर में ब्रिगेडियर डगलस १०वीं शाही पैदल सेना के २०० सैनिकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ स्टीमर से आये । लेफ्टिनेन्ट बेनिंगस, मि० ग्रोवन और मि० कुले ने विद्रोहियों का सामना करने में अभूतपूर्व योग्यता का परिचय दिया। १६ जुलाई को ब्रिगेडियर डगलस ने बलिया की ओर प्रस्थान किया । बलिया में नदी के किनारे बहुत से विद्रोही एकत्र थे जो ब्रिगेडियर डगलस के नेतृत्व में आई हुई टुकड़ी का समाचार पाने पर तितर-बितर होने लगे । योरोपीय सैनिक टुकड़ी से सामान्य संघर्ष में एक विद्रोही मारा गया । कमानिया के निकटस्थ क्षेत्र में व्याप्त अशान्ति और उत्तेजना को शान्त करने के लिये ५० सिक्ख सैनिकों को जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया । कमानिया क्षेत्र में आरा के विद्रोहियों के प्रवेश से स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई । ये विद्रोही सड़क के किनारे के गांव में लूट पाट कर रहे थे । स्थिति में कुछ सुधार होने पर विद्रोहियों का दृढ़ता से सामना करने के लिये जिले के अनेक मार्गों में थानों की पुनर्स्थापना की गई । लेफ्टिनेन्ट कैम्पबेल ने कैम्पेन को

१३३- वही -- १८ जुलाई, १८५८ ।

अन्य अभियन्ताओं के साथ पुलिस चौकियों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया। जिले में डकैती की घटनाओं को रोकने के लिये भी सुरक्षात्मक उपाय किये गये। जमानिया परगना के अधिकांश विद्रोही मेघर राय के प्रभाव में थे। ये इस क्षेत्र में तब तक उपद्रव करते रहे जब तक कि बिहार और आरा में शान्ति नहीं व्याप्त हो गई।[१३४] अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में गाज़ीपुर के मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलने पर कि अवध क्षेत्र के विद्रोही बलिया होते हुये बिहार जा रहे हैं सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना दी गई तथा नदी पर से सारी नावें हटा ली गईं।[१३५] १५ अगस्त को नगरा स्थान में विद्रोही टुकड़ियां एकत्र थीं। जमानिया में शान्ति थी किन्तु आरा के विद्रोहियों का भय पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था।[१३६] २८ अगस्त को बारह नामक स्थान पर विद्रोहियों ने रींवा के पंजाबसिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध किया।

सितम्बर माह में बक्सर के मजिस्ट्रेट की सूचना के आधार पर नदी के किनारे विद्रोहियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिये गये क्योंकि

१३४- `फ्रीडम स्ट्रगिल` पूर्व उद्धृत, २७८।

१३५- फारेन सीक्रेट कन्सलटेशन २४ सितम्बर, १८५८, नं० ६५।

१३६- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज़ नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार गाज़ीपुर फार दी वीक एण्डिंग, १४ अगस्त, १८५८।

विद्रोहियों की सैनिक टुकड़ियां नदी पार करने का प्रयत्न करेंगी । २९ सितम्बर को रायजीपुर में कुछ नावों को सुरक्षा की दृष्टि से डुबो दिया गया । फुमनार, घमुनिया तथा बारा क्षेत्र में विद्रोहियों ने अनेक नावों की व्यवस्था कर ली थी । यहां के निकटस्थ गांव में विद्रोहियों ने भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र एकत्र किये थे तथा खाद्य पदार्थों की भी व्यवस्था की थी ।[१३७]

अक्तूबर १८५८ तक गाज़ीपुर में प्राय: शान्ति हो गई थी । केवल जमानिया और गाज़ीपुर का वह क्षेत्र जो शाहाबाद के निकट था, में विद्रोही सक्रिय रहे किन्तु जब मेजर हैवलाक के नेतृत्व में अंग्रेज सेनाओं ने बिहार में अमर सिंह को पराजित कर दिया तो उस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से शान्ति स्थापित हो गई क्योंकि इस क्षेत्र के विद्रोहियों को बिहार से सहायता प्राप्त होना बन्द हो गया था ।[१३८]

- ० -

१३७- लेटर फ्राम डब्लू० ब्राउन कमान्डर बनारस टू एफ० बास मजिस्ट्रेट गाज़ीपुर २९ सितम्बर, १८५८ ।

१३८- गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ १७४ ।

चतुर्थ अध्याय

--०--

बनारस मंडल में विद्रोह का दमन

चतुर्थ अध्याय

-०-

बनारस मंडल में विद्रोह का दमन

बनारस में विद्रोह का दमन

बनारस में विद्रोह का प्रारम्भ आज़मगढ़ से विद्रोह का समाचार आने पर ४ जून को हुआ किन्तु बनारस में विद्रोह होने की सम्भावना का आभास बनारस के जिला एवं सैनिक अधिकारियों को बहुत पहले हो चुका था। परेड मैदान में विद्रोही सैनिकों द्वारा विद्रोह का किया गया प्रयत्न कैप्टेन आल्फ्र्टस तथा कैप्टेन वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिक टुकड़ी ने विफल कर दिया। २०० योरोपियन सैनिकों के सामने १ हज़ार असंगठित विद्रोही सैनिक ठहर न सके और अंग्रेज़ों द्वारा की गई भारी गोली वर्षा से लगभग १०० विद्रोही घटना स्थल पर मारे गये।[१] इस सफलता का श्रेय सैनिक अधिकारियों के कुशल नेतृत्व तथा अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों के साहस से हो जाता है। बनारस से भागे हुये विद्रोहियों ने बनारस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हिंसा तथा अराजकता को बढ़ावा दिया किन्तु जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं दौरा करने वाली सैनिक टुकड़ियों की सतर्कता के कारण

१- 'दी फ्रेन्ड्स आफ इण्डिया' १८ जून, १८५७, पृष्ठ ५८२।

विद्रोही सैनिकों की कार्यवाहियां अधिक प्रभावशाली न रहीं ।[2]

९ जून, १८५७ को बनारस मंडल में फौजी कानून लागू करने की घोषणा की गई जिसके अन्तर्गत बनारस मंडल के आयुक्त को विद्रोह का दमन करने के लिये असाधारण अधिकार दिये गये । बनारस में विद्रोह का रूप अन्य निकटवर्ती जिलों की अपेक्षा सामान्य था । इसलिए अधिकारियों ने आवश्यक समझा कि सामान्य अपराध पर भी इतना कठोर दंड दिया जाय कि जन-सामान्य के लिये वह एक आतंक का विषय बन जाय जिससे निकटवर्ती जिलों की विद्रोहात्मक कार्यवाही का प्रभाव बनारस की जनता पर न पड़ सके । ९ जून, १८५७ को बनारस मंडल में फौजी कानून लागू करने के पश्चात् जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं दौरा करने वाली सैनिक टुकड़ियों के कमान अधिकारियों को दोषमुक्त करने तथा फांसी देने का अधिकार दिया गया जो इस बात का द्योतक था कि सरकार विद्रोह को कठोरता से कुचलने के लिये कितनी दृढ़ संकल्प है ।[3] १४ सितम्बर, १८५७ को बनारस के एक संपन्न सर्राफ़ को बन्दी बनाया गया । उसके घर से बरामद पत्रों से यह ज्ञात हुआ कि उसने बनारस से लेकर लखनऊ तक के विद्रोहियों से सम्बन्धित समाचार भेजने एवं लाने की व्यवस्था की थी ।[4] ईश्वरी प्रसाद नामक

२- के० एण्ड मैलसन, `हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी`, भाग २, पृष्ठ १७५ ।

३- वही -- पृष्ठ १७७ ।

४- सर सी० कैम्पबेल, `भारतीय विद्रोह का वृत्तान्त`, पृष्ठ ६४ ।

इस सराफ़ द्वारा संगठित डाक व्यवस्था का पता चलने पर उससे सम्बन्धित अन्य बहुत से लोग गिरफ़्तार किये गये और उनमें से अधिकांश को मृत्यु दण्ड दिया गया ।[५] बनारस में फौजी कानून के अन्तर्गत अंग्रेज़ों के विरुद्ध सामान्य अपराध में भी फांसी की सजा दी जाती थी । दण्ड देने वाले अधिकारी अपराधी मनुष्य के जीवन का मूल्य सियार तथा तुच्छ प्राणियों से भी कम समझते थे ।[६] सड़कों के किनारे पेड़ों पर लटकती हुई लाशें और फांसी के फन्दे क्रूरतम अत्याचार के परिचायक थे । दण्ड देते समय बच्चों या बूढ़ों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था । एक स्थान पर सामान्य अपराध में कुछ किशोर अवस्था के बच्चों को फांसी की सजा दी गई ।[७] न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की दया प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं निकलता था । फांसी देने की इन घटनाओं से सारे जिले में आतंक व्याप्त हो गया था । अपराधियों को वध स्थलों पर अंग्रेज़ी के ४ ` ९ ` एवं ` की आकृतियों में लटका दिया जाता था ।[८] विद्रोह से संदिग्ध गांव में आग लगाने की अनेक घटनाएं हुई । गांवों में अग्निदाह का कार्य इतनी

५- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवनमेन्ट वर्सेज भैरो प्रसाद एण्ड ईश्वरी प्रसाद एण्ड अदर्स ।

६- के० एण्ड मैलसन - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १७७ ।

७- वही - पृष्ठ १७७ ।

८- वही - पृष्ठ १७७ ।

शीघ्रता से किया जाता था कि ग्रामवासियों को अग्नि ज्वाला से निकल कर भागने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता था । निर्धन कृषक, विद्वान, दीन मुसलमान, निरपराध महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, अपंग, अन्धे तथा पशु अग्नि की भेंट हो जाते थे ।[६] यदि कोई भागने में सफल हो सका तो अंग्रेज सैनिकों की बन्दूकों की गोलियां उसे छलनी कर देती थीं ।[१०] ८ फरवरी, १८५८ को जब बनारस जेल में २६ विद्रोही सैनिकों ने भागने का असफल प्रयत्न किया तो अगले ही दिन उन सभी को फांसी की सजा दे दी गई ।[११] ६ फरवरी को मिर्जापुर तथा बनारस की सीमा पर अंग्रेज सैनिक टुकड़ी ने विद्रोहियों के एक दल पर आक्रमण करके अधिकांश को मार डाला और बाकी बचे हुये लोगों को बन्दी बना कर बनारस लाया गया वहां उन्हें फांसी दे दी गई ।[१२]

जौनपुर में विद्रोह का दमन

जौनपुर में विद्रोह के प्रारम्भ होने पर, जिला प्रशासन के अधिकारियों को विद्रोह होने का पूर्वाभास न होने के कारण

६- चार्ल्स बाल, 'हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी' भाग १, पृष्ठ २४२-२४३ ।

१०- वही -- पृष्ठ २४४ ।

११- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बनारस, पृष्ठ २१४ ।

१२- म्यूटनी नरेटिव (एन० डब्लू० पी०, आगरा) बनारस डिवीजन, पृष्ठ २१ ।

शहर छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा किन्तु कुछ दिन बाद जिला मजिस्ट्रेट के बनारस से लौटने से स्थिति में काफी सुधार हुआ । प्रारम्भ में विद्रोहियों की सफलता ने प्रशासनिक व्यवस्था को काफी हानि पहुंचायी थी । इसलिये जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विद्रोहियों का दमन करने के लिये अत्यन्त कठोर नीति अपनाई ।

३० जून को विद्रोहियों की एक बड़ी टुकड़ी के मोहब्बतपुर नामक गांव में होने का समाचार मिला तो मि० बेनेविल्स ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहां के लिए प्रस्थान किया । यद्यपि मुख्य विद्रोही भागने में सफल हो गये किन्तु संदिग्ध प्रकृति के कुछ व्यक्ति मि० बेनेविल्स द्वारा गिरफ्तार किये गये ।[१३] २३ जुलाई को रज्जबअली ने जब कोतवाली पर आक्रमण किया तो मि० बेनेविल्स की शिथिलता के के कारण यद्यपि वे भागने में सफल हो गये किन्तु कुछ निकटवर्ती गांव के विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिन पर कोतवाली पर आक्रमण करने का सन्देह था ।[१४] १६ अगस्त, १८५७ को जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करके इरादत जहान की सम्पत्ति हड़प ली ।[१५]

१३- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिविजन, पृष्ठ १४ ।

१४- वही -- पृष्ठ १४ ।

१५- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवनमेन्ट वर्सेज इरादत जहान, फाइल नं० ४ । २३ (कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर) ।

८ सितम्बर को जौनपुर में नैपाली सैनिक टुकड़ियों के आने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विद्रोहियों के दमन के लिये व्यापक योजना तैयार की। कर्नल राग्टन, कैप्टन ब्वायार, लेफ्टिनेन्ट मिल्स, लेफ्टिनेन्ट हाल, मि० लिन्ड, मि० कारनेजी तथा अन्य प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों ने विद्रोहियों की गतिविधियों से तत्काल अवगत होने के लिये डाक व्यवस्था में व्यापक सुधार किये और विद्रोहियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये थानेदारों को आवश्यक निर्देश दिये।[१६]

सुदवा के निकट १६ सितम्बर को कर्नल राग्टन तथा हसनयार विद्रोही नेता के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें विद्रोहियों को बहुत क्षति उठानी पड़ी। हसनयार खां पराजित होने पर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ भाग गया। फिर भी संघर्ष के समय गिरफ्तार विद्रोहियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दण्डित किया गया। इस संघर्ष में पराजय के बाद विद्रोहियों की सेना का मनोबल काफी गिर गया। उनकी अधिकांश बन्दूकें छीन ली गई थीं। घायलों और मृतकों के लिये उनके पास उचित व्यवस्था भी न थी। ऐसी स्थिति में बहुत से असन्तुष्ट विद्रोहियों ने मेंहदी हसन और हसनयार खां का साथ छोड़ दिया।[१७] सितम्बर १८५७ में विद्रोहियों के लिये समाचार भेजने

१६- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर, पृष्ठ १८१ ।

१७- वही - पृष्ठ १८२ ।

हेतु एक डाक व्यवस्था का पता चला था जिसमें ज्वाला प्रसाद तथा भैरो प्रसाद सहित अन्य आठ आदमियों को बन्दी बनाया गया । इन बन्दी व्यक्तियों पर जौनपुर के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा चलाया गया और इन व्यक्तियों को सरकार के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति का षड्यन्त्र करने का दोषी पाया गया । १४ अक्तूबर, १८५७ को इन व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड की सजा न्यायालय द्वारा दी गयी और १६ अक्तूबर, १८५७ को भैरो प्रसाद, नोहिम, मेन्घा, बुद्धु, मुकदम, शीतल, अयोध्या, भुवनभील तथा मेंहदी को फांसी पर चढ़ा दिया गया ।[१८] ३० अक्तूबर को कर्नल पहलवानसिंह के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोहियों के एक दल को चान्दा के निकट पराजित किया । विद्रोही भागते समय ४ बन्दूकें और बहुत सी रसद छोड़ गये जिसे जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई टुकड़ी ने अपने अधिकार में कर लिया ।[१९] १८ दिसम्बर को विद्रोही नेता बिन्देश्वरी प्रसाद को गिरफ्तार किया गया । बिन्देश्वरी प्रसाद पर थानेदार शालीग्राम को कई सप्ताह तक बन्दी बनाये रखने, जौनपुर के तहसीलदार तथा राजा पर आक्रमण करने, मनिहार एवं चान्दा में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के आरोप थे । जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने इस व्यक्ति को पकड़वाने के लिये इनाम की भी घोषणा की थी । बिन्देश्वरी प्रसाद पर मि० रेस्ट्रेल विशेष

१८- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवर्नमेन्ट वर्सेज़ भैरोप्रसाद, ईश्वरी प्रसाद एण्ड अदर्स (जौनपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता) ।

१९- लेटर फ्राम लेफ्टिनेन्ट कर्नल राउटन इन मिलेट्री चार्ज गोरखा फोर्स टू लेफ्टिनेन्ट कर्नल स्ट्रैची सिक्रेट्री टू दी गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्राविन्सेज ३१ अक्तूबर १८५७ ।

न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित अधिकारियों को दिया ।[२०]

२ जनवरी, १८५८ को जब विद्रोहियों ने बदलापुर थाने पर आक्रमण करने की धमकी दी तो बदलापुर के थानेदार ने राजाबाजार के राजामहेश नारायण सिंह की सहायता से विद्रोहियों को बदलापुर क्षेत्र से हटने के लिये बाध्य किया ।[२१] ६ जनवरी को ब्रिगेडियर फ्रेंक्स की सेना की एक टुकड़ी विद्रोहियों के दमनार्थ बदलापुर के लिये रवाना हुई । ११ जनवरी को विद्रोही नेता खुदाबक्स के कैम्प की ओर से तोपों की आवाज आई । विद्रोहियों एवं सैनिक टुकड़ी में सामान्य संघर्ष भी हुआ । जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई सैनिक टुकड़ी ने खुदाबक्स के कैम्प के पास से एक विद्रोही नेता को पकड़ने में सफलता प्राप्त की ।[२२] २२ जनवरी, १८५८ को लेफ्टिनेन्ट कर्नल राग्टन ने जौनपुर के नायब नाजिम इरादत जहान के अन्य सहयोगियों को पकड़वाने के उद्देश्य से कुछ टुकड़ियां भेजी । संदिग्ध प्रकृति के कुछ

२०- फारेन डिपार्टमेन्ट कन्सल्टेशन्स (मार्च ११, १८५६ से नवम्बर १८, १८५६) ।

२१- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर, पृष्ठ १८२ ।

२२- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग, १६ जनवरी, १८५८ ।

व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । महताब राय और बालेमन खां इनमें प्रमुख थे ।

१८ फरवरी को फ्रैंक्स की सैनिक टुकड़ी ने सुल्तानपुर के नाज़िम मेंहदीहसन की सेना को बदठापुर के निकट पराजित किया । विद्रोहियों के पक्ष को अधिक हानि पहुंची । योरोपियनों के पक्ष को छः तोपें प्राप्त हुई और उनके कुल ग्यारह आदमी मारे गये जबकि विद्रोही पक्ष के मृतकों की संख्या इससे अधिक थी । १६ फरवरी को मछियाहू क्षेत्र में अशान्ति का समाचार पाकर ज़िला प्रशासन द्वारा भेजे गये मि० वैकिन्सन ने विद्रोहियों के दमन हेतु कठोर नीति अपनायी । उन्होंने विद्रोहियों के समर्थकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी और फरार विद्रोहियों के घरों को नष्ट कर दिया । यह उनके कठोर दमन नीति का ही प्रभाव था कि इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति मात्र से अधिकांश विद्रोही नेता इस क्षेत्र से बाहर चले गए ।[२३]

२८ मार्च को मछियाहू में सरकार के समर्थक जमींदारों द्वारा तैयार की गई सशस्त्र व्यक्तियों की टुकड़ी से विद्रोहियों का संघर्ष हुवा जिसमें अनेक विद्रोही घायल हुये और छः विद्रोहियों को बन्दी बना लिया गया ।[२४]

२३- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ दी इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग २१ फरवरी,१८५८।

२४- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ दी इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग, २८ मार्च, १८५८ ।

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर के नाजिम के पुत्र गुलाम हुसैन ने विद्रोहियों की कई टुकड़ियों के साथ टिंघरा और बदलापुर क्षेत्र में जब अशान्ति का वातावरण उपस्थित कर दिया तो जिला प्रशासन की सहमति से १२ अप्रैल को ई० लुगार्ड ने गोरखा सैनिक टुकड़ियों की सहायता से गुलाम हुसैन की विद्रोही सेना पर आक्रमण किया। विद्रोहियों की सैनिक टुकड़ियों पर ई० लुगार्ड की सैनिक टुकड़ी का सहसा आक्रमण बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ। विद्रोहियों की सभी तोपें छीन ली गयीं और भारी मात्रा में रसद ई० लुगार्ड की सैनिक टुकड़ी के हाथ लगी। यद्यपि इस संघर्ष में ई० लुगार्ड के सहयोगी लेफ्टिनेन्ट सी० डब्लू० हैवलाक लड़ते हुये मारे गये किन्तु विद्रोहियों के पक्ष के हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। विद्रोहियों की इस पराजय का निकटवर्ती क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सरकार के विरोधी जमींदारों ने अपनी मनोवृत्ति बदल कर सरकार के साथ सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया। ई० लुगार्ड ने मार्ग के अधिकांश ग्रामों में विद्रोहियों की सम्पत्ति नष्ट कर दी और सम्बन्धित अधिकारियों को उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखने का आदेश दिये।[२५]

अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में बादशाहपुर में विद्रोही टुकड़ियों एवं डाकुओं द्वारा उत्पन्न की गयी अशान्ति को समाप्त करने के लिये भेजी गयी मिलिट्री पुलिस को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली। मिलिट्री पुलिस ने विद्रोहियों के समर्थकों तथा संदिग्ध

२५- एस० ए० ए० रिज़वी -- `फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश`, भाग ४, पृष्ठ २३० ।

प्रकृति के व्यक्तियों को घटना स्थल पर ही दंडित करना प्रारम्भ किया। पुलिस की इस क्षेत्र में उपस्थिति से सरकार समर्थक जमींदारों को बल मिला । मई के प्रथम सप्ताह में जौनपुर में एक विद्रोही नेता का विरोध सरकार के विश्वासपात्र जमींदार ने किया जिसमें विद्रोही नेता मारा गया ।[२६]

१६ मई को बादशाहपुर परगने के निकट मिर्जापुर के विद्रोही नेता भूरी सिंह की कार्यवाहियों का प्रतिरोध करने के लिये मि० सेन्डेमैन, मि० वैकिन्सन तथा लेफ्टिनेन्ट फुलन ने सरकार समर्थक जमींदारों के सशक्त व्यक्तियों, पुलिस तथा कुछ घुड़सवारों के साथ भूरी सिंह का पीछा किया । यद्यपि भूरी सिंह भागने में सफल हो गया किन्तु सैनिक अधिकारियों की इस अविलम्ब कार्यवाही से सरकार के समर्थकों को बहुत बल मिला और मार्ग के कुछ विद्रोही गांवों के लोगों को दंडित किया जा सका ।[२७]

३ जुलाई को जब विद्रोहियों के दल ने मड़ियाहू परगने में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो वहां पर मि० वैकिन्सन के सिपाहियों की उपस्थिति से वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके । ११ जुलाई को संग्राम सिंह ने एक विद्रोही सैनिक टुकड़ी के द्वारा

२६- वही -- पृष्ठ २३१ ।

२७- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ दी इवेन्ट्स फार इलाहाबाद डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग १६ मई, १८५८ ।

बनारस जौनपुर की सीमा पर लूट पाट की घटनाएं की तो जिला प्रशासन ने समाचार पाने पर गोरखा सैनिकों की एक टुकड़ी मि० पुलन के नेतृत्व में भेजी । पुलन के तीव्र प्रतिरोध के कारण संग्राम सिंह को जौनपुर बनारस सीमा के अशान्त क्षेत्र को छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा । संग्राम सिंह ने जब पुन: मछ्यिाहू क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मि० व्लेस्की और मि० टेलर ने उपलब्ध सैनिक टुकड़ी की सहायता से संग्राम सिंह को पकड़ने का प्रयत्न किया । एक बार तो संग्राम सिंह पकड़ते-पकड़ते बचा । इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की सहायता से कुछ-कुछ संदिग्ध प्रकृति के लोगों को गिरफ्तार किया और दंडित किया। इसके अतिरिक्त सरकार समर्थक लोगों की विद्रोहियों से सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबंध किया ।[२८]

अगस्त के प्रथम सप्ताह में विद्रोही नेता भूरी सिंह की मृत्यु का समाचार मिला ।[२९] इस प्रकार मिर्जापुर जौनपुर सीमा में शान्ति स्थापित हुई । जौनपुर के जिला शासन के अधिकारियों ने भूरी सिंह के अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिये किन्तु उल्फत सिंह के अतिरिक्त अन्य कोई गिरफ्तार न किया जा

२८- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ दी इवेन्ट्स फार बनारस डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग ११ जुलाई, १८५८ ।

२९- फारेन डिपार्टमेन्ट पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स फ्राम अगस्त १८५८- नवम्बर १८५८ ।

सका । २८ अगस्त को जौनपुर जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट ने अवध के चीफ कमिश्नर को पत्र लिख कर बरहुर के राजपूतों तथा इरादत जहान के अन्य गिरफ्तार साथियों के प्रति अपनाई जाने वाली दमन नीति के सम्बन्ध में सुझाव मांगे । विद्रोहियों की अधिकांश सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी और मि० ऐस्टेले विशेष न्यायाधीश की अदालत में बन्दी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने के आदेश दिये गये ।[30]

२७ सितम्बर को जिला प्रशासन ने जिस सशक्त टुकड़ी को इरादत जहान के विरुद्ध भेजा था उसने मुबारकपुर में स्थित उसके मकान को घेर लिया । दोनों पक्षों में गोलियां चलीं । गोरखा सैनिकों ने इरादत जहान के सहयोगी विद्रोहियों पर इतनी अधिक गोली वर्षा की कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिये विवश होना पड़ा । इरादत जहान, फसाहत जहान और कुछ अन्य विद्रोही नेता गिरफ्तार कर लिये गये । फौजी अदालत में उन पर मुकदमा चलाये जाने के बाद उन्हें फांसी दे दी गयी ।[31]

२८ सितम्बर को कैप्टन स्टील और बेकिन्सन के नेतृत्व में गोरखा सैनिक टुकड़ी के साथ इरादत जहान के कारिन्दा मकदूम बक्स के गांव नुगहटी पर आक्रमण किया । आदमपुर पहुंचने पर गोरखा सैनिकों की टुकड़ी ने गांव को घेर लिया और गोली वर्षा

३०- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवर्नमेन्ट वर्सेज इरादत जहान, फाइल नं० ४ ।२३ ।

३१- नरेटिव आफ दी इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ २१ ।

करनी प्रारम्भ कर दी जिससे विद्रोही नेता अमरसिंह घायल हुआ । भागते समय विद्रोही जब एक नदी को पार करने का प्रयत्न कर रहे थे तो मारे गये । नाव से भागते समय अमर सिंह गोरखा सैनिकों की गोली से मारे गये । उनकी लाश कैम्प में भेज दी गयी जिसे सैकड़ों व्यक्तियों ने पहचाना । आदमपुर में विद्रोहियों के साथ हुये संघर्ष में लगभग पचास विद्रोही हताहत हुये । घायलों की संख्या इसमें कहीं अधिक थी ।[32] विद्रोहियों की सम्पत्ति सरकार ने अपने अधिकार में कर ली और बन्दी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें कैम्प में भेज दिया गया । इस संघर्ष में साथ देने वाले सरकार समर्थक व्यक्तियों को जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट से पुरस्कार दिलाने की संस्तुति कैप्टन स्टील और मि० वेकिन्सन ने की ।[33] २ अक्टूबर को मलिक मेंहदी बक्स की विद्रोही सेना तथा गोरखा सैनिकों की टुकड़ी में हुये संघर्ष में विद्रोही शीघ्र ही पराजित हो गये । उनकी सम्पत्ति को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपने अधिकार में ले लिया ।[34] १६ अक्तूबर को दुबवा में हसनयार नामक विद्रोही नेता की सैनिक टुकड़ी से गोरखा सैनिकों के हुये संघर्ष में भागते हुये विद्रोही सैनिकों की अधिकांश रसद गोरखा सैनिकों के हाथ लगी ।[35] २३ अक्तूबर को

३२- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ४७४ ।

३३- वही - पृष्ठ ४७४ ।

३४- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ २० ।

३५- वही - पृष्ठ २१ ।

जौनपुर के विशेष न्यायाधीश एच० बी० ऐस्टेल ने देहवा के गुनुन मिश्र, नुगहटी के मकदूम बक्स, भिलिवा के बिन्देश्वरी बक्स सिंह, बदलापुर के जागेश्वर सिंह, तिलवारी के सरनाम सिंह, मीरचन्द्रपुर के फुल्ली सिंह, बदलापुर के अर्जुन सिंह, कटघर के रक्षिपाल सिंह मीरचन्द्रपुर के परगस सिंह, बडउरा के अख्बरन सिंह और भिलिवा के नेपाल सिंह की सम्पत्ति १८५७ के २५ वें अधिनियम के अन्तर्गत् जब्त करने के आदेश जिला प्रशासन को दिये ।[३६] ३० अक्तूबर को कोयरीपुर के निकट गोरखा सैनिक टुकड़ी से विद्रोहियों की मुठभेड़ हुई । विद्रोहियों के सम्बन्ध में मिली पूर्व सूचना गोरखा सैनिकों के लिये अत्यन्त सहायक सिद्ध हुयी । गोरखा सैनिकों द्वारा भारी गोली वर्षा करने पर विद्रोही सामना करने की स्थिति में न रहे । गोरखा सैनिकों के सुनियोजित आक्रमण के कारण विद्रोही सैनिक पूर्णरूप से पराजित हुये । विद्रोहियों की अधिकांश बन्दूकों पर गोरखा सैनिकों का अधिकार हो गया । इस संघर्ष में बारह विद्रोही मारे गये और लगभग ५६ घायल हुये ।[३७]

२२ नवम्बर को कर्नल लागडेन के नेतृत्व में गोरखा सैनिकों की टुकड़ी का संघर्ष बदलामऊ में विद्रोही सैनिकों के एक बड़े

३६- फारेन डिपार्टमेन्ट कन्सलटेशन्स मार्च ११, १८५६ - नवम्बर १८५६ ।

३७- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ २१ ।

दल से हुआ जिसकी सहायता मुज्फ्फर जहान और मेंहदी हसन बक्स कर रहे थे । सामान्य संघर्ष के पश्चात् विद्रोहियों का यह दल जौनपुर की ओर चला गया किन्तु इस दल में सम्मिलित डाकू दल के कुछ लोगों के गिरफ्तार होने पर विद्रोहियों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी गोरखा सैनिकों के अधिकारियों को हुई ।[३८]

मिर्जापुर में विद्रोह का दमन

१६ मई से मिर्जापुर में विद्रोह की आशंका होने पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समुचित व्यवस्था की गई । समुचित व्यवस्था होने के उपरान्त भी विद्रोह या उपद्रव होने पर उसका कठोरतापूर्वक दमन करने के आशय के आदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुये थे । ३ जून को गाजीउद्दीन नगर में सर हेनरी लारेन्स ने विद्रोहियों के एक दल को पराजित किया और पांच बन्दूकें तथा पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक सामग्री अपने अधिकार में कर ली ।[३६] १० जून को जब बिरखी, बेउर, इन्दुरपुर तथा इंशापुर के लोगों द्वारा विद्रोहात्मक कार्यवाहियां करने का समाचार जिला प्रशासन को मिला, कलेक्टर मि० टुकर तथा डिप्टी कलेक्टर पी० वाकर ५०वीं देशी सेना के सिपाहियों

३८- वही -- पृष्ठ २३ ।

३६- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर), ४ जून, १८५७ ।

के साथ वहां गये । वहां इन लोगों के पहुंचने के पहले ही सशस्त्र ग्रामवासी तितर-बितर हो चुके थे । फिर भी कलेक्टर के आदेश से बिरखी तथा बेउर ग्राम के जमींदारों के यहां तलाशी लेने पर अस्त्र-शस्त्र बरामद किये गये ।[४०] १० जून को कचहरी से तीन मील दूर विद्रोहियों ने दिन में डकैती डाल कर दस हजार रुपया साहसिक ढंग से लूट लिये । कलेक्टर मि० टुकर तथा डिप्टी कलेक्टर मि० पी० वाकर तुरन्त कार्यवाही करने के उद्देश्य से वहां गये । उन्होंने ५०वीं देशी सेना के सैनिकों की सहायता से दो गांवों के लोगों को नि:शस्त्र किया और कुछ प्रमुख अपराधियों को बन्दी बनाया ।[४१] इन ग्रामों से २७ विद्रोही प्रकृति के व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया और बहुत सा लूट का माल बरामद किया गया । इसी दिन भदोही परगना में सम्पन्न जमींदारों को लूटने वाले जौनपुर से आये विद्रोही सरकारी सहायता आने के पहले भागने में सफल हो गये ।[४२] १४ जून को यह सूचना प्राप्त होने पर कि गौरा पर बड़ी संख्या में सशस्त्र विद्रोही एकत्र हैं और वे निकटस्थ गांव तथा नदी से जाने वाली नावों को लूटने का विचार रखते हैं तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तथा ४७ वीं देशी सेना के ५० सैनिक और कुछ अधिकारीगण

४०- मिसलेनियस लेटर्स रिसीव्ड बाई मजिस्ट्रेट फ्राम ५ जून टू १५ जुलाई ।
(मिर्जापुर कलेक्ट्रेट प्री म्युटनी रेकार्ड, बुक नं० १२०,पृष्ठ नं०१८)

४१- वही -- पृष्ठ २१ ।

४२- एस० ए० ए० रिज़वी-- 'फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश', भाग ४, पृष्ठ ५३ ।

घटनास्थल पर पहुंच गये । इसके पूर्व कलेक्टर मि० टुकर ने एक थानेदार तथा चौकीदार को भेजकर विद्रोही ग्रामवासियों को सरकार से संघर्ष न करने का सन्देश भेजा था किन्तु ग्रामवासी संघर्ष के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने परिवारों को गांव से बाहर भेज दिया था । सम्पूर्ण गांव को घेर लिया गया । स्टीमर से आने वाले योरोपियन सैनिकों के दस्ते की प्रतीक्षा की जा रही थी क्योंकि योरोपीय सैनिकों के बिना कर्नल पाट आक्रमण करने के पक्ष में नहीं थे । गांव पर गोली वर्षा की गयी और बड़ी संख्या में विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया । विद्रोहियों की अधिकांश सम्पत्ति लूट ली गई और उनके घरों में आग लगा दी गई ।[४३] १६ जून को गोपीगंज में अदवन्त सिंह, भोलासिंह तथा रामबक्स सिंह को सैनिक अदालत के द्वारा फांसी दे दी गई ।[४४] अदवन्त सिंह ने स्वयं को भदोही का राजा घोषित किया था और भदोही परगना में अशान्ति फैलाई थी । २२ जून को रात्रि में ६ बजे रामनगर सीकरी में डाकुओं की उपस्थिति का समाचार मिलने पर कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर पी० वाकर को ५०वीं देशी सेना के सिपाहियों तथा चपरासियों के साथ वहां भेजा । डकैतों को रात्रि में सोते समय घेर लिया गया । कार्यवाही शुरू होने पर दोनों ओर से गोलियां चलीं जिससे एक सैनिक बुरी तरह

४३- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ १७ ।

४४- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवर्नमेन्ट वर्सेज फूरी सिंह एण्ड अदर्स, (मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता) ।

घायल हो गया। घटनास्थल से ११ आदमियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग एक सीढ़ी की सहायता से भागने में सफल हो गये। गिरफ्तार लोगों के पास से लूट का अधिकांश सामान बरामद किया गया और गांव की उपज का अधिकांश अनाज जो लगभग २२२६ मन २६ सेर था, गांव के एक जमींदार के यहां से प्राप्त किया गया। बरामद अनाज का अधिकांश भाग चुनार के किले में खाद्य व्यवस्था के निमित्त भेज दिया गया तथा बाकी को सरकार की ओर से शहर के बाजार में बेच दिया गया।[५५] २४ जून को अंगोरी परगना के कोरी बाजार नामक ग्राम से डकैती की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गई।

४ जुलाई को गोपीगंज के थानेदार के द्वारा जब मि० मूरे तथा पाली फैक्ट्री के दो अधिकारी मि० जोन्स तथा मि० केम्प की हत्या का समाचार जिला प्रशासन को सायंकाल ४ बजे मिला तो सारजेन्ट बार्वेस तथा मि० सी० आर० मूरे तुरन्त ४७वीं देशी सेना के अधिकारी कर्नल पाट के पास गये और तुरन्त कार्यवाही करने के लिये कहा। सायंकाल लगभग ५ बजे कर्नल पाट ने ५० सैनिकों के साथ गोपी-गंज के लिये प्रस्थान किया। मि० इलियट और डिप्टी कलेक्टर पी० वाकर पहले ही गोपीगंज के लिये प्रस्थान कर चुके थे। मिर्जापुर से जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये अधिकारीगण रात्रि में लगभग १० बजे पहुंचे। तब तक कैप्टन उलवाउस पाली से तीनों मृत योरोपियनों के

५५- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर) दिनांक २२ जून, १८५७।

तब गोपीगंज ले आये । अगले दिन कर्नल पाट तथा अन्य सैनिक अधिकारियों ने पाली फैक्ट्री की ओर प्रस्थान किया । पाली के निकट विद्रोहियों से सैनिकों की सामान्य मुठभेड़ हुई जिसमें विद्रोही पराजित होकर भाग खड़े हुये । बुदुपुर तथा पुरेपुर में मुख्य विद्रोहियों के मकान जला दिये गये तथा फुरी सिंह माताभीख, माताबक्स सिंह, सरनाम सिंह आदि को पकड़ाने के लिये पुरस्कार की घोषणा की गयी ।[४६] इसी दिन कैप्टन लाकहाट तथा चैपमेन के नेतृत्व में दो टुकड़ियां विद्रोहियों का दमन करने के लिए गोपीगंज आ गई । अगले दिन कैप्टन लाकहाट, मि० चैपमैन सैनिक टुकड़ियों के साथ डिप्टी कलेक्टर मि० पी० बाकर पाली गये । इन लोगों ने पाली फैक्ट्री + से विद्रोहियों द्वारा लूटी गई सम्पत्ति को बरामद करने की चेष्टा की । ७ जुलाई को पाली में स्थित सैनिक टुकड़ियों ने पारुपुर, बुदुपुर गांवों के लिये प्रात: प्रस्थान किया । इन दोनों गांवों के निवासियों की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई और उनके घरों में आग लगा दी गई । ८ जुलाई को अमोली ग्राम के कुछ विद्रोही नेताओं की सम्पत्ति लूट ली गई । इस कार्यवाही का जब ग्रामवासियों ने कुछ विरोध किया तो विरोध करने वालों को दंडित किया गया और अनेक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये । इस ग्राम के मुख्य विद्रोहियों के मकान जला दिये गए । पाली-मिर्जापुर के बीच के सभी गांव में इसी नीति का अनुसरण किया

४६- वही -

गया । २ अगस्त को मि० मूरे की हत्या के अपराध में बन्दी बनाये गये तीन व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई ।[४७] ७ अगस्त को भदोही के मुख्य पुलिस अधिकारी माखन लाल की इस सूचना पर कि मि० मूरे के हत्यारों को अदवन्त सिंह की विधवा ने पुरस्कृत किया है, अदवन्त सिंह की विधवा तथा अन्य दो व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त करने के आदेश दिये गये । १३ अगस्त को विद्रोहियों द्वारा अहरौरा के लूटने का समाचार आने पर विद्रोहियों के दमनार्थ सैनिक टुकड़ियां भेजी गईं । राबगढ़ के मार्ग पर जहां से विद्रोहियों के वापस होने की सम्भावना थी योरोपियन सैनिकों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करके विद्रोहियों का सामना करने के हेतु व्यापक योजना तैयार की गई ।[४८] १३ अगस्त से १६ अगस्त के मध्य राबर्ट्सगंज, अदुलगंज, शाहगंज और सुकरित में विद्रोहियों द्वारा की गई लूट-पाट योरोपीय सैनिकों में अशान्ति का कारण बन गई । १६ अगस्त को ही बुरियावा में कुरी सिंह तथा उसके साथियों की उपस्थिति का समाचार मिलने पर मेजर साइमन, मि० टुकर, मि० इलियट, मि० बटनसावे, लेफ्टिनेन्ट हेग, मि० हस्टक तथा मि० पी० वाकर ने कुरी सिंह तथा उसके दल को गिरफ्तार करने की व्यापक योजना तैयार की ।

४७- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवर्नमेन्ट वर्सेज कुरी सिंह एण्ड अदर्स ।
(मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता)

४८- डायरी आफ पी० वाकर (डिप्टी कलेक्टर) १५ अगस्त, १८५७
(मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी रेकार्ड) ।

२० अगस्त को एक सैनिक दस्ते ने कमारी की ओर प्रस्थान किया । कमारी के उत्तर में विद्रोही सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई दी । दोनों ओर से गोलियां चलीं । विद्रोही योरोपीय सैनिकों का सामना न कर सकने पर लूट का बहुत सा सामान छोड़ कर भाग गये । ७ वीं देशी सेना का एक हवलदार कन्हई सिंह एक चपरासी द्वारा पकड़ा गया । उस पर मुकदमा चलाया गया और बाद में उसको फांसी दे दी गई । एक और सैनिक लेफ्टिनेन्ट ग्लोवर द्वारा आक्रमण करने पर भागने का प्रयत्न कर रहा था, पी० बाकर द्वारा मार डाला गया । इसी दिन गोपीगंज के थानेदार तथा राबर्ट्सगंज के तहसीलदार ने कूरी सिंह तथा उनके साथियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना दी । यह निश्चित ज्ञात होने पर कि विद्रोहियों का एक बड़ा दल दुद्धी की ओर से सिंगरौली की ओर आ रहा है तो सैनिक अधिकारियों के आदेश से सोन नदी के किनारे की सभी नावें डुबो दी गई या उन्हें पानी के बाहर निकाल लिया गया ।[४६] २१ अगस्त को मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में विद्रोहियों द्वारा डाक व्यवस्था भंग कर देने का समाचार मिलने पर तुरन्त कार्यवाही की गई और घटनास्थल के निकटस्थ गांव से कुछ संदिग्ध प्रकृति के लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

२३ अगस्त को कूरी सिंह द्वारा बिसौली, कोरी गांव तथा दुरियावा में लूट-पाट करने का समाचार मिलने पर जिला

४६- `फ्रीडम स्ट्रगिल` पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ७० ।

प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गई किन्तु विद्रोही सरकारी सहायता पहुंचने के पहले ही भागने में सफल हो गये। इन गांवों से विद्रोहियों के कुछ समर्थकों को गिरफ्तार किया गया।[५०]

२७ अगस्त को बनारस के आयुक्त ने मिर्जापुर के कलेक्टर को भेजे अपने एक पत्र में उन्हें यह निर्देश दिया कि मिर्जापुर में जिला प्रशासन विद्रोहियों के विरुद्ध अत्यन्त कठोर कार्यवाही करे जिससे विद्रोहियों में आतंक उत्पन्न हो जाय और वे भयमुक्त होकर हत्या, लूट-पाट न कर सकें।[५१] २६ अगस्त को विश्वस्त सूत्रों से जिला प्रशासन को यह पता चला कि मिर्जापुर जिले में गंगा के उत्तर में अवध के विद्रोहियों की कुछ टुकड़ियों ने आक्रमण किये हैं और धीरे-धीरे इस जिले में अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रहे है।[५२]

२६ सितम्बर को राबर्ट्सगंज के थानेदार ने सूचना दी कि विद्रोहियों का एक बड़ा दल अंगोरी के निकट पड़ाव डाले हुये है। अगले दिन इस दल ने घोरावल की ओर प्रस्थान किया। इसी दिन विद्रोहियों ने विजयगढ़ के निकटवर्ती गांव को लूटा। मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तुरन्त कार्यवाही करके विद्रोहियों को घेरने के उद्देश्य से भगवान तलाब की ओर प्रस्थान किया। ४ अक्तूबर को

५०- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर, पृष्ठ ३८२।

५१- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट प्री म्यूटनी रेकार्ड्स, बुक नं० २३, पृष्ठ ११६।

५२- फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन, ३० अगस्त, १८५७, नं० ४३२।

विद्रोहियों ने जब दलिया पर आक्रमण करके वहां के दरोगा की हत्या कर दी तो योरोपियन सैनिकों की एक टुकड़ी शान्ति व्यवस्था के लिये वहां पहुंच गई । कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये लेकिन रघुवीर सिंह, छत्रजीत सिंह जो इस उपद्रव के लिये मुख्यरूप से जिम्मेदार थे, गिरफ्तार न किये जा सके ।[५३] उन्हें पकड़वाने के लिये दो सौ रुपया प्रति व्यक्ति इनाम की घोषणा की गई । ५ अक्तूबर को सालकुन के पास बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोहियों के एकत्र होने का समाचार मिलने पर अंगोरी के थानेदार ने कार्यवाही की किन्तु वह विद्रोहियों का दमन करने के लिये पर्याप्त नहीं था । ७ अक्तूबर को रामगढ़ के पास विद्रोहियों की उपस्थिति का समाचार मिलने पर मद्रास रेजीमेन्ट की एक टुकड़ी वहां भेजी गई । मद्रास रेजीमेन्ट की यह टुकड़ी शान्ति व्यवस्था की स्थापना के लिए ड्रामन्डगंज भी रही । १६ अक्तूबर को विजयगढ़ परगना के इलाकेदार ईश्वरी सिंह ने विजयगढ़ की रानी से असन्तुष्ट होने के कारण विद्रोहियों का साथ दिया तो २७ अक्तूबर को राबर्ट्सगंज के तहसीलदार व थानेदार ने कुछ सैनिकों तथा विजयगढ़ की रानी द्वारा भेजे गये कुछ व्यक्तियों के साथ पुरनाह की ओर प्रस्थान किया । किन्तु विद्रोहियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें

५३- लेटर रीटेन फ्राम मजिस्ट्रेट मिर्जापुर टू कमिश्नर बनारस (अक्तूबर १८५७) बुक नं० २२, पृष्ठ १८ ।

विद्रोहियों ने जब दलिया पर आक्रमण करके वहां के दरोगा की हत्या कर दी तो योरोपियन सैनिकों की एक टुकड़ी शान्ति व्यवस्था के लिये वहां पहुंच गई । कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये लेकिन रघुवीर सिंह, छत्रजीत सिंह जो इस उपद्रव के लिये मुख्यरूप से जिम्मेदार थे, गिरफ्तार न किये जा सके ।[५३] उन्हें पकड़वाने के लिये दो सौ रुपया प्रति व्यक्ति इनाम की घोषणा की गई । ५ अक्तूबर को सालकुन के पास बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोहियों के एकत्र होने का समाचार मिलने पर अंगोरी के थानेदार ने कार्यवाही की किन्तु वह विद्रोहियों का दमन करने के लिये पर्याप्त नहीं था । ७ अक्तूबर को रामगढ़ के पास विद्रोहियों की उपस्थिति का समाचार मिलने पर मद्रास रेजीमेन्ट की एक टुकड़ी वहां भेजी गई । मद्रास रेजीमेन्ट की यह टुकड़ी शान्ति व्यवस्था की स्थापना के लिए डूामन्डगंज भी रही । १६ अक्तूबर को विजयगढ़ परगना के इलाकेदार ईश्वरी सिंह ने विजयगढ़ की रानी से असन्तुष्ट होने के कारण विद्रोहियों का साथ दिया तो २७ अक्तूबर को राबर्ट्सगंज के तहसीलदार व थानेदार ने कुछ सैनिकों तथा विजयगढ़ की रानी द्वारा भेजे गये कुछ व्यक्तियों के साथ पुरनाह की ओर प्रस्थान किया । किन्तु विद्रोहियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें

५३- लेटर रीटेन फ्राम मजिस्ट्रेट मिर्जापुर टू कमिश्नर बनारस (अक्तूबर १८५७) बुक नं० २२, पृष्ठ १८ ।

वापस लौटना पड़ा ।[५४] इसी दिन मद्रास रेजीमेन्ट की एक टुकड़ी ने ब्रिगेडियर कारथिव के नेतृत्व में गंगा नदी पार की और कुछ विद्रोहियों के समर्थकों को बन्दी बनाया ।

इस समय तक मिर्जापुर में अधिकांश उपद्रव का दमन कर दिया गया था और विद्रोहियों के बड़े-बड़े दल इलाहाबाद, रींवा तथा बिहार की सीमा में चले गये थे । जनवरी १८५८ तक सिंगरौली के राजा ने जिला प्रशासन के आदेशों का निरन्तर उलंघन किया और अपने राज्य में उसने प्रशासन के अधिकारियों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया । इसके उपरान्त भी बनारस के आयुक्त ने सिंगरौली के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में मिर्जापुर को सैनिक टुकड़ियां भेजना उचित नहीं समझा । जनवरी माह में ही कुछ बन्दियों पर मुकदमा चलाये जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के आदेश से उन्हें बनारस भेज दिया गया ।[५५]

गाजीपुर में विद्रोह का दमन

गाजीपुर में विद्रोह का प्रारम्भ बनारस मंडल के अन्य जिलों की अपेक्षा देर में हुआ था, इसलिये हर प्रकार की

५४- डायरी आफ पी वाकर (डिप्टी कलेक्टर) २७ अक्टूबर, १८५७ (मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी रेकार्ड)

५५- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव (ऐबस्ट्रैक्ट प्रोसीडिंग) नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार मिर्जापुर फार दी वीक एण्डिंग २३ जनवरी, १८५८ ।

सतर्कता जिला प्रशासन ने विद्रोह का दमन करने के लिये अपनायी । जुलाई १८५७ में बांरा गांव के निवासियों ने जब मि० मैथ्यू की नील फैक्ट्री पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया तो प्रतिशोध स्वरूप ७ जुलाई को मि० बाक्स के नेतृत्व में योरोपीय सैनिकों की टुकड़ी ने बांरा गांव में आग लगा दी और गांव की सारी सम्पत्ति को नष्ट कर दिया । इस घटना के बाद कुछ दिनों तक गाज़ीपुर में शान्ति रही और सरकार को सामान्य रूप से राजस्व वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । जुलाई के मास में ही ६५वीं देशी सेना, जो गाज़ीपुर में तैनात थी, की कई टुकड़ियों को नि:शस्त्र कर दिया गया ।[५६]

इसके पश्चात् गाज़ीपुर में एक लम्बे समय तक शान्ति व्याप्त रही और इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सेना की सहायता से विद्रोहियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की पूर्ण चेष्टा की । सैदपुर परगना में १८५८ में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारम्भ हुआ । मार्च १८५८ में सेना के अधिकारियों ने मौजा के ज़मींदार फेकू सिंह की सहायता से विद्रोहियों का दमन किया ।[५७] १० अप्रैल १८५८ को गाज़ीपुर के दक्षिण पूर्व में विद्रोह का समाचार

५६- म्यूटनी नरेटिव (एन० डब्लू० पी०, आगरा) बनारस डिवीजन, पृष्ठ १२-२४ ।

५७- लेटर फ्राम एफ० बी० गबिन्स टू बी० ब्रेनडेथ आफिशियेटिंग मजिस्ट्रेट गाज़ीपुर, मार्च २४, १८५८ ।

मिलने पर योरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी वहां गई । योरोपीय सैनिकों द्वारा एक विद्रोही सैनिक पकड़ा गया । उस पर मुकदमा चलाने के लिये उसे गाज़ीपुर भेज दिया गया । मई के महीने में चित बड़ा गांव की विद्रोही जनता को नियन्त्रित तथा दंडित करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये । सर ई० लुगार्ड ने इस आशय से गंगा नदी पार कर इस क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया । जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से कर्नल कम्बलेब, मि० वाक्मेन आक्रमण करने के लिये गये । वे आक्रमण करने में हिचकिचा रहे थे किन्तु तभी जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मि० प्रोबेन ने गांव में प्रवेश किया तो गांव लगभग खाली था। काफी छानबीन के बाद दो विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और फांसी दे दी गई । उनकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई और उनके मकान गिरा दिये गये । जिला प्रशासन द्वारा विलम्ब से की गई कार्यवाही के कारण अधिकांश विद्रोही भागने में तथा लूट का माल छिपाने में सफल हो गये । चितबड़ा गांव में बहुत से विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उन्हें दंडित किया गया ।[५८] उनकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई और उनकी भूमि को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया ।[५९]

५८- नरेटिव ट्रांसमीटेड बाई दी डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ आफ गाज़ीपुर टू आर० आई० क्रिच, सीक्रेट्री टू दी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, २४ सितम्बर, १८५८ ।

५९- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज़ नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार गाज़ीपुर फार दी वीक एंडिंग, २३ मई, १८५८ ।

३० मई को गम्मर के जमींदार मेघर सिंह को यह समाचार मिला कि योरोपियन सैनिकों की टुकड़ियां गम्मर के निकट छ: गांव - शेरपुर, रेवतीपुर, बरहा, उशिया, सरैबा को नष्ट करना चाहते हैं। मेघर सिंह ने कुछ व्यक्तियों को इस समाचार की सत्यता का पता चलाने के लिये भेजा। समाचार सत्य पाने पर मेघर सिंह ने गाज़ीपुर तथा शाहाबाद जिले के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सहायता के लिये लिखा। जगदीशपुर के विद्रोही नेता अमरसिंह से भी सम्पर्क किया गया। मेघरसिंह अमरसिंह से मिलने के लिये गये। अमरसिंह ने सहायतार्थ ५०० सिपाही भेजे। मार्ग में इन सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगले नष्ट कर दिये और नील के कारखानों में आग लगा दी। अनाज ले जा रही नावों को उन सैनिकों ने लूट लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद अमर सिंह अपने पैदल तथा घुड़सवार पन्द्रह-बीस हजार व्यक्तियों के साथ गाजीपुर आये। चौसा, जमानिया, चैनपुर, माच, नरवन के जमींदार तथा महाजनों ने उन्हें मालगुजारी और नजराने के रूप में पचीस हजार रुपये भेंट दिये। गाजीपुर में अमर सिंह पांच दिनों तक रहे किन्तु ब्रिटिश सैनिकों के आगमन की सूचना प्राप्त होने पर उनकी सेना के अधिकांश सैनिक हरकरन सिंह के नेतृत्व में रात में गाजीपुर से चले गए। अगले दिन अमर सिंह ने भी जगदीशपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। मेघर सिंह और उनके साथी आत्मसमर्पण करना चाहते थे किन्तु सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन न मिलने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमर सिंह द्वारा भेजे गये ५०० व्यक्तियों की सैनिक टुकड़ी के साथ योरोपीय सैनिकों का संघर्ष हुआ। योरोपीय सैनिक विजयी रहे। पराजित होने पर विद्रोही गाजीपुर के दक्षिण भाग

की ओर से बिहार होते हुये नेपाल चले गये । वहां वे बेगम हजरत महल, राजा बेनी माधव तथा देवीबक्स की सेनाओं से मिल गये । लगभग डेढ़ वर्ष के पश्चात् नेपाल के राजा जंगबहादुर ने इन लोगों पर आक्रमण करके इन्हें नि:शस्त्र कर दिया और अधिकांश मात्रा में उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने के लिये गाजीपुर भेज दिया ।[६०]

३१ मई, १८५८ को गहमर के थानेदार को यह आदेश दिया गया कि वह विद्रोहियों के नेताओं के साधन स्रोतों को समाप्त करने की चेष्टा करें । गहमर के थानेदार को इस कार्य में आंशिक सफलता प्राप्त हुई । ४ जून को बोसा के निकट उड़िया नामक स्थान में विद्रोही तथा योरोपीय सैनिक टुकड़ियों में एक संघर्ष हुआ जिसमें पराजित होने पर विद्रोही लूट का सामान छोड़ कर भाग गये ।[६१] ११ जून को ब्रिगेडियर डगलस ने गहमर ग्राम पर आक्रमण किया । ग्रामवासियों ने सामान्य प्रतिरोध किया जिसमें कुछ ग्रामवासी मारे गए और अधिकांश श्रीपुर घाट की ओर भाग गये।[६२]

६०- ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवर्नमेन्ट वर्सेज मेघर सिंह फाइल नं० ७४ (गाज़ीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी रेकार्ड) ।

६१- ओरीजिनल टेलीग्राम सेन्ट टू मि० ई० ए० रीड, ६ जून, १८५८ ।

६२- फारवर पेपर्स, नं० ८ एवं फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश, पृष्ठ ४८७ ।

जुलाई माह में विद्रोही नेता जोधर सिंह तथा कैप्टेन राटरे की सैनिक टुकड़ियों में हुये संघर्ष में लगभग ७० विद्रोही जान से मारे गये। कैप्टेन राटरे की सैनिक टुकड़ी के लगभग दो सैनिक घायल हुये।[६३] १४ जुलाई को रेवती में मि० प्रोबेन के नेतृत्व में १०० सिक्ख सैनिक, ३० घुड़सवार तथा कुछ योरोपीय सैनिकों की टुकड़ी ने विद्रोहियों की एक बड़ी टुकड़ी पर आक्रमण किया। जिस बाग में विद्रोही पड़ाव डाले हुये थे, उसे खाली करके वे भाग गये। संघर्ष में २० विद्रोही सैनिक मारे गये। योरोपीय सैनिकों की ओर से एक सैनिक जान से मारा गया और एक घायल हुआ।[६४] इसी दिन कैप्टेन मैकमिलन के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोहियों के साथ संघर्ष किया। विद्रोही पराजित होकर भाग गये। इस स्थान पर पांच योरोपीय सैनिक मारे गए और बहुत से घायल हुये। विद्रोहियों की मृतक संख्या इससे कहीं अधिक थी। १६ जुलाई को रेवती में योरोपीय सैनिकों के आगमन का समाचार पाकर वहां पर एकत्र विद्रोही भागने लगे। भागते समय योरोपियन सैनिकों द्वारा एक विद्रोही मारा गया। अन्य विद्रोही रेवती के उत्तर की ओर भागने में सफल हो गये। जिला प्रशासन द्वारा विद्रोहियों को एक जगह पर एकत्रित न होने देने के लिये

६३- ओरीजिनल टेलीग्राम सेन्ट टू मि० ई० ए० रीड, ८ जुलाई, १८५८।

६४- 'फ्रीडम स्ट्रगल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २७६६।

सर्वाधिक अशान्त क्षेत्र कानिया तथा रेवती में ५० सिक्ख सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की गई ।[६५]

अगस्त माह में गाजीपुर में नगरा तथा करमनाशा नदी के पूर्वी क्षेत्र में विद्रोहियों की सामान्य गतिविधियों के समाचार मिले । जिला प्रशासन ने सम्बन्धित अधिकारियों को विद्रोही प्रकृति के व्यक्तियों को बन्दी बनाने का आदेश दिया । नगरा क्षेत्र के निकटस्थ क्षेत्र से संदिग्ध प्रकृति के व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया । २६ अगस्त को कैप्टेन मैकमिलन के नेतृत्व में सिक्ख तथा योरोपीय सैनिकों की टुकड़ियों से विद्रोहियों का संघर्ष रेवती के निकट एक गांव में हुआ। विद्रोहियों में घायल और मृतकों की सम्मिलित संख्या ६५ थी जबकि मैकमिलन की सैनिक टुकड़ी के भी १५ व्यक्ति घायल हुये । २८ अगस्त को इलाहाबाद मिलेट्री पुलिस के कैप्टेन डेली ने गाजीपुर क्षेत्र में रींवा के विद्रोही नेता पंजाब सिंह तथा उसके २०० साथियों को अपनी पुलिस टुकड़ी की सहायता से मार डाला । इस संघर्ष में पुलिस के सिपाहियों का कार्य सराहनीय रहा । इस संघर्ष में केवल दो पुलिस के सिपाही मारे गये और सात घायल हुये ।[६६]

३० अगस्त को रेवती के ही निकट कैप्टेन मैकमिलन

६५- फारेन डिपार्टमेन्ट नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार गाजीपुर फार दी वीक एण्डिंग, १८ जुलाई, १८५८ ।

६६- ओरीजिनल टेलीग्राम सेन्ट टू मि० ई० ए० रीड, २६ अगस्त, १८५८ ।

ने रात में एक विद्रोही सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण किया । इस विद्रोही सैनिक टुकड़ी के लोगों ने जमानिया परगना में अशान्ति मचा रखी थी और सरकार से सहानुभूति रखने वाले बहुत से व्यक्तियों को जान से मार दिया था । कैप्टेन मैकमिलन ने उपरोक्त घटना में विद्रोही सैनिक टुकड़ी के बीस विद्रोहियों की जान से मार डाला और लगभग ५० लोगों को घायल कर दिया । इस संघर्ष में कैप्टेन मैकमिलन की सैनिक टुकड़ी को भी गहरी क्षति उठानी पड़ी ।[६७]

२३ सितम्बर को योरोपीय सैनिकों की टुकड़ी ने बारा क्षेत्र में विद्रोही सैनिकों के लिए रात्रि में नदी पार करने के लिये उपलब्ध नावों को नष्ट कर दिया । २६ सितम्बर को मध्यान्ह २ बजे रास्तीपुर में नदी के किनारे विद्रोहियों के प्रयोग के लिये खड़ी कुछ नावों को डुबो दिया गया । धमनियां में एक नाव में बैठे कुछ संदिग्ध प्रकृति के लोगों ने योरोपीय सैनिकों के आदेश को मानने से मना किया । बारा में भी कुछ नावें नष्ट की गईं । यहीं पर मुसलमानों के एक सशस्त्र दल को निकुलखान के घर में था, के पास से योरोपीय सैनिकों ने ३ देशी तलवारें, १ भाला, १ बन्दूक, १०० कारतूस, ८० खाली कारतूस तथा ३०० लोहे की टोपियां बरामद कीं ।[६८]

- ० -

६७- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्स नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार गाज़ीपुर फार दी वीक एण्डिंग, २८ अगस्त, १८५८ ।

६८- लेटर फ्राम डब्लू० ब्राउन कमान्डर टू के० बास, २६ सितम्बर, १८५८ ।

पंचम अध्याय

-0-

बनारस मंडल में विद्रोह का स्वरूप एवं निष्कर्ष

पंचम अध्याय

-o-

बनारस मण्डल में विद्रोह का स्वरूप एवं निष्कर्ष

बनारस

इस क्षेत्र में विद्रोह होने के पूर्व ही अधिकारी वर्ग ने सुरक्षात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी और यह प्रयत्न किया कि विद्रोह न होने पाये ।[१] ३० मई को बनारस जिले के प्रशासकीय अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्देश दिये गये । जिला अधिकारियों को सैनिक वर्ग में व्याप्त असन्तोष का आभास हो गया था ।[२] निकटवर्ती जिलों में विद्रोह का प्रारम्भ इस बात का सूचक था कि इसका प्रभाव बनारस जिले पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता । गोरखपुर और आजमगढ़ से जो सैनिक टुकड़ियां सरकारी खजाना ले कर बनारस आ रही थीं उन पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया और खजाना लूटने का प्रयत्न किया किन्तु उनका यह प्रयास असफल रहा ।[३] बनारस के सैनिक अधिकारियों को यह सलाह दी गई कि स्पष्ट रूप से विद्रोह होने के पूर्व ही देशी सैनिकों को निःशस्त्र कर दिया जाय ।[४]

१- के एण्ड मैलसन - `हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी`, भाग २, पृष्ठ १५० ।

२- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बनारस, पृष्ठ २१२ ।

३- `नैरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन`, पृष्ठ ८ ।

४- के० एण्ड मैलसन - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १६३ ।

४ जून को जब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था उसी समय स्पष्ट विद्रोह का प्रारम्भ हुआ ।[५] परेड मैदान में ३७वीं देशी सेना के सैनिक उपस्थित थे और उनके अतिरिक्त १३ वीं अनियमित घुड़सवार सेना और लुधियाना सेना के सिक्ख भी थे । अंग्रेज़ अधिकारियों ने ३७वीं देशी सेना से अपने हथियार जमा करने को कहा किन्तु इसके उत्तर में देशी सैनिकों ने गोलियां चलायीं । इस गोली वर्षा का उत्तर अंग्रेज तोपचियों द्वारा दिया गया किन्तु अंग्रेज तोपचियों ने ३७वीं देशी सेना के साथ ही सिक्ख सेना पर भी गोली वर्षा की और सिक्ख सेना भी विद्रोहियों के साथ हो गई । यह इस विद्रोह की एक विशिष्ट घटना थी कि सिक्ख सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्यवाही में भाग लिया ।[६] इस संघर्ष में देशी सेना को अपनी स्थिति कमज़ोर लगने लगी और उनके सैनिक मैदान से भागने लगे ।[७] इस प्रकार देशी सेना का यह प्रयास असफल कर दिया गया। इस घटना के बाद ही जब कर्नल गार्डन एक सिक्ख सेना की टुकड़ी के साथ मैदान में आये तो उन पर किसी सिक्ख सैनिक ने गोली चला दी और एक बार फिर अंग्रेज़ों का सिक्खों से संघर्ष हुआ । परेड

५- वही -- पृष्ठ १६३ ।

६- 'दी हिन्दू पैट्रियाट' २५ जून, १८५७, पृष्ठ २०२ ।

७- लेटर फ्राम स्पाटिसउड लेफ्टिनेन्ट कर्नल ३७ रेजिमेन्ट नेटिव इनफैन्ट्री बनारस, दिनांक ११ मार्च, १८५८ ।

मैदान से वापस लौटे अंग्रेज सैनिकों ने छावनी में जो अशक्त और बूढ़े देशी सैनिक थे उन पर गोली चलाई और स्थिति को अधिक गम्भीर बना दिया ।[८]

इन घटनाओं के पश्चात् कर्नल नील ने बनारस नगर के बाहरी भाग में रहने वाले योरोपीय परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये एक विशेष सैनिक टुकड़ी भेजी । सूर्यास्त के समय मार्ग में इस टुकड़ी की भेंट विद्रोही सैनिकों से हो गई और इनमें संघर्ष हुआ । इस अवसर पर भी विद्रोही सैनिकों की ही पराजय हुई और विद्रोही सैनिक वहां से भाग निकले । अंग्रेजों ने उनका पीछा किया किन्तु कोई पकड़ा न गया ।[९]

इस समय के विद्रोह का पूर्ण परीक्षण करने से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि बनारस में विद्रोह देशी सेना के सैनिकों ने प्रारम्भ किया और परिस्थितिवश सिक्खों की कुछ टुकड़ियों ने भी उनका साथ दिया किन्तु विद्रोहियों के आक्रमण बलशाली न थे और वे पराजित हुये । दूसरी बात यह है कि सामान्य जनता ने न तो स्पष्टरूप से सरकार का विरोध किया और न विद्रोहियों का साथ दिया । इस प्रकार सैनिकों को जनता की ओर से कोई सहायता

८- के०एण्ड मैलसन - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १७२ ।

९- एस० ए० ए० रिज़वी - 'फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश', भाग ४, पृष्ठ ४० ।

या सहानुभूति प्राप्त न हुई और इस आधार पर बनारस के विद्रोह को व्यापक नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत अंग्रेज़ों को सरदार सुरत सिंह से इस समय बड़ी सहायता मिली और पंडित गोकुल चन्द्र एवं देव नारायण सिंह नामक जमींदार भी अंग्रेज़ों की सहायता करने में तत्पर रहे ।

६ जून से ८ जून तक बनारस नगर में स्थिति सामान्य और नियन्त्रित बनी रही किन्तु बनारस के गांवों में हिंसा और अराजकता बढ़ती गई । इसका कारण यह था कि बनारस से भागे विद्रोही सैनिकों ने गांवों में जाकर जमींदारों की सम्पत्ति लूटी और सरकार समर्थक लोगों को परेशान किया । बहुत से लोग इस अराजकता में मार भी डाले गये । इस तथ्य को बनारस मंडल के कमिश्नर ने अपने १३ जून को लिखे गये पत्र में लार्ड कैनिंग के समक्ष स्वीकार किया है । इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि विद्रोहियों ने भारतीयों को अपनी कार्यवाही का लक्ष्य बनाया और उससे बहुत से धनी लोगों की सम्पत्ति नष्ट हुई और बहुत से लोग मारे गये । अंग्रेज़ कमिश्नर के पत्र से यह भी आभास होता है कि विद्रोही सैनिकों को स्पष्ट रूप से तो नहीं किन्तु गुप्त रूप से ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सम्पन्न व्यक्ति सहायता दे रहे थे । ६ जून को तत्कालीन भारत सरकार के आदेशानुसार बनारस मंडल में फौजी कानून लागू कर दिया गया और प्रशासकीय अधिकारियों को असाधारण अधिकार दिये गये । मुख्य रूप से विद्रोह दबा दिया गया किन्तु बनारस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोहियों द्वारा छिट-पुट कार्यवाही की जाती रही ।

जौनपुर

लुधियाना सिक्ख रेजीमेन्ट की एक सैनिक टुकड़ी जौनपुर में थी किन्तु जब बनारस में ३७वीं देशी सेना के विद्रोह करने का समाचार इन लोगों को मिला तो इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति स्वामिभक्ति प्रकट की । किन्तु छावनी में अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर गोली वर्षा की और इसके परिणामस्वरूप इस टुकड़ी ने स्पष्ट विद्रोह कर दिया । लेफ्टिनेन्ट मारा और ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट कूपेज दोनों विद्रोह में मारे गये और सरकारी खजाना लूट लिया गया ।[१०] जौनपुर के अधिकांश अधिकारी आजमगढ़ चले गए और जौनपुर में अराजकता स्थापित हो गई ।[११] २७ जून को जौनपुर जिले के डोभी ग्राम में राजपूतों ने सरकार का स्पष्ट विरोध करना प्रारम्भ कर दिया और निकटस्थ क्षेत्र में संचार व्यवस्था के सभी साधन नष्ट कर दिये । डोभी के राजपूतों को अपने आस-पास के गांवों से भी पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । सरकार द्वारा इस विद्रोह का दमन करने के लिये मि० वेकिन्सन को एक सैनिक टुकड़ी के साथ भेजा गया ।[१२] इसके कुछ समय बाद तक विद्रोहियों की कार्यवाही शान्त सी रही किन्तु २३ जुलाई को इर्शाद अली के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों ने जौनपुर कोतवाली पर आक्रमण किया और कई बन्दी

१०- के० एण्ड मैलसन - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १७८, १७९ ।

११- वही -- पृष्ठ १७९ ।

१२- 'नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन', पृष्ठ १४ ।

मुक्त कर दिये तथा सरकारी सामग्री को क्षति पहुंचायी । सैनिक सहायता आने से पहले ही विद्रोही वहां से चले गए ।[13] १६ अगस्त को जौनपुर और आजमगढ़ के नायब नाज़िम इरादत जहान ने स्वतन्त्र अवध सरकार की घोषणा कर दी और राजकीय अधिकारियों को आज्ञापालन का आदेश दिया ।[14] ८ सितम्बर को जौनपुर में आज़मगढ़ से नेपाली सैनिकों की कई सैनिक टुकड़ियां आईं और इनसे जौनपुर की स्थिति संभालने में ज़िला प्रशासन को बड़ी सहायता मिली ।[15]

ज़िले के विभिन्न भागों में विद्रोहियों ने पड़ाव डाल रखा था और निकटवर्ती गांवों के सम्पन्न लोगों का सहयोग भी विद्रोहियों को प्राप्त था । इनमें बरसुर, बान्दा, बदलापुर आदि स्थानों पर की गई विद्रोहियों की तैयारी उल्लेखनीय है । बान्दा में अंग्रेजों ने विद्रोहियों के साथ संघर्ष के लिए गोरखा सैनिकों की टुकड़ियां भेजीं किन्तु अंग्रेजों के पक्ष को ही अपेक्षाकृत अधिक हानि हुई ।[16] १८ दिसम्बर को ६०० विद्रोहियों ने कोयरीपुर के एक अंग्रेज नील

१३- वही - पृष्ठ १४ ।

१४- 'ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस आफ गवर्नमेन्ट वर्सेज़ राजा इरादत जहान' फाइल नं० ४ ।२३ जौनपुर कलेक्ट्रेट म्युटनी बस्ता।

१५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर, पृष्ठ १८२ ।

१६- आगरा गवर्नमेन्ट गजट, दिसम्बर- जनवरी १८५८, मंगलवार, दिनांक १६ जनवरी, १८५८, पृष्ठ २० ।

उत्पादक के कारखाने को नष्ट कर दिया ।[१७] २ जनवरी, १८५८ को सुदक्न तहसील के अधिकांश सरकारी भवन विद्रोहियों ने नष्ट कर दिये[१८] और जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही विभिन्न स्थानों पर एक साथ उत्पात मचाया तथा सरकार समर्थक जनता को अनेकानेक प्रकारों से तंग किया । चूंकि ऐसी घटनाएं कई हुई और एक ही समय में हुई इस कारण इनके विरुद्ध संगठित कार्यवाही करना सरकार के लिये कठिन सिद्ध हो जाता था ।[१९] बदलापुर क्षेत्र में विद्रोही नेता खुदाबक्स सक्रिय रहा और अंग्रेजों ने जो कार्यवाही उसके विरुद्ध की उसमें अधिक सफलता न मिल सकी क्योंकि उस क्षेत्र में उसका बड़ा आतंक था ।[२०] ६ अप्रैल को टिंघरा नामक स्थान पर सर एडवर्ड लुगार्ड की मुठभेड़ गुलाम

१७- फ्रादर पेपर्स (७) रिलेटिव टू दी म्युटनीज इन ईस्ट इण्डीज, १८५७, इनक्लोजर ३३, नं० ७, पृष्ठ ७६ ।

१८- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर, पृष्ठ १८३ ।

१९- टेलीग्राफिक मैसेज सिक्रेट्री टू दी गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्राविन्स, इलाहाबाद टू कर्नल ब्रिच, सिक्रेट्री टू दी मिलेट्री डिपार्टमेन्ट कलकत्ता, दिनांक ८ जनवरी, १८५८ ।

२०- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग, १६ जनवरी, १८५८ ।

हुसैन के नेतृत्व में ३००० विद्रोहियों के दल से हुई ।[२१] ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मि० मूरे के हत्यारे विद्रोही नेता फुरी सिंह ने भी जौनपुर में काफी उत्पात मचाया लेकिन उसका उद्देश्य लूटपाट करना था और वह सैनिक टुकड़ियों से नियमित संघर्ष टाला रहता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान चला आया करता था ।[२२]

सितम्बर माह के प्रारम्भ में जौनपुर के जिला अधिकारियों ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस विभाग को पुर्संगठित करने का निश्चय किया । विद्रोहियों का सामना करने के लिए सरकार के समर्थक जमींदारों के सहयोग से सशस्त्र व्यक्तियों की भर्ती की गई तथा जिले के अधिकारियों से समुचित सम्बन्ध बनाये रखने के लिये अधिक हरकारों की नियुक्ति की गई । जिले में थानों की संख्या और बढ़ा दी गई । जिन लोगों ने नई व्यवस्था के नियमों का उलंघन करने का प्रयास किया उन्हें दण्ड दिया गया । फिर भी इतनी व्यवस्था करने के उपरान्त जौनपुर जिले के उत्तरी और पूर्वी भाग के जमींदारों ने जिला प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं किया ।[२३] इस व्यवस्था के बाद सितम्बर के अन्त में मुबारकपुर और आदमपुर नामक स्थानों पर अंग्रेजों को विद्रोहियों से संघर्ष करना पड़ा ।[२४] २ अक्तूबर

२१- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ २३ ।

२२- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार इलाहाबाद डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग १६ मार्च,१८५८।

२३- नरेटिव आफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन, पृष्ठ २१ ।

२४- वही -- पृष्ठ २१ ।

को मेंहदीबक्स नामक विद्रोही नेता से अंग्रेजों की मुठभेड़ हुई और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी विद्रोही उत्पात मचाते रहे ।[२५]

जौनपुर जिले की घटनाओं का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस जिले में विद्रोह का स्वरूप अधिक व्यापक था । विद्रोहियों की गतिविधियां इस क्षेत्र में अधिक फैली रहीं और जमींदारों एवं जनता से विद्रोहियों को अधिक सहयोग प्राप्त हुआ । विद्रोहियों ने लूट-पाट भी इस क्षेत्र में अधिक की और सरकार समर्थक वर्ग को अधिक तंग किया । बनारस जिले की तुलना में यहां का विद्रोह अधिक समय तक चला, इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत रहा और देशी सेना के अतिरिक्त अन्य वर्गों का भी योगदान इसमें रहा ।

मिर्जापुर

बनारस जिले के विद्रोह का प्रभाव मिर्जापुर पर भी पड़ने की पूरी सम्भावना थी और जिला अधिकारियों ने शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से कई प्रकार की तैयारियां कीं । मई १८५७ में मिर्जापुर में विद्रोह की किसी प्रकार की घटना नहीं हुई ।[२६] ६ एवं १० जून को लूट-पाट और डकैती की कुछ घटनाएं मिर्जापुर के आस-पास के स्थानों में

२५- वही -- पृष्ठ २१ ।

२६- `फ्रीडम स्ट्रगिल` -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५० ।

हुई । १४ जून को यह सूचना प्राप्त हुई कि गौरा ग्राम में बहुत से सशस्त्र व्यक्ति एकत्रित हैं तथा वे रात्रि में नावों और निकटस्थ गांवों को लूटने की योजना बना रहे हैं । १५ जून को मिर्जापुर के दो महाजनों ने अपनी नावों के लूटे जाने की सूचना दी । १६ जून को बदलीसराय में विद्रोहियों के पास से बन्दूकें बरामद करने का समाचार जनता में प्रसारित किया गया और इससे महाजनों, व्यापारियों एवं जनता को विश्वास हुआ कि सामान्य लूटपाट की घटनाएं शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगी । ३० जून को फतेहपुर तथा बांदा से आये हुये कुछ विद्रोहियों ने मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में प्रवेश किया और इस कारण उस क्षेत्र में हलचलें मच गयी ।[२७] जुलाई १८५७ में वास्तविक विद्रोह का सूत्रपात मिर्जापुर जिले में हुआ । अब तक केवल लूटपाट और डकैतियों की घटनाएं हो रहीं थीं परन्तु अब स्थिति ने नया मोड़ लिया । ४ जुलाई को गोपीगंज के थानेदार ने सूचना दी कि ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट डब्लू० आर० मूरे जो भदोही परगना के अपने कैम्प से बाहर थे, अपने अन्य साथियों के साथ मार डाले गये तथा पाली नील फैक्ट्री की सम्पत्ति को विद्रोहियों ने लूट लिया ।[२८]

२७- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट प्री म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २३, पृष्ठ १३३-१३४; 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत पृष्ठ ५५ ; डायरी आफ पी० वाकर, डिप्टी कलेक्टर, १६ जून १८५७ ; एस० बी० चौधरी--सिविल रिबेलियन एण्ड इण्डियन म्यूटनी, पृष्ठ १५८ ।

२८- फ्रीडम स्ट्रगिल -- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ ५८-६२ ।

५ जुलाई को मिर्जापुर के जिला मजिस्ट्रेट मि० टुकर पर दुद्धपुर में एकत्र विद्रोहियों ने गोली चलाई । ८ जुलाई को अमोली में योरोपियन सैनिकों पर फिर ग्रामवासियों ने गोली वर्षा की ।[२९] ८ अगस्त को मिर्जापुर के जिला मजिस्ट्रेट ने यह घोषणा की कि कुरी सिंह (मि० मूरे का सम्भावित हत्यारा) को पकड़वाने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपया पुरस्कार दिया जायेगा तथा उस हत्याकांड में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों को पकड़वाने वाले व्यक्ति को पांच सौ रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जायेगा ।

१२ अगस्त को विद्रोहियों ने अहरौरा बाजार लूटा और लूटने के पश्चात् वे सुकरित की ओर गये । १३ अगस्त को विद्रोहियों ने सुकरित में लूट पाट की ।[३०] अगले दिन कुंवरसिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राबर्ट्सगंज की तहसील को लूटा और तहसील में उपलब्ध अभिलेखों में आग लगा दी । इसी दिन करीब ४०० विद्रोहियों ने पुलिस तथा सजावल के कार्यालय तथा बाजार को लूटा ।[३१] १६ अगस्त को विद्रोही शाहगंज गये और उस स्थान पर लूट पाट की । १६ अगस्त को गोपीगंज के थानेदार ने जिला प्रशासन

२९- डायरी आफ पी० बाकर, डिप्टी कलेक्टर मिर्जापुर ।

३०- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर, पृष्ठ ३७८ ।

३१- लेटर फ्राम कलेक्टर मिर्जापुर टू कमिश्नर बनारस, २० अगस्त, १८५७ ।

को फुरी सिंह की गतिविधियों की सूचना दी ।[३२] किन्तु २० अगस्त को फुरी सिंह के सहयोगियों ने विसौली ग्राम को लूटा । २३ अगस्त को गोपीगंज के थानेदार ने फुरी सिंह द्वारा कोरी गांव में की गई लूटपाट की सूचना दी ।[३३] २४ अगस्त को घोरावल के थानेदार ने सूचना दी कि विद्रोहियों ने थाने की सब सम्पत्ति नष्ट कर दी और सभी कागजात जला दिये ।[३४] २६ अगस्त को सरकार द्वारा नाना साहब को पकड़वाने के लिए पचास हजार रुपये पुरस्कार की घोषणा नगर में की गई । इसी दिन राबर्ट्सगंज की तहसील से सूचना मिली कि विद्रोहियों ने तहसील के अभिलेख जला डाले और तहसील भवन तोड़-फोड़ दिया ।[३५] २६ अगस्त को कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने घोरावल को लूटा और उनकी कार्यवाही में उन्हें बरहुर के चन्देल राजपूत ने बहुत सहयोग दिया ।[३६]

२६ सितम्बर को विद्रोहियों द्वारा विजयगढ़ के

३२- डायरी आफ पी० वाकर, १६ अगस्त, १८५७ ।

३३- वही -- २३ अगस्त, १८५७ ।

३४- एस० बी० चौधरी- पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १५८ ।

३५- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट प्री म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २३, पृष्ठ १७० ; लेटर फ्राम कलेक्टर मिर्जापुर टू कमिश्नर मिर्जापुर रिगार्डिंग दी इन्सीडेन्ट आफ २६ अगस्त, १८५७ ।

३६- डायरी आफ पी० वाकर, डिप्टी कलेक्टर मिर्जापुर ।

पास का एक गांव लूटा गया और समाचार प्राप्त हुआ कि सोन नदी के दक्षिण में तथा अंगोरी के निकट विद्रोही एकत्रित हैं किन्तु बाद में जब सरकार ने सैनिक टुकड़ियां वहां भेजीं तो विद्रोही जा चुके थे। ३ अक्टूबर को विद्रोहियों ने हलिया में लूटपाट की और वहां के दरोगा को मार डाला।[३७] ५ अक्टूबर को विद्रोहियों ने हलिया बाजार के निकट `पुरवा` `बैदा` नामक ग्राम को लूटा और एक पुलिस चौकी की सम्पत्ति नष्ट कर दी।[३८] ६ अक्टूबर को विद्रोहियों ने अंगोरी के पास तीन गांवों में लूटपाट की।[३९] ६ नवम्बर को विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में आकर राबर्ट्सगंज के बाजार को लूटा और स्कूल तथा अन्य स्थानों में आग लगा दी। एक दूसरे विद्रोही दल ने इसी दिन घोरावल के पास एक गांव को लूटा। ७ नवम्बर को विद्रोहियों ने घोरावल की पुलिस चौकी का सामान जला दिया।[४०]

६ जनवरी, १८५८ को विजयगढ़ में कनातिय के राजा तथा योरोपीय सैनिकों की सम्मिलित टुकड़ी की मुठभेड़ विद्रोहियों के एक दल से हुई जिसमें विद्रोही पराजित हुये। इस

३७- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २४, पृष्ठ २२३।

३८- डायरी आफ पी० वाकर, डिप्टी कलेक्टर मिर्जापुर।

३९- वही -

४०- मिर्जापुर कलेक्ट्रेट प्री म्यूटनी रेकार्ड, बुक नं० २४, पृष्ठ १७, १६।

संघर्ष में जो व्यक्ति विद्रोहियों के दल से मारे गए उनमें चार किसान और छः सिपाही थे ।[४१] सिंगरौली के राजा ने जिला प्रशासन के आदेशों को मानने से अस्वीकार किया और अपनी जनता से कहा कि सरकार को राजस्व न दे ।[४२] इसके पश्चात् मिर्जापुर में विद्रोहियों की कार्यवाहियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगीं और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था अधिक मज़बूत होती गयी । मद्रास रेजीमेन्ट की कई टुकड़ियों के आगमन से व्यवस्था और दृढ़ हो गई तथा विद्रोही निकटस्थ जिलों में चले गए ।[४३]

मिर्जापुर जिले में विद्रोहात्मक घटनाओं के सर्वेक्षण से हमें ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में १८५७ के विद्रोह के पूर्वार्ध में विद्रोह काफी फैला रहा और विद्रोहियों द्वारा लूटपाट की बहुत घटनाएं हुई । विद्रोहियों ने पुलिस चौकियां और थानों पर भी बहुत आक्रमण किये । योरोपियन लोगों की हत्या में ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मूरे और उसके साथियों की हत्या प्रमुख है । कुंवर सिंह की कार्यवाही से भी बड़ा उत्पात इस क्षेत्र में रहा किन्तु सामान्य तौर पर जनता सरकार के ही पक्ष में रही और व्यापारी वर्ग सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर आश्रित रहा । किसानों के विद्रोहियों का साथ देने के

४१- डायरी आफ पी० वाकर, डिप्टी कलेक्टर, मिर्जापुर

४२- वही --

४३- वही --

उदाहरण उपलब्ध हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । १८५८ में विद्रोह धीरे-धीरे घटता गया और सरकार का नियन्त्रण अपेक्षाकृत बढ़ गया ।

<u>गाजीपुर</u>

गाजीपुर जिले में विद्रोह की सम्भावना अन्य जिलों की अपेक्षा कम थी किन्तु आजमगढ़ में विद्रोह होने से कुछ समय के लिए यहां की स्थिति में परिवर्तन हुआ । ६ जून को शहर में 'गृह युद्ध' की सी स्थिति हो गई जबकि विद्रोहियों ने खूब लूटपाट किया और पुलिस उनके विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही न कर सकी । प्रशासकीय अधिकारियों ने सरकारी खजाना तत्काल बनारस भेज दिया तथा शहर में संकटकाल एवं फौजी शासन की घोषणा कर दी गई ।[४४] २१ जून को बौरा ग्रामवासियों ने मि० मैथ्यू की फैक्ट्री में आग लगा दी और सामान लूट लिया । इस घटना से योरोपीयन लोगों में क्षोभ उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध के लिये एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई जिसने विद्रोहियों की सम्पत्ति लूटी और आग लगायी ।[४५] इस वर्ष गाजीपुर जिले में

४४- म्युटनी नरेटिव (एन० डब्लू० पी० आगरा) बनारस डिवीजन, पृष्ठ १२-२४ ।

४५- वही -- पृष्ठ १२-२४ ।

यही प्रमुख घटनाएं हुई किन्तु विद्रोही प्रकृति के जमींदारों और अन्य लोगों ने निकटस्थ जिलों के विद्रोहियों से सम्पर्क बनाये रखा । सन् १८५८ में जब अन्य जिलों में स्थिति सामान्य होने लगी तो गाजीपुर में अशान्ति व्याप्त होने लगी ।[४६] २० अप्रैल, १८५८ को कुंवर सिंह ने सिकन्दरपुर ग्राम में स्थित नील फैक्ट्री और थाना जला दिया । वहां के आस-पास के गांवों से उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । २१ अप्रैल को कुंवर सिंह ने रेवती और बैरिया के थाने जला दिये और रेवती के थानेदार को मार डाला । सहतवार में कुंवर सिंह को वहां के ग्रामवासियों से बड़ी सहायता मिली । मनिहार नामक स्थान पर कुंवर सिंह और अंग्रेज सेनाओं में संघर्ष हुआ किन्तु इसमें विद्रोहियों को अधिक क्षति हुई । यहां भी ग्रामवासियों की सहायता उन्हें प्राप्त हुई ।[४७] ३ जून को विद्रोहियों ने गहमर स्थित नील फैक्ट्री पर आक्रमण किया और वहां आग लगा दी । विद्रोहियों को वहां की जनता की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त थी ।[४८] ५ जून को `बुधौरा` नील कारखाने पर भी

४६- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव फार दी वीक एण्डिंग २१ अप्रैल १८५७,२८ अप्रैल, १८५८ ।

४७- के० के० दत्ता - `बायोग्राफी आफ कुंवर सिंह एण्ड अमर सिंह` पृष्ठ १५१-१५५ ।

४८- गाजीपुर कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, पृष्ठ २७० (फाइल रिगार्डिंग गवर्नमेन्ट वर्सेज जमींदार्स आफ गहमर) ।

आक्रमण किया गया और वहां क्षति पहुंचाई गई । नियाजपुर और राजपुर में भी लूट पाट की गई । बौसा नामक स्थान पर भी आक्रमण किया गया और दो व्यक्ति मार डाले गए ।[४९] ७ जून को बांसा थाना तथा तहसील पर भी मेघराय तथा अन्य विद्रोहियों ने आक्रमण किया ।[५०] ८ जून को योरोपियन सैनिकों और विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ लेकिन पहले तो विद्रोही जंगल में चले गये पर फिर वापस आ गये और गहमर ग्राम पर अधिकार कर लिया । आस-पास के ग्रामवासियों ने विद्रोहियों का साथ दिया । विद्रोहियों ने सरकारी सम्पत्ति को लूटा और क्षति पहुंचायी ।[५१]

इस समय फिर अव्यवस्था हो गई और विद्रोहियों की स्थिति काफी संभल गई । बलिया, रसड़ा तथा जमानिया में विद्रोही सैनिकों ने आतंक मचा दिया ।[५२] १२ जून तक गाजीपुर जिले की अधिकांश तहसीलें और थाने विद्रोहियों के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हो चुके थे । अब ब्रिटिश सेना द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई और सैनिक टुकड़ियां कई स्थानों पर भेजी गई ।[५३] १३ जुलाई को बलिया

४९- वही --

५०- 'फ्रीडम स्ट्रगिल' पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २८२ ।

५१- वही -- पृष्ठ २७१ ।

५२- फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार दी वीक एण्डिंग फार गाजीपुर, ३ जुलाई, १८५८ ।

५३- वही --

में अंग्रेज सेना और विद्रोहियों में संघर्ष हुआ और दोनों ओर क्षति हुई ।[५४] इसके बाद धीरे-धीरे अंग्रेज सेनाओं के कारण स्थिति सुधरने लगी और छिट-पुट घटनाओं की सूचना कभी-कभी प्राप्त होती थी । अक्टूबर १८५८ तक गाज़ीपुर में प्राय: शान्ति स्थापित हो गई ।[५५]

गाजीपुर में विद्रोह की घटनाओं के परीक्षण से हमें ज्ञात होता है कि १८५७ में इस जिले में विशेष आन्दोलन नहीं हुआ । किन्तु १८५८ में कुंवर सिंह को गाजीपुर में काफी सफलता मिली और वहां की ग्रामवासी जनता की सहानुभूति और सहायता उन्हें प्राप्त होती रही । अन्य विद्रोहियों को भी १८५८ में जून और जुलाई के महीनों में अधिक सफलता मिली । ग्रामीण जनता द्वारा विद्रोहियों को दी गई सहायता इस जिले के आन्दोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है । विद्रोहियों को समय-समय पर हर प्रकार की सहायता ग्रामवासियों से प्राप्त होती थी । ऐसे उदाहरण बनारस मंडल के अन्य जिलों में इतने नहीं मिलते । अक्टूबर १८५८ तक विद्रोह पर सरकार ने काफी नियन्त्रण स्थापित कर लिया था ।

बनारस मंडल में १८५७ के विद्रोह के अन्तर्गत जो घटनाएं घटित हुईं वे इस मंडल के सभी जिलों में एक समान न थीं ।

५४- वही --

५५- गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ १७४ ।

मिर्जापुर और बनारस जिलों में विद्रोहियों को जनता का सहयोग जौनपुर एवं गाजीपुर की अपेक्षा कम मिला । क्षेत्रीय राजकुलों की सक्रियता तथा सुयोग्य विद्रोही नेताओं के कारण जौनपुर में विद्रोह को व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ । गाजीपुर तथा मिर्जापुर में विद्रोही नेताओं को बिहार के प्रसिद्ध विद्रोही नेता कुंवर सिंह की प्राय: उपस्थिति से पर्याप्त बल मिला । प्रारम्भ में इन जिलों में विद्रोह के व्यापक होने की सम्भावना प्रतीत हुई किन्तु जिला प्रशासन अधिकारियों की सुरक्षात्मक कार्यवाहियों एवं दमन नीति के कारण विद्रोह उग्र रूप धारण न कर सका ।

इस मंडल की जनता ने यद्यपि छिट-फुट रूप से विद्रोहियों की सहायता की किन्तु अनेक स्थानों पर विद्रोहियों द्वारा गांवों में की गई आम लूट-पाट से जनता विद्रोहियों के प्रति सशंकित हो गई और सम्भवत: इसीलिये विद्रोहियों को यथेष्ट रूप में जनता से सहयोग न मिल सका । जनता द्वारा सरकार को सहयोग दिये जाने के अनेक उदाहरण भी मिलते हैं । विद्रोहियों को जनता द्वारा दी गई सहायता इतनी पर्याप्त नहीं थी कि सरकार से मुकाबला करने में उन्हें बल मिलता । इसके अतिरिक्त जनता ने मिर्जापुर के अतिरिक्त कहीं भी सरकार का स्पष्ट विरोध नहीं किया मंडल के विभिन्न भागों में सरकारी सम्पत्ति तथा नावें लूटने की अनेक घटनाएं घटित हुई जो इस बात की परिचायक थीं कि जन-सामान्य में सरकार विरोधी भावनाएं व्याप्त थीं किन्तु कुशल नेतृत्व एवं पर्याप्त शक्ति के अभाव में जनता सामूहिक रूप से संगठित न हो सकी । इस क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा जमींदारों ने व्यक्तिगत

कारणवश भी सरकार का विरोध किया ।

बनारस मंडल में विद्रोह के स्वरूप पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र के विद्रोह को जनविद्रोह अथवा राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा नहीं दी जा सकती किन्तु इस तथ्य से भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस क्षेत्र के विद्रोह के स्वभाव में जन-विद्रोह एवं राष्ट्रीय विद्रोह के लक्षण न्यूनाधिक रूप में विद्यमान् थे । बनारस मंडल का विद्रोह मुख्यतः सरकारी नियमों से त्रस्त जनता तथा जमींदारों द्वारा सरकार के विरोध में किया गया असंगठित प्रयास था । यदि विद्रोहियों में एकता एवं संगठन शक्ति होती और उन्हें सभी स्थानों पर जनसामान्य का सहयोग प्राप्त हुआ होता तो निश्चय ही इस मंडल में विद्रोह का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक व्यापक होता ।

परिशिष्ट

बनारस राज का वंशावली सूची पत्र

(१७३४ - १८३५)

- मनरंजन सिंह
  - राजामन्सा राम (१७३८-१७४०)
    - राजा बलवंत सिंह (१७४०-१७७०)
      - राजा चेत सिंह (१७७०-१७८१)
      - सुजान सिंह
      - पदुम कुमार
        - बाबु भूप नारायण सिंह
        - राजा महिप नारायण सिंह (१७८१-१७९५)
          - बाबु प्रसिद्ध नारायण सिंह
          - राजा उदित नारायण सिंह (१७९५- १८३५)
          - बाबु दीप नारायण
  - दासा राम सिंह
  - माया राम सिंह
  - दया राम सिंह

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

मूल स्रोत

१- राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

(१) होम पब्लिक कन्सल्टेशन्स

(२) फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन्स

(३) फारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन्स

(४) मिलेट्री कन्सल्टेशन्स

२- राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश

१- बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स

(१) पोलिटिकल लेटर्स इशूड बाई दी एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल (१७९५-१८१०)

२- डिस्ट्रिक्ट रेकार्ड आफ्टर म्यूटनी (अंग्रेजी)

(१) बनारस डिस्ट्रिक्ट प्री म्यूटनी रेकार्ड

(२) जौनपुर डिस्ट्रिक्ट प्री म्यूटनी रेकार्ड

(३) मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट प्री म्यूटनी रेकार्ड

(४) गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट प्री म्यूटनी रेकार्ड

३- म्यूटनी बस्ता (परशियन-उर्दू)

(१) बनारस

(२) जौनपुर

(३) मिर्जापुर

(४) गाजीपुर

४- डिवीजन रैकार्ड

(१) बनारस डिवीजन प्री म्युटनी रैकार्ड

३- सचिवालय रैकार्ड

(१) आगरा नरेटिव फारेन डिपार्टमेन्ट

(२) टेलीग्राम सेन्ट टू एण्ड रिसीव्ड बाई ई० ए० रीड

फारेन डिपार्टमेन्ट नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज़ नरेटिव (रेक्सट्रेक्ट प्रोसीडिंग)

(१) बनारस

(२) जौनपुर

(३) मिर्जापुर

(४) गाजीपुर

(५) इलाहाबाद

अदर रैकार्ड्स एण्ड रिपोर्ट्स पब्लिश्ड इन इंगलिश

(१) बनारस अफेयर्स (१७८८-१८१०) (सम्पादक) बी०एन०साळीटोर भाग १ ।

(२) बनारस अफेयर्स (१८११-१८५८)(सम्पादक) बी०एन०साळीटोर भाग २(इलाहाबाद, १९५९) ।

(३) नरेटिव आफ इवेन्ट्स फार बनारस डिवीजन

(४) हिस्ट्री आफ ट्रायल आफ वारेन हेस्टिंग्स (१७८८-९५) (लन्दन १७९६) ।

(५) फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश, भाग १ (१९५७) एवं फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश, भाग ४ (१९५९) सम्पादक - एस० ए० रिज़वी ।

(६) फारेस्ट -- 'सेलेक्शन फ्राम लेटर्स डिस्पैचेज़ एण्ड अदर स्टेट पेपर्स इन दी फारेन डिपार्टमेन्ट आफ गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया', भाग १ (१८९२) ।

(७) एडमन्ड बर्क -- 'स्पीचेज़ ऐट दी इम्पीचमेन्ट आफ वारेन हेस्टिंग्स', भाग ४ (कलकत्ता १९०२) ।

(८) म्यूटनी नरेटिव एन० डब्लू० पी० आगरा (बनारस डिवीजन) ।

(९) रिपोर्ट फ्राम कमेटी आफ दी हाउस आफ कामन्स, भाग ५, ईस्ट इण्डिया कम्पनी (१७८१-१७८२), १८०४ ।

(१०) रिपोर्ट फ्राम दी सेलेक्टेड कमेटी अप्वाइन्टेड टू टेक इनटू दी कन्सीडरेशन दी स्टेट आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इन बंगाल, बिहार एण्ड उड़ीसा (१७८२-१७८३) भाग १-६ ।

(११)कलेन्डर आफ दी इण्डियन स्टेट पेपर्स (सीक्रेट सिरीज़) (१७७४-१७७५) (कलकत्ता १८६४) ।

शोध-ग्रन्थ

(१) डा० के० पी० श्रीवास्तव -- 'हिस्ट्री एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्राविन्स आफ बनारस' (१७७६-१८००) अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९६८ ।

पार्लियामेन्ट्री पेपर्स

(१) फरदर पेपर्स (नं०६) रिलेटिव टू दी म्यूटनीज़ इन दी ईस्ट

इण्डीज़, लन्दन १८५८ ।

(२) फरदर पेपर्स (नं०७) रिलेटिव टू दी म्युटनीज़ इन दी ईस्ट इण्डीज़, लन्दन, १८५७ ।

(३) फरदर पेपर्स (नं० ८) रिलेटिव टू दी म्युटनीज़ इन दी ईस्ट इण्डीज, लन्दन, १८५८ ।

(४) पार्लियामेन्ट्री पेपर्स रिलेटेड टू दी म्युटनी, १८५८ ।

- ० -

सहायक ग्रन्थों की सूची

सहायक ग्रन्थों की सूची

१- एलेन, सी० : `ए फ्यू वर्ड्स एबाउट दी रेड पैम्फलेट` (लन्दन १८५८) ।

२- बरगिल, ड्यूक आफ : `इण्डिया अन्डर डलहौजी ऐण्ड कैनिंग` (लन्दन १८६५) ।

३- बरनाल्ड, एडविन : `दी मारक्विस आफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन आफ ब्रिटिश इण्डिया`, भाग २(लन्दन १८६५)।

४- अशरफ एण्ड अदर्स : `रिबेलियन १८५८- ए सिम्पोज़ियम`, (दिल्ली १९५७)।

५- अल्टेकर, ए०एस० : `हिस्ट्री आफ बनारस`(बनारस १९३७) ।

६- एरिक स्टोक्स : `दी इंगलिश युटिलिटेरियन्स एण्ड इंडिया`, (आक्सफोर्ड १९५९) ।

७- ऐनेस्टे वीरा : `दी एकोनामिक डेवलपमेन्ट आफ इण्डिया` (लन्दन १९३९) ।

८- बाल, चार्ल्स : `हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी`,भाग १ (लन्दन) ।

९- बुल्बर, डी०सी० : `लार्ड विलियम बैंटिंक`

१०- बारकर, जनरल सर डी०डी० : `लेटर्स फ्राम परसिया एण्ड इण्डिया, १८५७-५९` (लन्दन १९१५)।

११- चौधरी, एस०बी० : `सिविल रिबेलियन इन दी इण्डियन म्यूटनीज़ १८५७-१८५९`, (कलकत्ता १९५७) ।

१२- चौधरी, के०एन० : `एकोनामिक डेवलपमेन्ट आफ इण्डिया अन्डर दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी`(कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, १९७१) ।

१३- चिक, एन० ए० : `एनल्स आफ दी इण्डियन रिबेलियन (१८५७-५८)` भाग ६, (कलकत्ता १८५६) ।

१४- चन्द्र,तारा : `भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास`, भाग १-२, (दिल्ली १९६५) ।

१५- चन्द्र सुधीर : `डिपेन्डेन्स एण्ड डिसरेल्युशन्मेन्ट`(मानस पब्लिकेशन्स १९७५) ।

१६- चट्टोपाध्याय हर प्रसाद : `दी सिपाय म्युटनी, १८५७`(कलकत्ता १९५७) ।

१७- चन्द्रा बिपिन : `दी राइज एण्ड ग्रोथ आफ एकोनामिक नेशनलिज्म इन इण्डिया`(लन्दन १९३६) ।

१८- कैम्पबेल,जी : `मेमोरीज आफ माई इण्डियन कैरियर`, भाग २ (लन्दन १८९३) ।

१९- काल्विन,सर आकलेण्ड: `लाइफ आफ जान रसिल काल्विन`, (आक्सफोर्ड १८९५) ।

२०- काउसे, पी० : `दी इमिडिएट काज आफ दी इण्डियन म्युटनी`

२१- कैम्पबेल, सर जी : `भारतीय विद्रोह का वृत्तान्त`

२२- दत्ता, के० के० : `बायोग्राफी आफ कुंवर सिंह एण्ड अमर सिंह` (पटना १९५७)तथा `ए काउन्टेम्पोरेरी एकाउन्ट आफ दी इण्डियन म्युटनी`(१९५०) ।

२३- डेविस, के० एफ० : `वजीर अली खान आर दी मैसाकर इन बनारस` (ए चैप्टर इन इण्डियन हिस्ट्री) (बनारस १९३८)।

२४- डे, यु० एन० : `एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ दिल्ली सल्तनत` (इलाहाबाद १९५९) ।

२५- दत्त, आर० पी० : `इण्डिया टु डे` (बम्बई १९४९) ।

२६-दत्त, रमेश : 'स्कोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया अन्डर दी अर्ली ब्रिटिश रूल' (संस्करण ५, लन्दन) ।

२७-डाउ, जी : 'हिस्ट्री आफ दी इण्डियन रिवोल्ट एन्ड आफ दी एक्पीडीसन टू परशिया, चाइना एन्ड जापान १८५८ (लन्दन १८५६) ।

२८- डफ ,डा०ए० : 'दी इण्डियन रिबेलियन ; इट्स कॉज़ेज़ एण्ड रैबल्ट्स' (लन्दन १८५८) ।

२६- डेवर, डगलस : 'ए हैण्डबुक टू दी इंगलिश प्री म्युटनी रेकार्ड' (इलाहाबाद १६१६) ।

३०- फिटचेट,डब्लू०एच० : 'टेल आफ दी ग्रेट म्युटनी' (लन्दन १६२१)।

३१- फारवेट, सी० : 'आवर रीयल डेन्जर इन इण्डिया' (लन्दन १८७७)।

३२- फारेस्ट,जी०डब्लू० : 'ए हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्युटनी' (लन्दन १६०४) ।

३३- ग्रिफिथ्स,पी० : 'दी ब्रिटिश इम्पैक्ट आन इण्डिया' (लन्दन १६५२)।

३४- गाडगिल,डी०आर० : 'दी इन्डस्ट्रियल एवल्यूशन आफ इण्डिया'

३५- गांगुली,डी०सी० : 'सेलेक्टेड डाकुमेन्ट्स आफ ब्रिटिश पीरियड आफ इण्डियन हिस्ट्री' (१६५८) ।

३६- गिलबर्ट, एच० : 'दी स्टोरी आफ दी इण्डियन म्युटनी' (लन्दन १६१६)।

३७- हबीब, इरफान : 'एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया' (संस्करण १६६३ दिल्ली) ।

३८- हाब्सन, जे० ए० : 'इम्पीरियलिज़्म- ए स्टडी' (लन्दन १६३८)।

३६- हसन, इब्न : 'दी सेन्ट्रल स्ट्रक्चर आफ दी मुगल इम्पायर' (दिल्ली १६७०) ।

४०- हटन,डब्लू० एच० : 'दी मारक्विस वेलेज़्ली'

४१- होम्स, टी० आर० : 'दी हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी' (लन्दन १९०४) ।

४२- हेबर, बिशप आर० : 'नैरेटिव आफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्राविन्सेज आफ इण्डिया फ्राम कलकत्ता टू बम्बई', भाग २ (लन्दन १८६४) ।

४३- हालवे, एच० : 'एसे आन दी इण्डियन म्यूटनी' (१८६४) ।

४४- हनसर्ड : 'पार्लियामेन्ट्री डिबेट्स', १८५७' (रेलीवेन्ट वाल्यूम्स) ।

४५- हिल्टन, रिचर्ड : 'दी इण्डियन म्यूटनी, १८५७' ।

४६- हाल्मेस,टी० राइस : 'हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी', (लन्दन १९०४) ।

४७- हेबर आर० : 'हिस्ट्री आफ दी प्राविन्स आफ बनारस' (देहरादून १८३२) ।

४८- के, सर जान डब्लू : 'ए हिस्ट्री आफ सिपाय वार इन इण्डिया' भाग २ ।

४९- कुरैशी, इश्तियाक हुसैन : 'दी एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी सल्तनत आफ दिल्ली'(१२०६-१४१३) (लाहौर १९४२) ।

५०- के, सर जान डब्लू एण्ड मेलसन, जी० बी० : 'हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटनी', भाग २, (१८५९), ५ एवं ६ (१८९७) ।

५१- कीन, एच० जी० : 'फिफ्टी सेविन' (लन्दन १८८३) ।

५२- लीवारनर, डब्लू० : 'लाइफ आफ मारक्विस आफ डलहौजी', भाग २ (लन्दन १९०४) ।

५३- म्यूथिरट, जे० आर० : 'स्माइलिंग बनारस' (मद्रास १९११) ।

५४- मैलसन एण्ड के : `हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्युटनी, १८५७-५८`, भाग ५ (संस्करण १८६७) ।

५५- मैलसन जी० बी० : `हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्युटनी`, भाग २, (न्यूयार्क एण्ड बाम्बे १८६७) ।

५६- मिश्रा, बी० बी० : `दी सेन्ट्रल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी`,(१७७३-१८३४) (बम्बई १६५८) ।

५७- मैटकाफ,टी०आर० : `आफ्टर मार्च आफ रिवोल्ट इण्डिया` (१८५७-१८७०) ।

५८- मैल्कम, जे० जे० : `स्केच आफ दी पोलीटिकल हिस्ट्री आफ इण्डिया`

५६- मजुमदार, आर० सी० : `दी हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी पिपुल`, भाग ६ (सम्पादक),(बम्बई १६६३) ।

६०- मजुमदार, आर० सी० : `दी सिपाय म्यूटनी एण्ड दी रिवोल्ट आफ १८५७ `(कलकत्ता १६५७) ।

६१- मोरलैन्ड,डब्लू०एच० : `दी ऐग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इण्डिया` (इलाहाबाद १६२६) ।

६२- मार्टिन, आर० एम० : `दी हिस्ट्री आफ दी इण्डियन इम्पायर`, भाग २ (लन्दन) ।

६३- मिश्रा, बी० आर० : `लैण्ड रेवेन्यु पालिसी इन द युनाइटेड प्राविन्स अन्डर दी ब्रिटिश रूल`(बनारस १६४२) ।

६४- मार्शमैन, जे० सी० : `दी हिस्ट्री आफ इण्डिया`, भाग २ (श्रीरामपुर १८६७) ।

६५- मैकेन्जी, कर्नल ए० आर० डी० : `म्यूटनी मैमोरीज़` (१८६२) ।

६६- मैक्मन, लेफ्टनेन्ट जनरल सर जी० एफ० : `दी इण्डियन म्यूटनी इन परपेक्टिव` (लन्दन १६३१) ।

६७- मैकेन्डी, मेज बी० डी० : `अप एमंग दी पन्डीज आर ए इयर्स सर्विस इन इण्डिया` (लन्दन १८५६) ।

६८- मीड, एच० : `दी सिपाय रिवोल्ट इट्स काजेज एण्ड इट्स कान्सिक्वेन्सेज` (लन्दन १८५७) ।

६९- मेहता, अशोक : `१८५७, दी ग्रेट रिबेलियन` (बम्बई १६४६)।

७०- मुखर्जी, हरेन्द्र नाथ : `इण्डिया स्ट्रगिल्स फार फ्रीडम` (बम्बई १६४६) ।

७१- मुखोपाध्याय, एस० सी० : `दी म्यूटनीज एण्ड पिपुल` (१६०५) ।

७२- नार्टन, जे० बी० : `दी रिबेलियन इन इण्डिया` (लन्दन १८५७)।

७३- नीयरिंग, स्काट : `दी ट्रेजडी आफ इम्पायर` (न्युयार्क १६४५)।

७४- प्रसाद, एस० एन० : `पैरामाउन्टेसी अन्डर डलहौजी`, (संस्करण १६६४) ।

७५- राबर्टसन, एच० डी० : `डिस्ट्रिक्ट ड्यूटीज ड्युरिंग दी रिवोल्ट इन नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इण्डिया इन १८५७`, (लन्दन १८५६) ।

७६- राबर्ट, फील्ड मार्शल, अर्ल : `फार्टी वन इयर इन इण्डिया`, भाग २, (लन्दन १८६७)।

७७- रेक्स, डी० : `नोट्स आन दी रिवोल्ट इन दी एन० डब्लू० पी० आफ इण्डिया` (लन्दन १८५८) ।

७८- रसिल, डब्लू०एच० : `माई इण्डियन म्यूटनी डायरी` (सम्पादक माइकिल एडवर्ड्स) (लन्दन १६५७) ।

७९- सिवेकिंग, आई० जी० : `ए टर्निंग प्वाइन्ट इन दी इण्डियन म्यूटनी` (लन्दन १६१०) ।

८०- शेरर, जे० डब्लू० : `डेली लाइफ ड्यूरिंग दी इण्डियन म्यूटनी- पर्सनल एक्सपीरियेन्स आफ १८५७`(लन्दन १९१०)।

८१- सावरकर, वी० डी० : `दी इण्डियन वार आफ इन्डिपेन्डेन्स १८५७` (बम्बई १९४७) ।

८२- सेन, सुरेन्द्र नाथ : `एट्टीन फिफ्टी सेविन`(कलकत्ता १९५८)।

८३- शर्मा, एस० आर० : `दी क्रीसेन्ट इन इण्डिया`(हिन्दी रूपान्तर) (आगरा १९७१) ।

८४- सिंह, विजय बहादुर : `एकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया`, (बम्बई १९६५) ।

८५- ट्राटर, जे० एल० : वारेन हेस्टिंग्स-ए बायोग्राफी`, (आक्सफोर्ड १८७८) ।

८६- थार्नहिल, एम० : `दी पर्सनल एडवेन्चर्स एण्ड एक्सपीरियेन्सेस आफ ए मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग दी राइज, प्रोग्रेस एण्ड सप्रेशन आफ दी इण्डियन म्यूटनी` (लन्दन १८८४) ।

८७- वाकर, टी०एन० : `थ्रू दी म्यूटनी` (लन्दन १९०७) ।

८८- ह्वाइट, : `कम्प्लीट हिस्ट्री आफ दी ग्रेट सिपाय वार`

८९- वुड, ई० : `दी रिवोल्ट इन हिन्दुस्तान`

हिन्दी स्रोत

१- मोती चन्द : `काशी का इतिहास` (बम्बई १९६२) ।

२- सम्पूर्णानन्द : `चेतसिंह और काशी का विद्रोह`(बनारस १९३६)।

३- सुन्दर लाल : `भारत में अंग्रेजी राज्य`, द्वितीय खंड (१९६१) ।

फारसी स्रोत

१- मिर्ज़ा गालिब : `चरागे दैर` (१८५६ दिल्ली) ।

२- अली हज़ी : `समाने उम्री अलीहज़ी (१७७७ लखनऊ) ।

उर्दू स्रोत

१- सर सैयद अहमद खान : `असबाबे सरकशी-ए-हिन्दुस्तान`,
(आगरा १८५६) ।

जर्नल

१- `हंस काशी अंक` (हंस प्रकाशन), १० सितम्बर, १८५२ ।

न्यूज़ पेपर्स

१- हिन्दू पैट्रियाट

२- फ्रेन्ड्स आफ इण्डिया

३-

गजेटियर्स

१- बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर

२- जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर

३- गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर

४- मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर

५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यूनाइटेड प्राविन्स आफ आगरा एण्ड अवध

६- इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया

- ० -